



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26112021-231412
CG-DL-E-26112021-231412

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 351]

नई दिल्ली शुक्रवार, नवम्बर 26, 2021/अग्रहायण 5, 1943

No. 351]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 26, 2021/AGRAHAYANA 5, 1943

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2021

अंतिम जांच परिणाम

मामला सं. (एसएसआर-08/2021)

विषय: इंडोनेशिया और सिंगापुर के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “अनकोटेड कोपियर पेपर” के आयातों से संबंधित अंतिम जांच परिणाम पाटनरोधी जांच।

फा. सं. 7/8/2021-डीजीटीआर.—क. मामले की पृष्ठभूमि

1. निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) द्वारा थाइलैंड, सिंगापुर और इंडोनेशिया के मूल के अथवा वहां से निर्यातित अनकोटेड कोपियर पेपर (जिसे आगे संबद्ध वस्तु या विचाराधीन उत्पाद या पीयूसी भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित एक पाटनरोधी जांच दिनांक 2 नवंबर, 2017 की अधिसूचना सं. 6/32/2017-डीजीएडी द्वारा शुरू की गई थी। प्राधिकारी ने 30 अक्टूबर, 2018 को अंतिम जांच परिणाम अधिसूचित किए जिनमें संबद्ध देशों संबद्ध वस्तु के आयात पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश

की गई। संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क तीन साल की अवधि के लिए अधिसूचना सं. 56/2018-सीमा शुल्क दिनांक 4 दिसंबर, 2018 के माध्यम से लगाया गया था।

2. अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार लागू पाटनरोधी शुल्क को यदि पहले न हटाया जाए तो उन्हें लागू करने की तारीख से 5 वर्ष की समाप्ति पर निष्प्रभावी हो जाता है और प्राधिकारी के लिए यह समीक्षा करना अपेक्षित है कि क्या पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने से पाटन और क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।
3. उपर्युक्त के अनुसार प्राधिकारी के लिए घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किए गए विधिवत रूप से साक्ष्यांकित अनुरोध के आधार पर यह समीक्षा करना अपेक्षित है कि क्या पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने या उनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।
4. और यतः उक्त प्रावधानों के अनुसार मै. जेके पेपर लिमिटेड (जिसे आगे आवेदक भी कहा गया है) ने सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और पाटनरोधी नियमावली के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें थाइलैंड, इंडोनेशिया और सिंगापुर मूल के अथवा वहां से निर्यातित “अनकोटेड कोपियर पेपर” (जिन्हें आगे संबद्ध वस्तु या विचाराधीन उत्पाद या पीयूसी भी कहा गया है) के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क (एडीडी) की निर्णायक समीक्षा शुरू करने का अनुरोध किया गया है।
5. आवेदक ने इंडोनेशिया, सिंगापुर और थाइलैंड से “अनकोटेड कोपियर पेपर” के आयातों के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की मांग की है। यह अनुरोध इस तथ्य पर आधारित है कि पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से संबद्ध वस्तु के पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति के जारी रहने/उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।
6. पाटन और क्षति की संभावना के प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर प्राधिकारी ने इंडोनेशिया और सिंगापुर (जिन्हें आगे “संबद्ध देश” भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु पर लागू शुल्कों को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करने और इस बात की जांच करने कि क्या उक्त पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, के लिए दिनांक 19 मई 2021 की अधिसूचना सं. 7/8/2021-डीजीटीआर के माध्यम से निर्णायक समीक्षा (एसएसआर की जांच की शुरुआत की)। थाइलैंड से आयातों पर निर्णायक समीक्षा जांच शुरू नहीं हुई थी।
7. वर्तमान समीक्षा के पूरा होने तक पाटनरोधी शुल्क की समयावधि दिनांक 27 अगस्त, 2021 की अधिसूचना सं. 48/2021-सीमा शुल्क (एडीडी) द्वारा 28 फरवरी, 2022 तक बढ़ाई गई, जिसमें यह तारीख भी शामिल है।
8. वर्तमान समीक्षा के दायरे में दिनांक 30 अक्टूबर, 2018 की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना सं. 6/32/2017-डीजीएडी के सभी पहलू शामिल हैं।

ख. प्रक्रिया

9. वर्तमान जांच में नीचे वर्णित प्रक्रिया अपनाई गई है:
 - i. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क से संबंधित निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत करते हुए, अधिसूचना सं. 7/8/2021 दिनांक 19 मई, 2021 द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण में एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की।
 - ii. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(2) के अनुसार प्राधिकारी ने दिनांक 19 मई, 2021 की जांच शुरुआत अधिसूचना की एक-एक प्रति भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों, आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पत्तों के अनुसार संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ता एसोसिएशनों को भेजी थी। हितबद्ध पक्षकारों को विहित समय सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और तरीके से संगत सूचना प्रस्तुत करने और लिखित में अपने अनुरोधों से अवगत कराने की सलाह दी गई थी।

- iii. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार आवेदन के अगोपनीय अंश की एक प्रति ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों और भारत में संबद्ध देश के दूतावासों को उपलब्ध कराई थी।
- iv. भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों से उनके देश के निर्यातकों/उत्पादकों को विहित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह देने का अनुरोध भी किया गया था। उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति संबद्ध देशों से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नाम और पत्तों के साथ दूतावासों को भी भेजी गई थी।
- v. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध पर प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करने की समय सीमा को 10 जुलाई, 2021 तक बढ़ाया था।
- vi. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देशों के निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजी थी:

पीटी. पिंडो-डेली पल्प एंड पेपर मिल्स ("पीडी")	पीटी. पेब्रिककेरतास तजिवि किमिया टीबीके. ("टीके")
पीटी. इंदाह कियात पल्प एंड पेपर टीबीके ("आईके")	पीटी. लोनतार पापाइरस पल्स एंड पेपर इंडस्ट्री ("लोनतार")
पीटी. पुरिनुसाऐकापेरसादा ("पुरिनुसा")	पीटी रियायु अंदालन पल्प एंड पेपर (एप्रिल)
इंदाह कियात पल्प एंड पेपर पोर्सिलाइन टाइल्स	चुआन अन पेपर प्रोडक्ट्स
एएचएफ इंडस्ट्रीज	अंडोमान ट्रेडिंग एंड शिपिंग कंपनी पीटीई लिमिटेड
सेलमार्क एशिया पीटीई लिमिटेड	एशिया पल्प एंड पेपर कं. लिमिटेड
एलायंस पेपर एंड बोर्ड प्रोडक्ट्स पीटीई लिमिटेड	एपीपीए (सिंगापुर) पीटीई लिमिटेड

- vii. निम्नलिखित निर्यातकों/उत्पादकों ने उत्तर दिया है और प्राधिकारी के समक्ष निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है:

पीटी. इंदाह कियात पल्प एंड पेपर टीबीके ("आईके")	पीटी. पिंडो-डेली पल्प एंड पेपर मिल्स ("पीडी")
पीटी. पेब्रिककेरतास तजिवि किमिया टीबीके. ("टीडब्ल्यू")	पीटी रियायु अंदालनकेरतास ("आरएके")
पीटी अनुग्रहकेरताज उतामा ("एकेयू")	पीटी एशिया पैसिफिक रेयन ("एपीआर")
एप्रिल इंटरनेशनल एंटरप्राइज पीटीई. लिमिटेड ("एआईई")	पीटी सरना जया अंदलान, इंडोनेशिया (पीटी एसजेए)

- viii. इंडोनेशिया सरकार द्वारा अनुरोध किए गए हैं और वर्तमान अंतिम जांच परिणामों में उन पर विधिवत् विचार किया गया है।
- ix. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाने के लिए भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं को भी प्रश्नावलियां भेजी गई थीं:

एलायड स्पेशिलिटी पेपर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	भगवती इंटरप्राइजेज
ऐक्सल इंटरप्राइज	के.सी.एक्जिम (पी) लिमिटेड
नरसिंह दास एंड कं. (पी) लिमिटेड	नुटेक प्रिंट सर्विसेज - इंडिया
पारस पेपर्स	पल्स मार्केटिंग
शाह देवजीशिवाजी एंड कंपनी	सेठ ब्रादर्स

श्री बालाजी उद्योग	श्री चामुंडा इंटरप्राइज
स्टैंडर्ड पेपर ऐंड बोर्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	सिनचेम
टेनी जोस ऐंड एसोसिएट्स लिमिटेड	यूनिक सेल्स कार्पोरेशन
व्हाइट ऐरो ग्रुप ऑफ कंपनीज	

- x. जांच शुरुआत अधिसूचना के उत्तर में एक संबंधित आयातक अर्थात् एआईई फाइबर रिसोर्स ऐंड ट्रेडिंग (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (“एएफआरटी”) ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है।
- xi. वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि (पीओआई) 1 जनवरी, 2020 से 31 दिसंबर, 2020 (12 महीने) की है। क्षति अवधि में 2017-18, 2018 – 19, 2019-20 और जांच की अवधि शामिल है।
- xii. वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय(डीजीसीआईऐंडएस) से क्षति जांच अवधि के लिए संबद्ध वस्तु के आयातों का ब्यौरा देने का अनुरोध किया गया था और प्राधिकारी को वह प्राप्त हुआ था। प्राधिकारी ने आयातों की मात्रा और मूल्य तथा क्षति विश्लेषण के परिकलन में डीजीसीआईऐंडएस के आयात आंकड़ों का प्रयोग किया है।
- xiii. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार प्राधिकारी ने दिनांक 11 अगस्त, 2021 को हुई सुनवाई में हितबद्ध पक्षकारों को मौखिक रूप से उनके विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया। सभी पक्षकारों से उनके लिखित अनुरोध और लिखित अनुरोधों के खंडन क्रमशः 13 अगस्त, 2021 और 16 अगस्त, 2021 को प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था।
- xiv. विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय अंश को दिनांक 10 अप्रैल, 2020 की व्यापार सूचना सं. 01/2020 के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्देशों पर उनके बीच परिचालित किया गया था। सभी हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों पर प्राधिकारी द्वारा आवश्यक पाई गई सीमा तक विचार किया गया है।
- xv. गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदत्त सूचना की गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां आवश्यक हो, गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को इसका प्रकटन नहीं किया है। जहां संभव हो, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का पर्याप्त अगोपनीय अंश प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था।
- xvi. आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों से आवश्यक समझी गई सीमा तक अतिरिक्त सूचना मांग गई थी।
- xvii. वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सूचना का आवश्यक समझी गई सीमा तक डेस्क सत्यापन किया गया था।
- xviii. मै. वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स लिमिटेड और मै. तमिल नाडु न्यूजप्रिंट ऐंड पेपर्स लिमिटेड (टीएनपीएल) ने जांच की शुरुआत के बाद अपने कार्य-निष्पादन (क्षति और लागत निर्धारण सूचना, दोनों) से संबंधित सूचना प्रस्तुत की है।
- xix. सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों(जीएएपी) के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना पर आधारित भारत में संबद्ध वस्तु की इष्टतम उत्पादन लागत और उसे बनाने तथा बेचने की लागत के आधार पर क्षतिरहित कीमत (जिसे आगे “एनआईपी” कहा गया है) ज्ञात की गई है।
- xx. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर प्राधिकारी द्वारा उन्हें संगत समझी गई सीमा तक इन अंतिम जांच परिणामों में ध्यान दिया गया है।

- xxi. जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने सूचना देने से मना किया है या जांच की प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना नहीं दी है या जांच में अत्यधिक बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने अवलोकन दर्ज किए हैं।
- xxii. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई दलीलों और प्रदत्त सूचना पर उनके साक्ष्यों द्वारा समर्थित होने की सीमा तक और वर्तमान समीक्षा से संगत होने पर इस वर्तमान अंतिम जांच परिणाम में विचार किया है।
- xxiii. नियमावली के नियम 16 के अनुसार जांच के अनिवार्य तथ्यों का दिनांक 18 नवंबर, 2021 के प्रकटन विवरण द्वारा ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को प्रकटन किया गया था और उन पर प्राप्त टिप्पणियों पर प्राधिकारी द्वारा संगत समझे जाने पर इन अंतिम जांच परिणामों में ध्यान दिया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन पश्चात के अधिकांश अनुरोध उनके पूर्व के अनुरोधों का केवल दोहराव है तथापि, प्रकटन पश्चात के अनुरोधों की उन्हें संगत समझी गई सीमा तक इस अंतिम जांच परिणाम में जांच की जा रही है।
- xxiv. इस अंतिम जांच परिणाम में *** चिन्ह हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई और नियमावली के अनुसार प्राधिकारी द्वारा गोपनीय मानी गई सूचना को दर्शाता है।
- xxv. जांच की अवधि के लिए अमरीकी डॉलर को भारतीय रुपए में बदलने की विनिमय दर 1 अमरीकी डॉलर = 74.99 रुपए है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

10. किसी भी निर्यातक, आयातक, उपभोक्ता और अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के दायरे के संबंध में कोई टिप्पणी या अनुरोध प्रस्तुत नहीं किया है।

ग.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

11. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के दायरे के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
- चूंकि वर्तमान जांच लागू पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करने के लिए एक निर्णायक समीक्षा जांच है, इसलिए विचाराधीन उत्पाद वही रहेगा जो पूर्ववर्ती जांच में परिभाषित है।
 - पूर्ववर्ती जांच और वर्तमान समीक्षा जांच में शामिल उत्पाद अनुमत सीमाओं सहित निम्नलिखित आकारों की आयताकार शीट में अनकोटेड पेपर है (क) 210 एमएमx297 एमएम जिसे ए4 साइज के रूप में भी जाना जाता है; (ख) 297 एमएमx420 एमएम जिसे ए3 साइज के रूप में भी जाना जाता है; (ग) 215एमएमx345 एमएम जिसे एफएस या लीगत साइज के रूप में भी जाना जाता है।
 - संबद्ध वस्तु सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 48 के भीतर सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के उप-शीर्ष 4802 के अंतर्गत आती है। तथापि यह वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान समीक्षा के दायरे पर किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है।
 - घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और भारत में आयातित संबद्ध वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। ये दोनों तकनीकी विनिर्देशनों, गुणवत्ता कार्यों और अंतिम प्रयोगों की दृष्टि से तुलनीय हैं, ये तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ता इनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर रहे हैं और इसलिए नियमावली के अनुसार इन्हें समान वस्तु माना जाना चाहिए।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

12. वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा है और विचाराधीन उत्पाद का दायरा मूल जांच में यथा-परिभाषित के समान रहेगा। दिनांक 30/10/2018 की अंतिम जांच परिणाम सं. 6/32/2017-डीजीएडी द्वारा मूल पाटनरोधी जांच में निर्धारित विचाराधीन उत्पाद को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

“6. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के दायरे के संबंध में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को नोट किया है। विचाराधीन उत्पाद के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि:

(क) वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ विचाराधीन उत्पाद अनुमत सीमाओं सहित निम्नलिखित आकारों की आयताकार शीट में अनकोटेड पेपर है (क) 210 एमएमx297 एमएम जिसे ए4 साइज के रूप में भी जाना जाता है; (ख) 297 एमएमx420 एमएम जिसे ए3 साइज के रूप में भी जाना जाता है; (ग) 215एमएमx345 एमएम जिसे एफएस या लीगत साइज के रूप में भी जाना जाता है।” विचाराधीन उत्पाद का व्यावहारिक रूप से अर्थ कट-टू साइज “अनकोटेड कोपियर पेपर” है।

(ख) विचाराधीन उत्पाद आमतौर पर (परन्तु अनन्य रूप से नहीं) फोटो कॉपी या कॉपी पेपर के रूप में प्रयुक्त होता है और इसलिए इसे लोकप्रिय रूप से “कॉपी पेपर”, “कापियर पेपर”, “फोटो कॉपी पेपर”, “मल्टीपर्पज पेपर”, “अनकोटेड कॉपियर पेपर”, ए4 साइज पेपर”, “ए3 साइज पेपर” या “एफएस साइज पेपर” के रूप में लोकप्रिय रूप से जाना जाता है। यह तैयार शीट के रूप में होता है, जिसका भार अलग-अलग जीएसएम होता है। यह सफेद कागज या पंच्ड पेपर हो सकता है जिसकी सतह की अलग-अलग स्मूथनेस होती है।

(ग) पीयूसी के संबंध में प्राधिकारी ने कॉपियर पेपर के रोल, रील और बड़े आकार की शीटों में आयात तथा भारत में उचित आकार में से काटने के द्वारा पाटनरोधी शुल्क के लगाए जाने पर उसकी संभावित प्रवृत्ति की गुंजाइश की जांच की है। घरेलू उद्योग तथा निर्यातकों ने सूचित किया कि यह व्यवहार्य नहीं है क्योंकि कॉपियर पेपर का व्यापार निर्धारित आकार और पैकड शीटों के रूप में होता है। काटे गए और सही आकार के कॉपियर पेपर तथा रोल में आयातित पेपर के बीच लागत का अंतर बहुत कम है जिससे कटाई और पैकिंग का प्रचालन वाणिज्यिक रूप से अव्यवहार्य हो जाता है। इस प्रकार विचाराधीन उत्पाद के दायरे से विशिष्ट रूप से बाहर किया गया अनकोटेड पेपर रोल, रील और बड़े आकार की शीट (अर्थात् ऊपर विनिर्दिष्ट आकारों से इतर) के रूप में लेखन, मुद्रण, फोटो कॉपी/कापी, अन्य ग्राफिक प्रयोजनों आदि के लिए प्रयुक्त प्रकार है।

(घ) विचाराधीन उत्पाद को सीमा शुल्क शीर्ष 4802 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और उत्पाद के दायरे पर किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है।”

13. अतः प्राधिकारी ने निर्धारित किया कि वर्तमान जांच में पीयूसी मूल जांच के समान रहेगा। विचाराधीन उत्पाद सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के सीमा शुल्क उप-शीर्ष 4802 के अंतर्गत वर्गीकृत है तथापि यह वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।
14. प्राधिकारी रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना से नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित विचाराधीन उत्पाद संबद्ध देशों से आयातित वस्तु के समान वस्तु है। भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित विचाराधीन उत्पाद और संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद तकनीकी विनिर्देशनों, कार्य या अंतिम प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन और वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय है। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ता इनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर रहे हैं।

घ. घरेलू उद्योग का दायरा और उसकी स्थिति

घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

15. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. मूल जांच में घरेलू उद्योग को परिभाषित किया गया था जिसमें सभी तीन उत्पादक अर्थात् जेके पेपर लिमिटेड, वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स लिमिटेड और तमिलनाडु न्यूजप्रिंट ऐंड पेपर्स लिमिटेड शामिल थे। निर्णायक समीक्षा जांच में इसे बदला नहीं जा सकता है।
- ख. घरेलू उद्योग के घटकों में बदलाव से घरेलू उद्योग की गैर-मौजूद क्षति के प्रदर्शन द्वारा गड़बड़ी का जोखिम रहेगा। प्राधिकारी के लिए यह सुनिश्चित करना अपेक्षित है कि क्षति संबंधी मापदंडों के मूल्यांकन को प्रभावित करने के लिए ऐसा कोई बदलाव न किए जाए।
- ग. घरेलू उद्योग के आवेदन के अगोपनीय अंश में घरेलू उद्योग की स्थिति संबंधी दी गई सूचना अपर्याप्त और अधूरी है क्योंकि उत्पादन के हिस्से का व्यापक दायरा बताया गया है।
- घ. आवेदक घरेलू उद्योग ने संभवतः प्रमुख हिस्से की अपेक्षा संबंधी सीमा को पूरा करने के लिए अन्य घरेलू उत्पादकों की कम उत्पादन मात्रा को लिया है।
- ड. वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स लिमिटेड और तमिलनाडु न्यूजप्रिंट ऐंड पेपर्स लिमिटेड की सूचना का अभाव हितबद्ध पक्षकारों के हितों के प्रति पक्षपातपूर्ण है।

घ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

16. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:-

- i. जेके पेपर लिमिटेड ने आवेदन दायर किया और आवेदन दायर करने के बाद वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स लिमिटेड और तमिलनाडु न्यूजप्रिंट ऐंड पेपर्स लिमिटेड (टीएनपीएल) ने आवेदन का समर्थन किया। सभी तीन कंपनियों के लिए समेकित प्रपत्र-एच सहित विहित प्रपत्रों में समस्त अपेक्षित सूचना दी गई है।
- ii. यदि अन्य दो घरेलू उत्पादकों वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स लिमिटेड और तमिलनाडु न्यूजप्रिंट ऐंड पेपर्स लिमिटेड की लागत निर्धारण सूचना को शामिल करना है तो उससे समग्र एनआईपी में वृद्धि हो जाएगी।
- iii. यह दावा करने का कोई आधार नहीं है कि घरेलू उद्योग का दायरा समीक्षा जांच में नहीं बदल सकता है। पूर्व के अनेक मामलों में ऐसे उदाहरण हैं जिनमें घरेलू उद्योग के दायरे को समीक्षा जांच में बदला गया है। एसबीआर से संबंधित जांच में मूल घरेलू उद्योग ने समीक्षा जांच के समय तक प्रचालन बंद कर दिया था।
- iv. यह तर्क कि घरेलू उद्योग के गठन में बदलाव से घरेलू उद्योग की गैर-मौजूद क्षति प्रदर्शित होगी, मामले के तथ्यों के संदर्भ के बिना केवल अंदाजा है। न्यायिक अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों में अपेक्षित है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी गैर-मौजूद भावी संभावित स्थित पर ध्यान देने के बजाय यह विचार करें कि क्या यह मुद्दा वर्तमान मामले के तथ्यों के संबंध में संगत है।
- v. निर्णायक समीक्षा जांच में स्थिति कोई अपेक्षा नहीं है। आवेदक संभवतः स्टीक आंकड़ों के प्रति जागरूक नहीं हो सकता है और एक बार टीएनपीसी और वेस्ट कोस्ट पर उनके समर्थन के पश्चात् विचार करने पर वास्तविक आंकड़ों की जानकारी मिलने पर स्थिति में संशोधन किया गया था। आवेदक ने टीएनपीएल और वेस्ट कोस्ट की संपूर्ण सूचना प्रस्तुत की है। इसके अलावा, प्रपत्र-एच कुल रूप में प्रस्तुत हुआ था और संशोधित गोपनीयता दावे सहित उसे बताया गया था।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

17. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग निम्नलिखित रूप में परिभाषित है:

“(ख) घरेलू उद्योग” का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में “घरेलू उद्योग” पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।”

18. यह आवेदन जेके पेपर लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। इसके अलावा यह आवेदन वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स लिमिटेड और तमिलनाडु न्यूजप्रिंट ऐंड पेपर्स लिमिटेड द्वारा समर्थित है। वर्तमान समीक्षा की शुरुआत के बाद समर्थक कंपनियों अर्थात् वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स लिमिटेड और तमिलनाडु न्यूजप्रिंट ऐंड पेपर्स लिमिटेड ने क्षति और लागत निर्धारण संबंधी सूचना प्रस्तुत की है।
19. आवेदक अर्थात् जेके पेपर लिमिटेड का उत्पादन भारत में कुल घरेलू उत्पादन का ***प्रतिशत बनता है। इस प्रकार जेके पेपर लिमिटेड नियमावली के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग है। अतः प्राधिकारी ने क्षति जांच में वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स लिमिटेड और तमिलनाडु न्यूजप्रिंट ऐंड पेपर्स लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत क्षति संबंधी सूचना पर विचार नहीं किया है। तथापि, चूंकि इन कंपनियों ने संगत सूचना दी है, इसलिए फिर भी यह पता लगाने हेतु इनकी अलग से जांच की गई है कि क्या उनका कार्य-निष्पादन आवेदक घरेलू उद्योग की तुलना में वास्तविक रूप से अलग स्थिति दर्शाता है।
20. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि जेके पेपर लिमिटेड ने जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है और वे संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के किसी उत्पादक या निर्यातक अथवा भारत में संबद्ध वस्तु के आयातक से संबंधित नहीं हैं।
21. उपर्युक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी मानते हैं कि जेके पेपर लिमिटेड नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग हैं और नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी मापदंडों को पूरा करते हैं।

ड. गोपनीयता

ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

22. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. घरेलू उद्योग द्वारा व्यापार सूचना का पालन नहीं करने से प्रतिवादियों को सूचना प्राप्त नहीं हुई है और तत्पश्चात् उन्होंने समग्र रूप से घरेलू उद्योग की स्थिति पर टिप्पणी नहीं की है।
- ख. यह गैर अनुपालन वर्तमान मामले में केवल इसलिए असंगत नहीं होता है कि घरेलू उद्योग ने किसी क्षति का दावा नहीं किया है। यह समझना चाहिए कि धारा 9क(5) और नियम 23(1ख) में “जारी” शब्द में भूतकाल और भविष्य के बीच एक अस्थायी संबंध शामिल है। इस प्रकार जब तक क्षति के संबंध में पूरी और स्टीक सूचना नहीं दी जाती है, संभावना संबंधी विश्लेषण नहीं हो सकता है।
- ग. आवेदक ने व्यापार सूचना 10/2018 के अनुबंध 1 के अनुसार आंकड़े/सूचना प्रस्तुत नहीं की है और मापदंडों को रिक्त छोड़ दिया है या व्यापार सूचना की अपेक्षाओं को नहीं मानने के कारण बताए बिना उसके व्यापार संवेदी सूचना होने का दावा किया है।
- घ. याचिकाकर्ता ने प्रपत्रों क,ख,ग,घ,ड, झ, ज,ट और ठ के संबंध में पूर्ण गोपनीयता का दावा किया है। वास्तविक आंकड़ों के अलावा, याचिकाकर्ता पर लागत, व्यय, समयावधि आदि के संगत शीर्षों वाले प्रपत्रों के अगोपनीय अंश का प्रकटन करने का दायित्व है, जिन पर घरेलू उद्योग ने विचार किया था।
- ड. याचिकाकर्ता व्यापार सूचना में +/-10 प्रतिशत की विहित रेंज के अनुसार याचिका में क्षति रहित कीमत रेंज प्रदान करने में विफल रहा है और इस संबंध में तर्कसंगत सूचना का अभाव हितबद्ध पक्षकारों के प्रति पक्षपात है क्योंकि इससे उस वास्तविक क्षति रहित कीमत का तर्क संगत अनुमान नहीं लग पाता है जिसे घरेलू उद्योग ने परिकलित करने का दावा किया है।
- च. आवेदक द्वारा कुल भारतीय उत्पादन में अपने हिस्से के अगोपनीय सारांश के रूप में मूल जांच में प्रदत्त 30-60 प्रतिशत की रेंज और संशोधित अतिरिक्त अनुरोध में बाद में प्रदत्त 20-40 प्रतिशत की रेंज गोपनीय सूचना के समुचित सारांश के रूप में नहीं मानी जा सकती क्योंकि इससे उसमें शामिल सूचना के तथ्य की तर्कसंगत समझ नहीं बनती है।

ड.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

23. गोपनीयता के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. वास्तविक सूचना का प्रकटन किसी एक घरेलू उद्योग को अन्य दो उत्पादकों के कार्य-निष्पादन का निर्णय लेने में तत्काल सक्षम बना देगा। यहां तक कि घरेलू प्रतिस्पर्धियों को व्यापार संवेदी सूचना मिल जायेगी। व्यापार सूचना दिशा-निर्देशों के बावजूद, प्राधिकारी ने अंतिम जांच परिणाम में कीमत मापदंडों के संबंध में गोपनीयता की अनुमति दी है, जहां पर घरेलू उद्योग के दायरे में तीन या उससे अधिक उत्पादक शामिल हों।
- ii. किसी हितबद्ध पक्षकार के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं है और टिप्पणी करने का विश्लेषण और क्षमता को कतिपय मात्रा संबंधी सूचना का प्रकटन नहीं करने के आधार पर खतरे में नहीं डाला गया है।
- iii. किसी मामले में आवेदक द्वारा दावा की गई गोपनीय सूचना अन्य पक्षकारों द्वारा भी दावा की गई गोपनीय सूचना के समान है।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

24. सूचना की गोपनीयता के संबंध में, पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 में निम्नलिखित प्रावधान है:

"गोपनीय सूचना: (1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में निहित किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि गोपनीयता के लिए अनुरोध न्यायसंगत नहीं अथवा सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने अथवा इसको सामान्य तौर पर अथवा संक्षिप्त रूप में उसे प्रकट करने के लिए अनिच्छुक हो, तो ऐसी सूचना की उपेक्षा की जा सकती है।

25. गोपनीयता के संबंध में घरेलू उद्योग और अन्य विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों की संगत समझी गई सीमा तक प्राधिकारी द्वारा जांच की गई थी और तदनुसार समाधान किया गया था। प्राधिकारी नोट करते हैं कि गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदत्त सूचना की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में विधिवत् रूप से जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां आवश्यक हो, गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को इसका प्रकटन नहीं किया है। जहां संभव हो, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर प्रदत्त सूचना का पर्याप्त अगोपनीय अंश प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि सभी हितबद्ध पक्षकारों ने अपनी व्यापार संबंधित संवेदनशील सूचना के गोपनीय होने का दावा किया है।

26. सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की गई थी कि वे अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोध का अगोपनीय अंश ई-मेल कर दें।

च. विविध मुद्दे

- च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

27. अन्य मुद्दों के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार निम्नानुसार हैं:

- i. दिनांक 11.08.2021 को हुई सुनवाई को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों, पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(6) और पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 6 के अनुसार इस कारणवश सुनवाई का एक कारगर अवसर नहीं माना जा सकता है कि:
 - क. कतिपय सूचना 10 अगस्त, 2021 को कार्य-घंटों के पश्चात् दी गई थी।
 - ख. सूचना अब भी व्यापार सूचना के अनुसार नहीं है। कतिपय महत्वपूर्ण सूचना जैसे लागत, बिक्री कीमत, लाभ, नकद प्रवाह, ब्याज दर, ब्याज, मूल्यहास, आदि के संबंध में छूट की मांग की गई है।
 - ग. थाइलैंड को बाहर रखकर एकबार मामला शुरू होने पर घरेलू उद्योग का दायित्व है कि वह थाइलैंड को बाहर रखकर क्षति संबंधी अद्यतन सूचना प्रदान करे।
 - घ. अन्यथा भी घरेलू उद्योग का ई-मेल सभी हितबद्ध पक्षकारों को चिन्हित नहीं किया गया था।
- ii. जांच शुरुआत के समय थाइलैंड को संबद्ध देशों से हटाए जाने के लिए अपनाई गई नीति के कारण किसी पक्षकार को सुनने से पहले या ऐसा निर्धारण करने के लिए अपेक्षित किसी सूचना के बिना प्राधिकारी द्वारा एक अन्तिम निर्णय लिया गया। किसी देश विशेष को बाहर रखने से अन्य देशों से ऐसे निर्यातकों को प्रति गंभीर पूर्वाग्रह हो सकता है जो एक ही बाजार में प्रतिस्पर्धा कर रहे हों।
- iii. जांच शुरुआत के स्तर पर किसी देश या किसी उत्पाद को बाहर रखने से गड़बड़ी और भेदभाव का वास्तविक जोखिम रहता है।
- iv. 3 वर्षों की सीमित अवधि के लिए पाटनरोधी शुल्क 5 वर्षों की सामान्य अवधि के बजाए प्राधिकारी द्वारा उचित समझा गया था क्योंकि सीमित अवधि के लिए संरक्षण घरेलू उद्योग को हुई क्षति को कम करने के लिए उचित माना गया था।
- v. जेके पेपर लिमिटेड, तमिलनाडु न्यूजप्रिंट एंड पेपर्स लिमिटेड और वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स लिमिटेड के लिए समेकित सूचना मौखिक सुनवाई से पहले प्रतिवादियों को नहीं बताई गई थी। कतिपय हितबद्ध पक्षकारों को आवेदक द्वारा सूचना का चुनिंदा प्रसार स्वाभाविक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है। कतिपय हितबद्ध पक्षकारों को मौखिक सुनवाई के बाद ही सूचना प्रदान की गई थी।

च.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

28. अन्य मुद्दों के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. घरेलू उद्योग ने 2 अगस्त, 2021 को समेकित सूचना शेयर की थी ताकि घरेलू उद्योग के गठन और दायरे के संबंध में प्राधिकारी के पूछने से पहले हितबद्ध पक्षकार उन पर टिप्पणी करने में समर्थ हो सकें। प्रपत्र-एच को मात्रा संबंधी मापदंडों के प्रकटन और कीमत मापदंडों की गोपनीयता के दावे के आवश्यक औचित्य बताने के बाद सुनवाई से एक दिन पहले शेयर किया गया था।
- ii. आवेदक ने ई-मेल के द्वारा सभी तीन कंपनियों की समेकित सूचना सहित 2 अगस्त, 2021 को सभी हितबद्ध पक्षकारों के साथ समस्त सूचना शेयर की थी जिसमें अप्रिल ग्रुप के कानूनी प्रतिनिधियों के दो ई-मेल आईडी शामिल थे। हितबद्ध पक्षकारों के पास घरेलू उत्पादकों की समेकित सूचना संबंधी टिप्पणियां करने के पर्याप्त समय और अवसर था।
- iii. आवेदक ने समेकित सूचना के अगोपनीय अंश को संशोधित किया था और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अत्यधिक गोपनीयता के मुद्दे के बाद 10 अगस्त, 2021 को ऐसी संशोधित सूचना शेयर की थी। आवेदक ने सूचना का चुनिंदा प्रसार नहीं किया था, परंतु एक त्रुटि की वजह से अप्रिल ग्रुप के साथ संशोधित अनुरोध को शेयर नहीं कर पाया। सुनवाई के पश्चात् इसमें तुरंत सुधार किया गया और शेयर किया गया।

- iv. डीजीटीआर के पास निर्णायक समीक्षा जांच में शामिल किए जाने वाले संबद्ध देशों संबंधी निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। संबद्ध देशों से थाईलैंड को बाहर रखने में कोई दुर्भावना नहीं है।
- v. यह कहना अतार्किक है कि संबद्ध देश में बदलाव हुआ है। शुल्कों में भी बदलाव करने की जरूरत है। आयात की मात्रा में गिरावट आई है और निर्यात कीमत अविश्वसनीय है, इसलिए शुल्कों को यथा मौजूद रूप से जारी रखना चाहिए। लागू मौजूदा शुल्क बेंचमार्क कीमतों के रूप में है जो मूल जांच में एनआईपी द्वारा निर्धारित थे।
- vi. जिस अवधि के लिए शुल्क लागू था, उसका किसी निर्णायक समीक्षा जांच से कोई संबंध नहीं होता है और उद्योग को निर्णायक समीक्षा की मांग करने और इस प्रकार अधिनियम और नियमावली के अंतर्गत शुल्क जारी रखने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। यह बताने के लिए ओ-एसिड मामले का संदर्भ दिया गया है कि परिपाटी उन मामलों में निर्णायक समीक्षा करने की नहीं है जिनमें शुल्क लागू करने की मूल अवधि 5 वर्ष से कम थी, जो गलत है।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

29. विभिन्न अनुरोधों की निम्नानुसार जांच की गई है:

- i. जहां तक संबद्ध देशों से जांच शुरू करने के स्तर पर थाईलैंड को बाहर किए जाने के अनुरोध का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि उसे बाहर रखा गया था क्योंकि थाईलैंड से निर्यात के संबंध में पाटन मार्जिन न्यूनतम स्तर से नीचे पाया गया था। आगे यह भी नोट किया जाता है कि जांच शुरू करने से पहले प्राधिकारी को आवेदन की प्रथम दृष्टया जांच करने की आवश्यकता है और इसलिए किसी ऐसे देश के खिलाफ जांच शुरू नहीं करने का अधिकार है जो जांच के लिए उपयुक्त नहीं है।
- ii. इस अनुरोध के संबंध में कि मूल शुल्क केवल 3 वर्ष की अवधि के लिए लगाया गया था और इसलिए निर्णायक समीक्षा शुरू नहीं की जानी चाहिए, यह नोट किया जाता है कि निर्णायक समीक्षा जांच उस अवधि पर निर्भर नहीं करती जिसके लिए मूल रूप से शुल्क लगाया गया था।
- iii. घरेलू उद्योग द्वारा समेकित सूचना शेयर करने संबंधी अनुरोध के बारे में यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा सभी हितबद्ध पक्षकारों को समेकित सूचना दी गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों के पास टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए उचित अवसर था।

छ. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

छ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

- 30. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
 - i. इंडोनेशिया के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित करने हेतु एक पेपर उत्पाद अर्थात् कैमेक्स ए4 कॉपी पेपर की एकमात्र कीमत का संदर्भ लेने की नीति अस्वीकार्य है। सर्वप्रथम, इस जांच के अधीन उत्पाद के दायरे में कॉपियर पेपर की व्यापक किस्में शामिल हैं। दूसरा, समान आकार के पेपर की कीमत भी प्रत्येक ब्रांड के लिए अलग-अलग हो सकती है क्योंकि गुणवत्ता, लाभ मार्जिन, उत्पाद लागत आदि जैसे अनेक कारक उत्पाद का कीमत निर्धारण प्रभावित करते हैं।
 - ii. इंडोनेशिया सरकार ने इंडोनेशिया सहित संबद्ध देशों के लिए पाटन मार्जिन की गणना हेतु मैपलिथो के आंकड़ों पर निर्भर रहने की आवेदक की पद्धति पर प्रश्न उठाया है।
 - iii. इंडोनेशिया में एक विशेष बाजार स्थिति की मौजूदगी से संबंधित दावा त्रुटिपूर्ण है। आवेदक ने जांच अवधि के दौरान लागू संगत कानूनों और विनियमों के संबंध में किसी सूचना या तथ्य को प्रदान किए बिना ए4 कॉपियर पेपर के संबंध में पाटनरोधी जांच पर आस्ट्रेलियाई प्राधिकारी के निष्कर्ष को केवल

- काँपी कर दिया है। इसके अलावा, आवेदक द्वारा वर्तमान मामले और पूर्ववर्ती मामले की संदर्भित जांच अवधि अलग-अलग है।
- iv. नियम 23(1ख) के अनुसार किसी निर्णायक समीक्षा जांच में “विशेष बाजार स्थिति” की पहली बार जांच नहीं की जा सकती है।
 - v. प्राधिकारी ने पूर्व में लगातार केवल सब्सिडीरोधी जांच के माध्यम से पर्याप्त मूल्य से कम पर कच्ची सामग्री उपलब्ध होने के मुद्दे की जांच करने का निर्णय लिया है।
 - vi. एडीसी के जांच परिणाम जहां तक वर्तमान जांच का संबंध है, कोई प्रासंगिकता नहीं रखते हैं क्योंकि पिंडो डेलि और आईके के विरुद्ध शुल्क को एडीसी द्वारा रिव्यू 547 के जरिए हटाया गया था। पीएमएस के संबंध में उक्त समीक्षा में जांच परिणाम उनके लिए सार्थक नहीं हैं। अप्रिल के लिए एडीसी ने नोट किया कि उसकी घरेलू बिक्रियां सामान्य मूल्य निर्धारित करने में प्रयोग हेतु उपयुक्त हैं और इसलिए उन पर विचार किया गया है।
 - vii. ईसी-फास्टनर्स मामले में डब्ल्यूटीओ अपीलीय निकाय ने दो स्थितियों की परिकल्पना की है, जिनमें “विशेष बाजार स्थिति” का मौजूद होना कहा जा सकता है (i) उसके व्यापार की एक संपूर्ण या पर्याप्त रूप से संपूर्ण एकाधिकार और (ii) जहां सभी घरेलू कीमतें सरकार द्वारा तय की जाती हैं।
 - viii. घरेलू उद्योग ने इस प्रश्न का समाधान भी नहीं किया कि यदि यह माना जाए कि सरकारी नीतियों से इंडोनेशिया में कच्ची सामग्री की लागत कम होती है तो इस तथ्य पर विचार किए बिना सभी वस्तुओं की लागतें कि क्या वे घरेलू या निर्यात बाजार से प्रभावित हुई थीं।
 - ix. पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का निर्धारण ईक्यूआर में प्रतिवादियों द्वारा प्रदत्त सूचना पर आधारित होना चाहिए और न कि आवेदक द्वारा किए गए दावों/मान्यताओं के आधार पर।
 - x. भागीदार उत्पादकों/निर्यातकों के निर्यातक प्रश्नावली के उत्तरों में सूचित संबद्ध वस्तु की निर्यात कीमत पर प्राधिकारी को भरोसा करना चाहिए। पाटन, क्षति और संभावना विश्लेषण के लिए इंडोनेशिया के सीमा शुल्क आंकड़ों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि इंडोनेशिया के सीमा शुल्क आंकड़े सिंगापुर के रास्ते किए गए निर्यातों की कीमतों को नहीं दर्शाएंगे। ये दावे कि संभावित मार्जिनों के लिए मैपलिथो पेपर के आयात आंकड़े पर भरोसा करना चाहिए, त्रुटिपूर्ण हैं क्योंकि वह पीयूसी नहीं है और एक अलग उत्पाद है और ऐसे भरोसे के लिए कोई कानूनी आधार नहीं दिया गया है।
 - xi. इंडोनेशिया गणराज्य में ऐसी कोई विशेष बाजार स्थिति प्रचलित नहीं है जिसमें पाटन मार्जिन के निर्धारण हेतु वास्तविक घरेलू बिक्री कीमत को अस्वीकार करना आवश्यक हो। मूल जांच में किसी पीएमएस का तर्क नहीं दिया गया था। पेपर संबंधी आस्ट्रेलिया – पाटनरोधी उपाय मामले में डब्ल्यूटीओ पैनल ने नोट किया कि “विशेष बाजार स्थिति”, वाक्य केवल तभी संगत है यदि उससे सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के बीच कीमत तुलना प्रभावित होती हो। समीक्षा में आस्ट्रेलियाई आयोग ने नोट किया कि पीएमएस के बावजूद अप्रिल की घरेलू बिक्रियों और उसकी निर्यात बिक्रियों के बीच तुलना की अनुमति उचित है। विस्कोस स्टेपल फाइबर के लिए भी पल्प कच्ची सामग्री है, जिस पर प्राधिकारी ने हाल में एसएसआर की है, परन्तु विस्कोस स्टेपल फाइबर एसएसआर मामले में पीएमएस का कोई दावा नहीं था।
 - xii. इंडोनेशियाई निर्यातकों ने अपने वित्तीय रिकॉर्डों को जीएएपी के आधार पर रखा है, और इंडोनेशियाई निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण डब्ल्यूटीओ एडीए द्वारा यथा-अधिदेशित प्रश्नावली के उत्तर के जरिए उनके द्वारा प्रदत्त आंकड़ों और सूचना पर आधारित होगा।

- xiii. 2016 में की गई एक एडीसी जांच के बारे में याचिकाकर्ता का संदर्भ गुमराह करने वाला है। यद्यपि इंडोनेशिया के विरुद्ध एडीडी लगाने हेतु आवेदन हुआ था, तथापि इसे लगाना मामले की अंतिम और वास्तविक स्थिति नहीं दर्शाता है।
- xiv. इंडोनेशिया सरकार ने अपीलीय निकाय ईयू – बायोडीज़ल मामले का संदर्भ दिया और यह बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय कीमत के साथ इंडोनेशिया में लागत और कीमतों को समायोजित करने के अनुरोध पर ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि यह केवल इस धारणा पर आधारित है कि इंडोनेशिया में विशेष बाजार स्थिति मौजूद है और यह पर्याप्त आधार द्वारा समर्थित नहीं है।
- xv. इंडोनेशियाई उत्पादकों की घरेलू कीमतें सामान्य मूल्य के निर्धारण में प्रयोग हेतु उपयुक्त नहीं हैं क्योंकि इंडोनेशियाई उत्पादकों की वास्तविक घरेलू कीमत और निर्यात कीमत एडीए के अनुच्छेद 2.2 के अनुसार बिना खंडन के उचित तुलना की अनुमति देती है और आवेदक को संदर्भ के रूप में आस्ट्रेलियाई जांच के प्रयोग द्वारा प्राधिकारी को गुमराह नहीं करना चाहिए था।

छ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

31. घरेलू उद्योग द्वारा सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. डीजीसीआईएंडएस आंकड़ों के अनुसार, इंडोनेशिया से वर्तमान आयात कीमत विश्वसनीय नहीं है और पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बाद अनकोटेड कोपियर पेपर और मैपलिथो पेपर की आयात कीमत में भारी अंतर मौजूद है। इंडोनेशियाई सीमा शुल्क आंकड़ों के अनुसार निर्यात कीमत भारतीय सीमा शुल्क में सूचित कीमतों की तुलना में काफी अंतर दर्शाती है। इस भारी अंतर के लिए किसी पक्षकार द्वारा कोई औचित्य नहीं बताया गया है। इसलिए आवेदक अनुरोध करता है कि निर्यात कीमत को इंडोनेशियाई सीमा शुल्क में सूचित एफओबी निर्यात कीमत के आधार पर निर्धारित करना चाहिए। संभावना प्रयोजनों के लिए रोल में अनकोटेड पेपर की आयात कीमत पर विचार किया जाना चाहिए।
- ii. इंडोनेशिया सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों के कारण इंडोनेशिया में विशेष बाजार स्थिति प्रचलित है जिससे कच्ची सामग्रियों की कीमतें कृत्रिम रूप से कम हैं, जो सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के बीच कीमत तुलनीयता को प्रभावित करता है। इसके अलावा, पीएमएस से निर्यातकों को घरेलू बाजार में कृत्रिम रूप से कम कीमतों पर संबद्ध वस्तु बेचने के लिए अनुचित लागत लाभ मिलता है और उन बाजारों के सभी अन्य आपूर्तिकर्ताओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय/निर्यात बाजार में भारी लाभ मिलता है।
- iii. पीटी पैत्रिकेरेटस तिजवि टीबीके(टीबीके) ने अपने इक्यूआर में अधिकांश बातों के गोपनीय होने का दावा किया है जिसमें सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध सूचना शामिल है, इसलिए आवेदक सूचना पर टिप्पणी करने के लिए पूर्वाग्रह से ग्रस्त है।
- iv. पीटी इंदाह कियात पल्प एंड पेपर टीबीके(आईके) ने अपने इक्यूआर में अधिकांश सूचना के गोपनीय होने का दावा किया है और इसलिए आवेदक उन पर टिप्पणी करने में असमर्थ है।
- v. पीटी पिंडो डेलि पल्स एंड पेपर मिल्स के इक्यूआर में अधिकांश सूचना के गोपनीय होने का दावा किया गया है और इसलिए आवेदक उन पर टिप्पणी करने में असमर्थ है।
- vi. आस्ट्रेलियाई आयोग ने माना था कि पीएमएस से ऐप ग्रुप के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के बीच उचित कीमत तुलना नहीं हो पाती है और यह कि पीएमएस एक अन्य जांच परिणाम में अप्रिल ग्रुप के लिए कीमत तुलना को प्रभावित नहीं करता है। इसलिए कीमत और लागत तुलनीयता प्रत्येक जांच के लिए एक तथ्य आधारित परीक्षण होता है जो उस अवधि के लिए संगत सूचना पर आधारित होता है। निर्यातक को यह सिद्ध करना होगा कि पीएमएस कीमत तुलना पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता है।

- vii. आवेदक ने इंडोनेशिया के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित करने हेतु विभिन्न वेबसाइटों पर विक्रेताओं द्वारा प्रकाशित कीमतों पर विचार किया है क्योंकि कोई अन्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं था। उन कीमतों पर खुदरा स्तर पर विचार किया गया और संबद्ध देशों में प्रचलित वास्तविक कीमत ज्ञात करने के लिए आवश्यक समायोजन किए गए थे। यही सामान्य मूल्य सिंगापुर के लिए भी माना गया है।
- viii. पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बावजूद पाटन का सकारात्मक रहना जारी है।
- ix. क्षति आयातों के कारण नहीं हुई है। डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों में सूचित आयात कीमत अविश्वसनीय है क्योंकि यह इंडोनेशिया और भारतीय सीमा शुल्क के आंकड़ों में सूचित आयात कीमतों से वास्तविक रूप से भिन्न हैं और इंडोनेशिया सरकार को यह दर्शाना चाहिए कि भारत में आयातकों ने उच्चतर कीमत कैसे दर्शाई है, जबकि उनके स्वयं के आंकड़े काफी कम कीमत दर्शाते हैं।
- x. प्रस्तुत इक्यूआर के अनुसार यह स्पष्ट है कि घरेलू बिक्रियों में पीओआई में गिरावट आई है, जो इंडोनेशिया सरकार के इस अनुरोध के विपरीत है कि मांग स्थिर है और बढ़ रही है। यद्यपि, पीओआई में आयात में गिरावट आई है, तथापि, वैश्विक रूप से और इंडोनेशिया में मांग में गिरावट से इंडोनेशिया के उत्पादकों के पास अतिरिक्त क्षमता बढ़ने की संभावना है जिससे शुल्क समाप्त होने पर भारत उनके लिए आकर्षक बाजार बन जाएगा।
- xi. विदेशी उत्पादकों को यह सिद्ध करना होगा कि गुणवत्ता, लाभ मार्जिन, उत्पाद लागत आदि जैसे कारकों के साथ समान आकार के पेपर की कीमतों में अंतर होता है और न कि इंडोनेशिया की सरकार (जीओआई) को। जीओआई द्वारा गुणवत्ता का अर्थ सिद्ध नहीं किया गया है, न ही उसके प्रभाव की मात्रा बताई गई है। गुणवत्ता, लाभ मार्जिन या लागत में अंतर से पाटन नहीं हो सकता है क्योंकि ये सभी कारक सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर भी समान रूप से लागू होते हैं।
- xii. इंडोनेशिया की सरकार को सकारात्मक साक्ष्य सहित यह सिद्ध करना होगा कि यूएसआईटीसी, आस्ट्रेलियन आयोग (डब्ल्यूटीओ पैनल की रिपोर्ट में सही पाया गया) द्वारा हाल में निष्कर्षित तथ्यों ने सरकार के जिन विभिन्न कार्यों और/या नीतियों के कारण विशेष बाजार स्थिति सिद्ध की है, वे अब मौजूद नहीं हैं। इसके विरुद्ध साक्ष्य के अभाव में इसे उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर सिद्ध करना होगा कि ऐसी स्थिति अब भी मौजूद है।
- xiii. इस तर्क का कोई आधार नहीं है कि मूल जांच में विशेष बाजार स्थिति का दावा नहीं किया गया था, इसलिए पीएमएस का आरोप नहीं लगाया जा सकता है और अनुच्छेद-2 के अंतर्गत पाटन मार्जिन के निर्धारण के समय निर्णायक समीक्षा जांच में इसकी जांच नहीं की जा सकती है।
- xiv. इससे इंकार नहीं हो सकता है कि पीएमएस के कारण प्रतिसंतुलन योग्य सब्सिडियां हो सकती हैं परंतु पीएमएस की जांच इससे प्रतिबंधित नहीं होती है क्योंकि सब्सिडी एलटलएआर का एक रूप है। आस्ट्रेलियाई प्राधिकारी ने लॉग्स पर निर्यात बैन पर प्रतिसंतुलन योग्य सब्सिडी के रूप में विचार नहीं किया था। तथापि, पीएमएस के लिए इसे एक संगत मापदंड माना था। समीक्षा जांच में पिंडो डेलि ग्रुप के विरुद्ध शुल्क नहीं बढ़ाया गया था क्योंकि पाटन मार्जिन नगण्य था। कीमत तुलनीयता को प्रभावित करने वाली पीएमएस स्थिति पर वर्तमान मामले के तथ्यों के आधार पर सत्यापन किया जाना चाहिए।
- xv. ईसी फास्टनर्स मामले का संदर्भ गलत है क्योंकि यह मामला विशेष बाजार स्थिति से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है।
- xvi. घरेलू उद्योग ने बताया है कि विभिन्न सरकारी नीतियों द्वारा लागत के कम होने से केवल घरेलू कीमत प्रभावित हुई है और न कि निर्यात कीमत।
- xvii. निर्यातक द्वारा प्रस्तुत सूचना की इस पृष्ठभूमि में आलोचनात्मक समीक्षा की जानी चाहिए कि क्या निर्यातक विशेष बाजार स्थिति द्वारा प्रभावित हुए हैं और ऐसी विशेष बाजार स्थिति कीमत तुलनीयता

को प्रभावित करती है, और यदि यह बात अपेक्षित सीमा तक सही और सत्य पाई जाती है तो मार्जिनों के लिए इस पर विचार किया जा सकता है।

- xviii. प्राधिकारी सिंगापुर में व्यापारी द्वारा प्रभारित कीमतों और खर्चों का सत्यापन कर सकते हैं।
- xix. कीमत और लागत तुलनीयता प्रत्येक जांच के लिए एक तथ्य आधारित परीक्षण है जो उस अवधि के लिए संगत सूचना पर आधारित होता है। अतः निर्यातकों को यह सिद्ध करना चाहिए कि पीएमएस से कीमत तुलना प्रतिकूलतः प्रभावित नहीं होती है। भारतीय प्राधिकारी अप्रिल ग्रुप के लिए आस्ट्रेलियाई आयोग के निर्धारण को सरलता से स्वीकार नहीं कर सकते हैं और उन्हें अलग से भी जांच करनी होगी।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

32. अधिनियम की धारा 9क(1)(ग) के अनुसार, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

- (i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
- (ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:-

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा

(ख) उपधारा- (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;

वशर्ते यदि उक्त वस्तु का आयात उद्गम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल यानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

33. जांच शुरुआत के समय प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार करते हुए सामान्य मूल्य निर्धारित किया था और प्राधिकारी ने जांच की शुरुआत के लिए उसे पर्याप्त समझा था। तथापि, वर्तमान निर्णायक समीक्षा की शुरुआत के बाद संबद्ध देशों से उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रश्नावली का उत्तर दिया और सामान्य मूल्य संबद्ध देशों से उत्पादकों/निर्यातकों से प्राप्त सूचना के आधार पर निर्धारित किया गया है।
34. आवेदक ने इंडोनेशिया में विशेष बाजार स्थिति की मौजूदगी का आरोप लगाया है और यह बताया है कि प्रमुख निविष्टि की अंतर्राष्ट्रीय कीमत के लिए लागत को समायोजित करना अपेक्षित है। आवेदक ने अनुरोध किया है कि इंडोनेशिया सरकार ने विभिन्न नीतियों और कार्यवाहियों के द्वारा निविष्टि सामग्री (लकड़ी की लुग्दी) की कीमतों को कृत्रिम रूप से प्रभावित और कम किया है।
35. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने पर्याप्त वास्तविक साक्ष्य प्रदान नहीं किए हैं कि विशेष बाजार स्थिति की कथित मौजूदगी से इंडोनेशिया के घरेलू बाजार में अनकोटेड कोपियर पेपर की बिक्री कीमत में गड़बड़ी हुई है। घरेलू उद्योग ने सरकारी हस्तक्षेप के कारण कच्ची सामग्री की कम कीमत की वजह से विशेष बाजार स्थिति का दावा किया है। तथापि, घरेलू उद्योग ने यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य या स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि इंडोनेशिया में सरकारी हस्तक्षेप के कारण कच्ची सामग्री बुड पल्प की कथित कम कीमत से घरेलू बाजार में उत्पाद की कीमत में विकृति और कमी आई है। यदि यह माना भी जाता है कि कच्ची सामग्री बुड पल्प की कीमतें इंडोनेशिया में

सरकारी हस्तक्षेप के कारण कृत्रिम रूप से कम की गई हैं तो भी यह दर्शाने वाला कोई साक्ष्य नहीं है कि इससे केवल घरेलू बाजार में कीमतें कम हुई हैं और न कि निर्यात बाजार में।

36. इस प्रकार, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इंडोनेशिया से उत्पादकों/निर्यातकों की कच्ची सामग्री की वास्तविक लागत को अस्वीकार करने के लिए रिकॉर्ड में कोई पर्याप्त साक्ष्य नहीं है।
37. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजी थी जिसमें उन्हें प्राधिकारी द्वारा विहित ढंग और तरीके से सूचना देने की सलाह दी गई थी। संबद्ध देशों से निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है:
 - क. पीटी. इंडाह कियात पल्स ऐंड पेपर टीबीके (“आईके”)
 - ख. पी.टी. पिंडो-डेल पल्प ऐंड पेपर मिल्स (“पीडी”)
 - ग. पीटी. पैत्रिककेरताज तजिवि किमिया टीबीके. (“टीके”)
 - घ. पीटी रियान अंदलानकेरतास (“टीके”)
 - ड. पीटी अनुग्रहकेरतास उतामा (“एकेयू”)
 - च. पीटी एशिया पैसिफिक रेयान (“एपीआर”)
 - छ. अप्रिल इंटरनेशनल इंटरप्राइज पीटीई. लिमिटेड (“एआईई”)
 - ज. पीटी सरना जाया अंदलान, इंडोनेशिया (“पीटी एसजेए”)

इंडोनेशिया

पीटी रियायू एनदलानकेरतास, पीटी अनुग्रहकेरतास उतामा और पीटी एशिया पैसिफिक रेयन, इंडोनेशिया, (“उत्पादक”) (“अप्रिल ग्रुप”) के लिए सामान्य मूल्य

38. पीटी रियायू एनदलानकेरतास (“आरएके”), पीटी अनुग्रहकेरतास उतामा (“एकेयू”) और पीटी एशिया पैसिफिक रेयन (“एपीआर”) इंडोनेशिया में विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में शामिल हैं। तीन उत्पादक कंपनियों ने संगत प्रपत्रों में समस्त संगत सूचना प्रदान की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि सभी कंपनियों ने पीओआई के दौरान घरेलू बाजार में विचाराधीन उत्पाद की बिक्रियां की हैं। तथापि, केवल आरएके द्वारा विनिर्मित विचाराधीन उत्पाद का जांच अवधि के दौरान भारत को निर्यात किया गया है।
39. प्राधिकारी ने सभी उत्पादकों द्वारा की गई घरेलू बिक्रियों की जांच की है और नोट किया है कि घरेलू बाजार में बिक्रियां भारत को विचाराधीन उत्पाद के निर्यात की तुलना के समय प्रतिनिधि हैं। अतः प्राधिकारी ने आरएके, एकेयू और एपीआर की घरेलू बिक्रियों के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करने का निर्णय लिया है।
40. सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद की उत्पादन लागत के संदर्भ में लाभ कमाने वाले घरेलू बिक्री सौदों को निर्धारित करने हेतु व्यापार की सामान्य प्रक्रिया परीक्षण किया है। उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत विधिवत् रूप से सत्यापित की गई थी और व्यापार की सामान्य प्रक्रिया संबंधी परीक्षण करने हेतु उसे अपनाया गया था। प्राधिकारी ने संबंधित पक्षकारों से कच्ची सामग्री (वुड पल्प) की खरीद के व्यौरों की भी जांच की थी और संबंधित पक्षकारों के बीच निकटवर्ती कीमत निर्धारण के संबंध में स्वयं को संतुष्ट किया। यदि लाभ वाले सौदे 80 प्रतिशत से अधिक हैं तो प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु घरेलू बाजार में सभी सौदों पर विचार किया है और यदि लाभ कमाने वाले सौदे 80 प्रतिशत से कम हैं तो सामान्य मूल्य के निर्धारणार्थ केवल लाभप्रद घरेलू बिक्रियों पर विचार किया गया है। इस मामले में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया परीक्षण के आधार पर सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु सभी घरेलू बिक्रियों को लिया गया है क्योंकि लाभप्रद बिक्रियां 80 प्रतिशत से अधिक थीं। आरएके, एकेयू और एपीआर ने अंतरदेशीय परिवहन, समलाई और अन्य व्यय, समुद्री भाड़ा (एक द्वीप से दूसरे तक), बीमा, ऋण लागत, रिबेट/छूट और पैकिंग लागत के

लिए समायोजनों का दावा किया है और प्राधिकारी ने उनकी अनुमति दी है। तदनुसार, भागीदार उत्पादकों के लिए कारखानाद्वारा स्तर पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया गया है और अप्रिल ग्रुप के लिए नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में यथा-उल्लिखित भारत औसत सामान्य मूल्य निर्धारित किया गया है।

पीटी रियायू एनदलानकेरतास, पीटी अनुग्रहकेरतास उटामा और पीटी एशिया पैसिफिक रेयन, इंडोनेशिया, ("उत्पादक") और उनके संबंधित निर्यातक अप्रिल इंटरनेशनल एंटरप्राइज पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर, इंडोनेशिया में असंबंधित व्यापारी, पीटी सरना जाया अंदालान ("पीटी एसजेए") और संबंधित आयातक एआईई फाइबर रिसोर्स एंड ट्रेडिंग (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड ("एएफआरटी इंडिया")

41. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पीटी रियायू एनदलानकेरतास("आरएके") द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु दो व्यापारियों अर्थात् पीटी सरना जाया अंदालान ("पीटी एसजेए") और अप्रिल इंटरनेशनल एंटरप्राइज पीटीई लिमिटेड ("एआईई") के ज़रिए पीओआई के दौरान भारत को निर्यात की गई है। एआईई, आरएके से संबंधित है। एआईई द्वारा भारत को समस्त निर्यात संबंधित आयातक एआईई फाइबर रिसोर्स एंड ट्रेडिंग (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड ("एएफआरटी इंडिया") को किए गए हैं जिसने हाई सी सेल्स आधार पर भारत में असंबंधित ग्राहकों को विचाराधीन उत्पाद की पुनः बिक्री की है। पीटी एसजेए, आरएके से संबंधित नहीं है और उसने भारत में असंबंधित ग्राहकों को सीधे विचाराधीन उत्पाद का निर्यात किया है। इन सभी कंपनियों ने विहित प्रपत्रों में संगत सूचना प्रदान की है।
42. यह भी नोट किया गया था कि कुछ मामलों में विचाराधीन उत्पाद को बार्जेज पर सिंगापुर को निर्यात किया गया है और उसके बाद सिंगापुर में उसे भारत और अन्य देशों को निर्यात के लिए उतारा और चढ़ाया गया है।
43. प्राधिकारी ने अंतरदेशीय भाड़े, इंडोनेशिया में पत्तन समलाई प्रभार, ऋण लागत, पैकिंग लागत, रिबेट, समुद्री भाड़ा, बार्जिंग लागत, सिंगापुर में समलाई व्यय के लिए समायोजनों के पश्चात कारखानाद्वारा निर्यात कीमत ज्ञात की है। प्राधिकारी ने एआईई द्वारा उठाए गए घाटों के लिए भी समायोजन किया है। प्राधिकारी ने एएफआरटी इंडिया की लाभप्रदता की भी जांच की है और नोट किया है कि एएफआरटी ने भारत में असंबंधित ग्राहकों को संबद्ध वस्तु की पुनः बिक्री पर लाभ कमाया है। अप्रिल ग्रुप के लिए निर्यात कीमत निर्धारित की गई है जो नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

मै. पीटी इंडाह कियात पल्स एंड पेपर टीबीके, इंडोनेशिया, पीटी पिंडो दिल्ली पल्स और पेपर मिल्स, इंडोनेशिया और पीटी पब्रिकेक्रेताज तजिवि किमिया टीबीके, इंडोनेशिया ("उत्पादक") ("एपीपी ग्रुप")

सामान्य मूल्य

44. ऐप ग्रुप अर्थात् मै. पीटी इंडाह कियात पल्स एंड पेपर टीबीके, पीटी पिंडो डेलि पल्स एंड पेपर मिल्स एंड पीटी पैत्रिकेक्रेताज जिवि किमिया टीबीके इंडोनेशिया में उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत उत्तर से प्राधिकारी नोट करते हैं कि सभी कंपनियों ने पीओआई के दौरान घरेलू बाजार में विचाराधीन उत्पाद की बिक्री की है। तथापि, निर्यात कीमत निर्धारण से संबंधित नीचे पैराग्राफ में उल्लिखित कारणों की वजह से प्राधिकारी ऐप ग्रुप द्वारा प्रस्तुत उत्तरों को स्वीकार नहीं करते हैं और ऐप ग्रुप के लिए अलग-अलग पाटन मार्जिन निर्धारित नहीं करेंगे।

निर्यात कीमत

45. ऐप ग्रुप अर्थात् मै. पीटी इंडाह कियात पल्स एंड पेपर टीबीके(आईके), पीटी पिंडो डेलि पल्स एंड पेपर मिल्स(पीडी) एंड पीटी पैत्रिकेक्रेताज जिवि किमिया टीबीके(टीके), इंडोनेशिया में उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत उत्तर से प्राधिकारी नोट करते हैं कि केवल आईके ने पीओआई के दौरान भारत को उसके द्वारा विनिर्मित विचाराधीन उत्पाद का निर्यात किया है। आईके ने पीओआई के दौरान सीधे तथा असंबंधित व्यापारियों के ज़रिए भारत को निर्यात किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि असंबंधित व्यापारियों के ज़रिए भारत को निर्यात की मात्रा पीओआई के दौरान भारत को आईके द्वारा कुल निर्यातों के 30 प्रतिशत से अधिक है। इन असंबंधित व्यापारियों ने वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में भाग नहीं लिया है और प्राधिकारी के समक्ष निर्यातक प्रभावली

का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। इस तथ्य पर विचार करते हुए कि असंबंधित असहयोगी व्यापारियों के ज़रिए निर्यात भारत को आईके द्वारा कुल निर्यात के 30 प्रतिशत से अधिक है। प्राधिकारी अपनी संगत परिपाटी को ध्यान में रखते हुए ऐप ग्रुप द्वारा प्रस्तुत उत्तर को स्वीकार नहीं करते हैं और इसके बजाय उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्यात कीमत निर्धारित करते हैं।

इंडोनेशिया में अन्य सभी असहयोगी उत्पादक/निर्यातक

46. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इंडोनेशिया से किसी अन्य उत्पादक/निर्यातक ने वर्तमान जांच में प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया है, असहयोग के मद्देनजर प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के अनुसार सभी असहयोगी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित किया है।
47. निर्यात कीमत के संबंध में उत्पादकों/निर्यातकों के असहयोग के मद्देनजर प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सभी असहयोगी उत्पादकों के लिए निर्यात कीमत निर्धारित की है। इंडोनेशिया के सभी असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

सिंगापुर

48. रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना से प्राधिकारी नोट करते हैं कि सिंगापुर में विचाराधीन उत्पाद का कोई उत्पादक नहीं है। इंडोनेशिया में विनिर्मित विचाराधीन उत्पाद को कभी-कभी सिंगापुर में उतारा जाता है और उसके बाद सिंगापुर से भारत को निर्यात किया जाता है। सिंगापुर में निर्यातकों ने इस जांच में उत्तर दिया है। सिंगापुर से इन निर्यातकों के लिए इंडोनेशिया से उनके संबंधित उत्पादकों के साथ पहले ही अलग/पृथक पाटन मार्जिन निर्धारित किया गया है।

अतः, सिंगापुर से इन निर्यातकों के लिए कोई अलग पाटन मार्जिन निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है।

पाटन मार्जिन

49. ऊपर स्पष्ट किए गए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत को ध्यान में रखते हुए नोट किया जाता है कि पाटन मार्जिन, नियमावली के तहत निर्धारित न्यूनतम से कम सीमा से अधिक है।

पाटन मार्जिन तालिका

उत्पादक	सामान्य मूल्य अम. डॉलर प्रति टन में	निर्यात कीमत प्रति टन	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन का प्रतिशत	पाटन मार्जिन की रेंज
- पीटी रियाऊ अंडालन केरटास - पीटी अनुग्रह केरटास उतामा - पीटी एशिया पेसिफिक रेयॉन	***	***	***	***	35-45%

ज. क्षति एवं कारणात्मक संबंध का मूल्यांकन

ज. 1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन

50. क्षति एवं कारणात्मक संबंध के बारे में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- आवेदक के आर्थिक सूचक आवेदक की इस मान्यता के विरुद्ध हैं कि क्षति अब भी मौजूद है। सूचक दर्शाते हैं कि आवेदक तथा अन्य घरेलू उत्पादकों को कोई क्षति नहीं हुई है। क्षति की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि आयातों और घरेलू उत्पादकों की बिक्री के बीच अंतर बहुत अधिक है।

- ii. कीमत कटौती केवल दो अवधियों में हुई है अर्थात् 2017-18 और 2019-2020। वर्ष 2019-2020 में कथित कीमत कटौती घरेलू प्रतिस्पर्धा के साथ जोड़ी जा सकती है इसका कारण आयातों को नहीं माना जा सकता है।
- iii. इस तथ्य के बावजूद कि जांच अवधि की अधिकांश अवधि कोविड-19 वैश्विक महामारी से प्रभावित थी, घरेलू उद्योग ने अपने कार्य निष्पादन में सुधार किया। किसी भी पूर्ववर्ती वर्ष तथा जांच अवधि में आयातों और घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन के बीच कोई संबंध नहीं है।
- iv. सम्बद्ध देशों से हुए कुल आयातों में गिरावट आई, जो आधार वर्ष में 86,990 टन से घटकर जांच अवधि में 21,019 टन रह गए थे।
- v. याचिकाकर्ता द्वारा क्षमता के संबंध में प्रस्तुत की गई सूचना अविश्वसनीय है। वर्ष 2018-19 और 2019-20 की वार्षिक रिपोर्टें दर्शाती हैं कि घरेलू उद्योग ने वर्ष 2018 में क्षमता विस्तार किया था, जब इसने सिरपुर पेपर मिल्स का अधिग्रहण किया था और क्षमता वर्ष 2018-19 में 4,55,000 से बढ़कर वर्ष 2019-2020 में 5,91,000 हो गई।

ज. 2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन

51. क्षति एवं कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- i. पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बावजूद पाटन मार्जिन सकारात्मक बनी हुई है।
- ii. सम्बद्ध वस्तुओं की मांग में पूरी क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई, परंतु कोविड वैश्विक महामारी के कारण विश्वव्यापी मंदी की वजह से जांच अवधि के दौरान इसमें गिरावट आई।
- iii. शुल्क लगाए जाने के बाद जांच अवधि में सम्बद्ध देशों से आयातों की मात्रा में गिरावट आई और आयातों में तुलनात्मक रूप में यही रुझान देखा गया।
- iv. अविश्वसनीय आयात मूल्य के कारण जांच अवधि में कीमत कटौती नकारात्मक है। इंडोनेशिया के सीमा शुल्क के अनुसार निर्यात कीमत पर विचार करते हुए कीमत कटौती अत्यधिक सकारात्मक है और शुल्क समाप्त कर दिये जाने की स्थिति में आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती होने की संभावना है।
- v. जब सम्बद्ध वस्तुओं और मैपलिथो पेपर की तुलना माप की समान इकाई (मी. टन) में की जाती है, तब उनकी कीमतें एक दूसरे का प्रतिनिधित्व करती हैं, क्योंकि मामूली अंतर जीएसएम का होता है। मैपलिथो का संदर्भ केवल (क) सम्बद्ध वस्तुओं की वास्तविक आयात कीमत की विश्वसनीयता का आकलन करने और (ख) सम्बद्ध वस्तुओं की कीमतों की संभावना का आकलन करने और यह प्रदर्शित करने के लिए दिया गया है कि मैपलिथो की आयात कीमत वह आयात कीमतें हैं, जिन पर सम्बद्ध वस्तुओं की बिक्री की जाएगी, यदि शुल्क समाप्त कर दिया जाता है।
- vi. आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में अत्यधिक कीमत कटौती होगी, जिससे कीमतों में दबाव और मंदी आएगी और इससे कम कीमत पर बिक्री भी होगी।
- vii. पिछले कुछ वर्षों के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता स्थिर बनी रही है, जबकि क्षमता उपयोग, उत्पादन और घरेलू बिक्री में पहले वृद्धि हुई और फिर मांग में गिरावट आने से जांच अवधि के दौरान इनमें गिरावट आई।
- viii. घरेलू उद्योग और भारतीय उद्योग के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई, जबकि सम्बद्ध आयातों के बाजार हिस्से में गिरावट आई। शुल्क लगाए जाने के बाद मालसूचियों में गिरावट आई परंतु तत्पश्चात मांग में गिरावट आने से जांच अवधि के दौरान इनमें वृद्धि हुई।

- ix. लाभप्रदता, नकद लाभ और निवेश से आय में वर्ष 2019-20 तक सुधार हुआ और जांच अवधि के दौरान गिरावट आई, परंतु पूर्ववर्ती 2 वर्षों की तुलना में जांच अवधि के दौरान प्रति इकाई नकद लाभ में गिरावट नहीं आई। अतः सकल लाभ, नकद लाभ और निवेश से आय में गिरावट कोविड के कारण थी, न कि आयातों के कारण।
- x. क्षति अवधि के दौरान रोजगार अपेक्षाकृत स्थिर बना रहा, जबकि उत्पादकता और मजदूरी में वर्ष 2019-20 तक वृद्धि हुई और जांच अवधि में गिरावट आई।
- xi. शुल्क लगाए जाने के बाद आयातों में गिरावट और ऐसे आयातों में सकारात्मक पाटन मार्जिन, शुल्क वापस ले लिए जाने की स्थिति में पाटन की संभावना का द्योतक है और इससे पाटनरोधी शुल्क जारी रखे जाने का औचित्य सिद्ध होता है।
- xii. सिरपुर अधिकांशतः मैपलिथो का विनिर्माण कर रहा है, जो विचाराधीन उत्पाद नहीं है। इस कंपनी ने विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन मार्च 2020 से ही शुरू किया था। सिरपुर मिल से संबंधित सूचना आवेदन में शामिल नहीं की गई थी, क्योंकि इसका तात्पर्य उत्पादन शुरू करने के लिए उनके द्वारा किए गए समस्त व्यय को शामिल करना होता।

ज.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

- 52. अनुबंध-2 के साथ पठित नियमावली के नियम 11 में प्रावधान है कि क्षति निर्धारण में उन कारकों की जांच शामिल होगी, जो घरेलू उद्योग को हुई क्षति दर्शाते हैं और इनमें पाटित आयातों की मात्रा, घरेलू बाजार में समान वस्तु के मूल्यों पर प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों का परिणामी प्रभाव शामिल होगा। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय यह जांच करना आवश्यक है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों से उल्लेखनीय कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव का उद्देश्य उल्लेखनीय स्तर तक कीमतों में मंदी लाना है अथवा कीमत वृद्धि को रोकना है, जो अन्यथा उल्लेखनीय स्तर तक हुई होती। भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच के लिए नियमावली के अनुबंध-2 के अनुसरण में इस उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले सूचकों जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री की मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, बिक्री से हुई निवल आय, पाटन की सीमा और मार्जिन आदि पर विचार किया गया है।
- 53. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग एवं अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों और जिन्हें प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक समझा गया, की जांच की गई है और इनका विवेचन प्रस्तुत अंतिम जांच परिणाम में किया गया है।
- 54. इस संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न निवेदनों पर विचार करते समय प्राधिकारी ने पाटन और क्षति के संभावित पहलुओं की जांच करने से पूर्व घरेलू उद्योग को हुई वर्तमान क्षति, यदि कोई हो, की जांच की है।
- 55. प्राधिकारी ने क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग एवं अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न निवेदनों को नोट किया है और रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों एवं लागू कानूनों पर विचार करते हुए इनका विश्लेषण किया है। प्राधिकारी द्वारा किए गए क्षति विश्लेषण में घरेलू उद्योग एवं अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों का तथ्यतः विवेचन किया गया है।
- 56. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत क्षमता अविश्वसनीय है, क्योंकि आवेदक ने वर्ष 2018 में क्षमता विस्तार किया था, जब उसने सिरपुर पेपर मिल्स का अधिग्रहण किया था; प्राधिकारी नोट करते हैं कि सिरपुर संयंत्र का अधिग्रहण वर्ष 2018 में किया गया था और उत्पादन मार्च, 2020 में शुरू किया गया था। सिरपुर संयंत्र ने अधिकांशतः मैपलिथो पेपर का उत्पादन किया था। घरेलू उद्योग ने ऐसी क्षमता पर विचार नहीं किया है और न ही क्षति संबंधी सूचना में सिरपुर संयंत्र के संबंध में किसी सूचना (व्यय सहित) पर विचार किया गया है और इस प्रकार, क्षति विश्लेषण प्रभावित नहीं होता है।

57. प्राधिकारी नोट करते हैं कि देशव्यापी लॉकडाउन के दौरा भी घरेलू उद्योग उत्पादन में संलग्न था और सामग्री की बिक्री कर रहा था। घरेलू उद्योग ने निवेदन किया था कि इसने केवल 14 दिन की अवधि के लिए उत्पादन और बिक्री रोक दी थी। घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों में अप्रैल, मई और जून, 2020 के दौरान उत्पादन एवं बिक्री दिखाई गई है। इसके बावजूद प्राधिकारी ने कोविड अवधि (अप्रैल-जून 2020) को छोड़कर सूचना की अलग से जांच की है।

क. घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

(क) मांग/अनुमानित खपत का आकलन

58. भारत में इस उत्पाद की मांग अथवा अनुमानित खपत का निर्धारण भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री जमा सभी स्रोतों से आयातों के रूप में किया गया है।

विवरण	इकाई	2017-18	2018-19	2019-20	जांच अवधि	जांच अवधि (कोविड अवधि को छोड़कर)	जांच अवधि (कोविड अवधि को छोड़कर) वार्षिकीकृत
सम्बद्ध देशों से आयात	मी. टन	86,990	72,316	64,127	21,019	15,949	21,266
	सूचीबद्ध	100	83	74	24	18	24
अन्य देशों से आयात	मी. टन	5,433	4,284	3,453	1,865	1,142	1,522
	सूचीबद्ध	100	79	64	34	21	28
घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री	मी. टन	***	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	107	104	77	64	85
अन्य घरेलू उत्पादकों की घरेलू बिक्री	मी. टन	***	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	117	111	84	70	93
मांग	मी. टन	***	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	109	104	74	61	82
खपत की तुलना में सम्बद्ध देशों से आयात (आबद्ध सहित)	%	***	***	***	***	***	***
	रेंज	10-20	0-10	0-10	0-10	0-10	0-10
कुल घरेलू उत्पादन की तुलना में सम्बद्ध देशों से आयात	%	***	***	***	***	***	***
	रेंज	10-20	0-10	0-10	0-10	0-10	0-10

59. नोट किया जाता है कि विचाराधीन उत्पाद की मांग में वर्ष 2018-19 तक वृद्धि हुई थी और तत्पश्चात इसमें वर्ष 2019-20 में और फिर जांच अवधि में गिरावट आई।

(ख) सम्बद्ध देशों से आयातों की मात्रा

60. जहां तक पाटित आयातों की मात्रा का संबंध है, प्राधिकारी को यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में, निरपेक्ष रूप में अथवा भारत में उत्पादन अथवा खपत की तुलना में अत्यधिक वृद्धि हुई है। क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएस) से प्राप्त आयात संबंधी सौदेवार आंकड़ों पर विश्वास किया है। सम्बद्ध देशों से सम्बद्ध वस्तुओं के आयात की मात्रा और क्षति की जांच की अवधि के दौरा पाटित आयातों के हिस्से का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

विवरण	इकाई	2017-18	2018-19	2019-20	जांच अवधि	जांच अवधि (कोविड अवधि को छोड़कर)	जांच अवधि (कोविड अवधि को छोड़कर) वार्षिकीकृत
सम्बद्ध देशों से आयात	मी. टन	86,990	72,316	64,127	21,01	15,949	21,266
	सूचीबद्ध	100	83	74	24	18	24
अन्य देशों से आयात	मी. टन	5,433	4,284	3,453	1,865	1,142	1,522
	सूचीबद्ध	100	79	64	34	21	28
घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री	मी. टन	***	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	107	104	77	64	85
अन्य घरेलू उत्पादकों की घरेलू बिक्री	मी. टन	***	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	117	111	84	70	93
मांग	मी. टन	***	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	109	104	74	61	82
खपत की तुलना में सम्बद्ध देशों से आयात	%	***	***	***	***	***	***
	रेंज	10-20	0-10	0-10	0-10	0-10	0-10
कुल घरेलू उत्पादन की तुलना में सम्बद्ध देशों से आयात	%	***	***	***	***	***	***
	रेंज	10-20	0-10	0-10	0-10	0-10	0-10

61. यह देखा जाता है कि वर्ष 2018-19 से सम्बद्ध देशों से हुए आयातों में, निरपेक्ष रूप से, गिरावट का रुख देखा गया है। उत्पादन और खपत की तुलना में आयातों में यही रुझान देखा गया है। शुल्क लगाए जाने के बाद से सम्बद्ध आयातों में निरपेक्ष रूप में और तुलनात्मक रूप में, दोनों में गिरावट आई है।

(ख) घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

62. सम्बद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर हुए प्रभाव की जांच कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री और कीमतों में मंदी के संदर्भ में की गई है। इस विश्लेषण के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत और बिक्री से हुई निवल आय (एनएसआर) की तुलना सम्बद्ध देशों से सम्बद्ध वस्तुओं की पाहुच कीमत से की गई है।

(क) कीमत कटौती

63. कीमत कटौती से संबंधित सूचना निम्नलिखित तालिका में दी गई है:-

विवरण	इकाई	2017-18	2018-19	2019-20	जांच अवधि	जांच अवधि (कोविड अवधि को छोड़कर)	जांच अवधि (कोविड अवधि को छोड़कर) वार्षिकीकृत
पहुँच मूल्य	रुपए/मी. टन	49,550	63,676	62,572	63,961	63,283	63,283
	सूचीबद्ध	100	129	126	129	128	128
घरेलू बिक्री कीमतें	रुपए/मी. टन	***	***	***	***	***	***

	सूचीबद्ध	100	111	114	109	110	110
कीमत कटौती	रुपए/मी. टन	***	***	***	***	***	***
	%	***	***	***	***	***	***
	% रेंज	5-15	(5)-5	0-10	(5)-(15)	5-15	5-15

64. यह देखा जाता है कि आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से अधिक है और आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में कीमत कटौती नहीं हो रही है। घरेलू उद्योग द्वारा दावा किया गया है कि संदर्भ कीमत के आधार पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के कारण घरेलू बाजार में कम कीमत पर आयातों के प्रवेश पर रोक लग गई है।

(ख) कीमत में दबाव और मंदी

65. यह आकलन करने के लिए कि क्या सम्बद्ध देशों से आयातों के कारण कीमतों में दबाव/मंदी आई थी और क्या ऐसे आयातों के प्रभाव का उद्देश्य कीमतों में उल्लेखनीय स्तर तक दबाव लाना अथवा कीमत में वृद्धि को रोकना था, जो अन्यथा अत्यधिक स्तर पर हुई होती; प्राधिकारी ने क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत और निवल बिक्री कीमत की तुलना की है, जिसे निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:-

विवरण	इकाई	2017-18	2018-19	2019-20	जांच अवधि
बिक्री की लागत	रुपए/मी. टन	***	***	***	***
बिक्री कीमत	रुपए/मी. टन	***	***	***	***
बिक्री की लागत	सूचीबद्ध	100	97	95	99
बिक्री कीमत	सूचीबद्ध	100	111	114	109

66. यह देखा गया है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद जहां बिक्री की लागत समान क्षेत्र में बनी हुई है, वहीं क्षति अवधि के दौरान बिक्री कीमत में वृद्धि हुई है।

(ग) घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंड

67. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-2 में अपेक्षा की गई है कि क्षति के निर्धारण में ऐसे उत्पादकों के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के प्रभाव की वस्तुनिष्ठ जांच की जाएगी। जहां तक ऐसे उत्पादकों के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव का संबंध है, पाटनरोधी नियमावली में यह भी प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में उस उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले सभी प्रासंगिक कारकों एवं सूचकों की वस्तुनिष्ठ एवं पूर्वाग्रह रहित जांच की जानी चाहिए जिनमें बिक्री में वास्तविक एवं संभावित गिरावट, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेश से आय अथवा क्षमता उपयोग, घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, पाटन की मार्जिन की सीमा, नकद प्रवाह पर वास्तविक एवं संभावित नकारात्मक प्रभाव, मालसूची, रिजगर, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता शामिल है। प्राधिकारी ने विभिन्न तथ्यों

एवं प्राधिकारी के समक्ष किए गए निवेदनों पर वस्तुनिष्ठ तरीके से विचार करके क्षति संबंधी मानदंडों की जांच की है।

(क) उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग एवं बिक्री

68. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, बिक्री तथा क्षमता उपयोग का ब्यौरा निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:-

विवरण	इकाई	2017-18	2018-19	2019-20	जांच अवधि	जांच अवधि (कोविड अवधि को छोड़कर)	जांच अवधि (कोविड अवधि को छोड़कर) वार्षिकीकृत
संस्थापित क्षमता	मी. टन	***	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	100	100	100	75	100
उत्पादन – संयंत्र	मी. टन	***	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	103	108	87	69	91
उत्पादन – विचाराधीन उत्पाद	मी. टन	***	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	103	112	88	69	92
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	103	108	87	91	91
घरेलू बिक्री	मी. टन	***	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	107	104	77	64	85

69. यह नोट किया जाता है कि:-

- क्षति की जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता स्थिर बनी रही है।
- उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग में वर्ष 2019-20 तक वृद्धि हुई, परंतु जांच अवधि के दौरान इनमें गिरावट आई।

70. विचाराधीन उत्पाद की मांग में घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से का ब्यौरा निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:-

विवरण	इकाई	2017-18	2018-19	2019-20	जांच अवधि	जांच अवधि (कोविड अवधि को छोड़कर)	जांच अवधि (कोविड अवधि को छोड़कर) वार्षिकीकृत
सम्बद्ध देशों से आयात	%	***	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	76	71	33	30	30
अन्य देशों से आयात	%	***	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	72	61	47	34	34

घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री	%	***	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	98	100	104	105	105
अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्री	%	***	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	107	107	114	109	112

71. यह देखा जा सकता है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद समग्रतः, भारतीय घरेलू उत्पादकों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है, जबकि सम्बद्ध देशों से आयातों के बाजार हिस्से में गिरावट आई है। जांच अवधि के दौरान समग्रतः, भारतीय घरेलू उत्पादकों का बाजार हिस्सा 95% से अधिक है।

(ग) मालसूचियाँ

72. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूची की स्थिति निम्नलिखित तालिका में दर्शाई गई है:-

विवरण	इकाई	2017-18	2018-19	2019-20	जांच अवधि	जांच अवधि (कोविड अवधि को छोड़कर)	जांच अवधि (कोविड अवधि को छोड़कर) वार्षिकीकृत
मालसूची	मी. टन	***	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	48	127	224	224	224
उत्पादन दिवसों की संख्या के रूप में मालसूची	संख्या	***	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	46	113	256	243	243
बिक्री के दिवसों की संख्या के रूप में मालसूची	संख्या	***	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	47	128	261	234	234

73. कोविड-19 वैश्विक महामारी के परिणामस्वरूप जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की औसत मालसूची में वृद्धि हुई है।

(घ) लाभप्रदता, निवेश से आय और नकद प्रवाह

74. क्षति की अवधि के दौरान प्रति इकाई लाभ/हानि, निवेश से आय और नकद लाभ का ब्यौरा निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:-

विवरण	इकाई	2017-18	2018-19	2019-20	जांच अवधि	जांच अवधि (कोविड अवधि को छोड़कर)	जांच अवधि (कोविड अवधि को छोड़कर) वार्षिकीकृत
बिक्री की लागत – घरेलू	रुपए/मी. टन	***	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	97	95	99	99	99
बिक्री कीमत – घरेलू	रुपए/मी. टन	***	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	111	114	109	110	110
लाभ	रुपए/मी. टन	***	***	***	***	***	***

	सूचीबद्ध	100	175	207	160	161	161
लाभ	लाख रुपए	***	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	187	216	123	103	137
पीवीआईटी - घरेलू बिक्री	रुपए/मी. टन	***	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	150	174	139	137	137
नकद लाभ	रुपए/मी. टन	***	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	148	181	203	201	201
पीवीआईटी - घरेलू	लाख रुपए	***	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	160	182	107	88	117
नकद लाभ	लाख रुपए	***	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	158	189	156	129	171
नियोजित पूंजी से आय	%	***	***	***	***	***	***
	रेंज	10-20	20-30	20-30	15-25	15-25	15-25

75. यह देखा जा सकता है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में वर्ष 2019-20 तक सुधार हुआ और तत्पश्चात जांच अवधि के दौरान गिरावट आई। तथापि, जांच अवधि के दौरान निवेश से आय आधार वर्ष की तुलना में अधिक थी।

(ड) रोजगार, उत्पादकता और मजदूरी

76. घरेलू उद्योग द्वारा नियोजित कर्मचारियों की संख्या, इसकी उत्पादकता और भुगतान की गई मजदूरी का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

विवरण	इकाई	2017-18	2018-19	2019-20	जांच अवधि	जांच अवधि (कोविड अवधि को छोड़कर)
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	101	102	101	101
मजदूरी	करोड़ रुपए	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	121	134	98	77
	रुपए/मी. टन	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	118	119	112	112
प्रति दिवस उत्पादकता	मी. टन/दिवस	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	103	112	88	92

77. क्षति की जांच की अवधि के दौरान रोजगार और मजदूरी में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ है।

(च) वृद्धि

78. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग की वृद्धि सकारात्मक रही है और शुल्क लगाए जाने के साथ इसने अपने कार्य निष्पादन में सुधार दर्ज किया है। घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंडों में जांच अवधि में देखी गई गिरावट कोविड-19 वैश्विक महामारी का परिणाम है और आयातों को इसका कारण नहीं माना जा सकता है।

विवरण	इकाई	2018-19	2019-20	जांच अवधि	जांच अवधि (कोविड अवधि को छोड़कर) वार्षिकीकृत
उत्पादन – संयंत्र	वाई/वाई	0-10%	0-10%	(15-25)%	(10-20)%
उत्पादन – पीयूसी	वाई/वाई	0-10%	0-10%	(15-25)%	(10-20)%
क्षमता उपयोग	वाई/वाई	0-10%	0-10%	(15-25)%	(10-20)%
घरेलू बिक्री	वाई/वाई	0-10%	(0-10)%	(20-30)%	(10-20)%
प्रति इकाई लाभ/हानि	वाई/वाई	70-80%	10-20%	(15-25)%	(20-30)%
नकद लाभ	वाई/वाई	50-60%	10-20%	(10-20)%	(10-20)%
नियोजित पूंजी से आय	वाई/वाई	50-60%	0-10%	(20-30)%	(10-20)%
मालसूची	वाई/वाई	(50-50)%	160-170%	70-80%	70-80%

(छ) पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

79. घरेलू उद्योग की पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

(ज) पाटन मार्जिन की सीमा

80. पाटन मार्जिन सकारात्मक है और अत्यधिक है।

(झ) क्षति की मार्जिन की सीमा

81. प्राधिकारी ने अनुबंध-3 के साथ पठित यथासंशोधित नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग हेतु क्षति रहित कीमत (एनआईपी) का निर्धारण किया है। विचाराधीन उत्पाद की क्षति रहित कीमत (एनआईपी) का निर्धारण जांच की अवधि हेतु घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त उत्पादन लागत एवं प्रेक्टिसरत लागत लेखाकार द्वारा विधिवत प्रमाणित सूचना/आंकड़ों द्वारा किया गया है। क्षति की मार्जिन की गणना के लिए सम्बद्ध देश से पहुँच लागत की तुलना हेतु क्षति रहित कीमत (एनआईपी) पर विचार किया गया है। प्राधिकारी ने सम्बद्ध देश के समस्त असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पहुँच कीमत का निर्धारण, उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया है। यह दावा किया गया है कि संदर्भ मूल्य के आधार पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क से कम कीमतों पर आयातों के घरेलू बाजार में प्रवेश पर रोक लग गई है।

क्षति मार्जिन तालिका

क्रम सं.	इंडोनेशिया के उत्पादक/निर्यातक	एनआईपी अम. डॉलर/टन	पहुँच मूल्य अम. डॉलर/टन	क्षति की मार्जिन अम. डॉलर/टन	क्षति की मार्जिन %	रेंज %
1.	- पीटी रियाऊ अंडालन केरटास - पीटी अनुग्रह केरटास उतामा - पीटी एशिया पसिफिक रेयॉन	***	***	***	***	नकारात्मक

अन्य घरेलू उत्पादकों का कार्य निष्पादन

82. जैसा कि पहले नोट किया गया है, मेसर्स वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स लिमिटेड और मेसर्स तमिलनाडु न्यूज़प्रिंट एंड पेपर्स लिमिटेड ने इस जांच की शुरुआत के बाद अपने कार्य निष्पादन के बारे में सूचना (क्षति और लागत संबंधी सूचना दोनों) प्रस्तुत की थी। चूंकि आवेदक ने पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में सम्बद्ध आयातों से क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना के आधार पर पाटनरोधी शुल्क बढ़ाए जाने मांग की है, अतः इन उत्पादकों को घरेलू उद्योग का भाग नहीं माना गया है। तथापि, यह नोट किया जाता है कि इन उत्पादकों ने क्षति संबंधी प्रमाणित सूचना उपलब्ध कराई है, जो निम्नानुसार है:-

विवरण	माप की इकाई	2017-18	2018-19	2019-20	जांच अवधि
उत्पादन पीयूसी	मी. टन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	122	124	102
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	114	115	85
घरेलू बिक्री की मात्रा	मी. टन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	123	122	85
औसत स्टॉक	मी. टन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	129	280	1,537
बिक्री की लागत	रुपए/ मी. टन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	109	107	119
बिक्री कीमत	रुपए/ मी. टन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	110	115	111
लाभ/ (हानि)	रुपए/ मी. टन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	124	173	45
लाभ/ (हानि)	लाख रुपए	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	153	210	38
नकद लाभ	लाख रुपए	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	149	187	86
नियोजित पूंजी से आय	%	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	130	198	72

83. इस प्रकार, यह देखा जा सकता है कि मेसर्स वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स लिमिटेड और मेसर्स तमिलनाडु न्यूज़प्रिंट एंड पेपर्स लिमिटेड (टीएनपीएल) द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित सूचना का रूझान आवेदक घरेलू उद्योग जे के पेपर्स लिमिटेड की सूचना के समान दिखाई देता है। इसके अलावा, इन कम्पनियों द्वारा दावा की गई क्षति रहित कीमत जे के पेपर्स लिमिटेड से अधिक है।

वर्तमान क्षति के संबंध में निष्कर्ष

84. यह निष्कर्ष निकाला गया है कि आयातों की मात्रा में जांच की अवधि के दौरान पूर्ण रूप में अथवा उत्पादन तथा खपत की तुलना में बहुत अधिक हद तक गिरावट आई है। हालांकि, आयातों की मात्रा फिर भी बहुत अधिक रही और वह मूल जांच में पाटनरोधी शुल्क के संग्रहण के लिए तय किये गये संदर्भ कीमत / बेंचमार्क कीमत के बहुत

करीब कीमत पर थी। जांच की अवधि के दौरान भारतीय सीमा शुल्क को सूचित की गई कीमतों पर आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती नहीं हो रही है। घरेलू उद्योग को मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के बेंचमार्क रूप के कारण इसकी कीमतों पर आयातों के कारण न्यूनकारी अथवा ह्रासकारी प्रभाव के कारण हानि नहीं हुई। घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में मौजूदा क्षति की अवधि के दौरान आयातों के कारण गिरावट नहीं हुई है। तदनुसार, घरेलू उद्योग को लागू पाटनरोधी शुल्क के कारण संबद्ध आयातों के कारण वास्तविक क्षति नहीं हुई है।

ज. कारणात्मक संबंध और अन्य कारक

85. प्राधिकारी ने जांच की कि क्या नियमावली के तहत सूचीबद्ध कारकों की वजह से घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।

पाटित कीमतों पर न बेचे गए आयातों की मात्रा और मूल्य

86. अन्य देशों से हुए आयात मात्रा की दृष्टि से उल्लेखनीय नहीं हैं और इसलिए इन्हें घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण नहीं माना जा सकता है।

मांग में संकुचन अथवा खपत के पैटर्न में परिवर्तन

87. विचाराधीन उत्पाद की मांग में कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण जांच अवधि के दौरान गिरावट दर्ज की गई है।

खपत में परिवर्तन का पैटर्न

88. विचाराधीन उत्पाद की खपत के पैटर्न में परिवर्तन हुआ है। कोविड की देशव्यापी स्थिति के कारण कागज के बजाए इलेक्ट्रॉनिक प्रचार माध्यमों के उपयोग में वृद्धि हुई है। डिजिटिकरण के साथ विचाराधीन उत्पाद की खपत में गिरावट का रुझान देखा गया है।

घरेलू उत्पादकों की व्यापार प्रतिबंधात्मक पद्धतियाँ और तथा उनके और विदेशी उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा

89. ऐसी कोई ज्ञात व्यापार प्रतिबंधात्मक पद्धति नहीं है, जिसका घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई क्षति में योगदान रहा हो।

प्रौद्योगिकी का विकास

90. विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन की प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, न ही निकट भविष्य में कोई परिवर्तन होने की संभावना है। अतः प्रौद्योगिकीय विकास, घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई क्षति का कारक नहीं है।

घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन

91. आवेदक के घरेलू प्रचालनों के लिए क्षति संबंधी जांच की गई थी।

झ. पाटन और क्षति जारी रहने अथवा इनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना

92. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह एक निर्णायक समीक्षा जांच है। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि इसे कोई निरंतर क्षति नहीं हो रही है और पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में इसे क्षति होने की संभावना है। तदनुसार, प्राधिकारी, अब पाटन जारी रहने के संभावित परिदृश्य और यदि पाटनरोधी शुल्क समाप्त किया जाता है, तो पाटित आयातों के कारण क्षति की पुनरावृत्ति होने की जांच करते हैं।

झ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन

93. पाटन और क्षति जारी रहने और इसकी पुनरावृत्ति की संभावना के बारे में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- i. निर्यातक देशों में सम्बद्ध वस्तुओं की कुल क्षमता, पाटन की संभावना और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के निर्धारण का सही मानदंड नहीं है। अधिशेष क्षमता के निर्धारण के लिए उत्तरदाता उत्पादकों की कुल बिक्री की तुलना में उनकी कुल क्षमता की जांच की जानी चाहिए।

- ii. पाटन अथवा इसकी पुनरावृत्ति की संभावना और घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति को सिद्ध करने के लिए केवल अधिशेष क्षमता की मौजूदगी पर्याप्त नहीं है, जैसा कि माननीय अधिकरण ने *इंडियन स्पिनर्स एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी* में उल्लेख किया था। याचिकाकर्ता को यह सिद्ध करना चाहिए कि इन अधिशेष क्षमताओं का प्रयोग भारत के लिए किए जाने की संभावना है।
- iii. संबद्ध वस्तुओं की कोई अप्रयुक्त क्षमता नहीं है और उत्तरदाता पहले ही इष्टतम क्षमता उपयोग के स्तर पर कार्य कर रहे हैं और इसलिए भारत को सम्बद्ध वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने के लिए कोई अप्रयुक्त क्षमता का उपयोग करने की कोई गुंजाइश नहीं है। उत्तरदाताओं ने यह भी निवेदन किया है कि उत्पादकों अर्थात् आरएके, एकेयू और एपीआर द्वारा इंडोनेशिया में सम्बद्ध वस्तुओं की क्षमता विस्तार की कोई योजना नहीं है।
- iv. उत्तरदाताओं के बिक्री संबंधी आंकड़े दर्शाते हैं कि सम्बद्ध वस्तुओं को सम्बद्ध बाजार की बिक्री अर्थात् अन्य देशों में बिक्री के बजाए भारत भेजने की कोई गुंजाइश नहीं है। उत्तरदाताओं अर्थात् आरएके, एकेयू और एपीआर द्वारा जांच अवधि के दौरान घरेलू बिक्री तथा अन्य देशों को की गई निर्यात की तुलना में भारत को की गई निर्यात बिक्री अत्यधिक है। उत्तरदाता उनके द्वारा विनिर्मित सम्बद्ध वस्तुओं की बिक्री के लिए भारत पर निर्भर नहीं हैं।
- v. अधिशेष क्षमता और भारत को निर्यात के संबंध में उत्तरदाताओं की परिस्थितियों के लिए उनके लिए क्षति की संभावना का अलग से आकलन करना आवश्यक है।
- vi. फिलहाल किसी क्षति के अभाव में इंडोनेशिया से सम्बद्ध वस्तुओं के आयातों के कारण क्षति जारी रहने की कोई संभावना नहीं हो सकती है।
- vii. जांच अवधि के दौरान आवेदक के कार्य निष्पादन में गिरावट आयातों की अनुपस्थिति में भी आई होती। प्रासंगिक आर्थिक कारकों के बारे में ऐसी सूचना सामान्य स्थिति की परिचायक नहीं है और इससे वास्तविक क्षति एवं/अथवा क्षति जारी रहने की संभावना के निर्धारण का आधार नहीं बनाता है।
- viii. जांच अवधि के पश्चात के आंकड़ों का विश्लेषण दर्शाता है कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति और क्षति की संभावना का समस्त दावा असामान्य स्थिति पर आधारित है, जो जांच अवधि के छह माह के दौरान उत्पन्न हुई है।
- ix. यह निष्कर्ष निकालना भ्रामक है कि कागज उत्पादों के लिए भारत इंडोनेशिया के लिए एकमात्र बाजार है। इंडोनेशिया के कागज उत्पादों के शीर्षस्थ निर्यात गंतव्य बाजारों में भारत का क्रम आठवाँ है और भारत को किए गए निर्यातों में वर्ष 2020 में हिस्सा मात्र 2.6% था, जो जांच अवधि के दौरान इंडोनेशिया से अन्य देशों को हुए निर्यातों से बहुत कम है।
- x. इंडोनेशिया द्वारा अपने निर्यात गंतव्य वाले अधिकांश देशों को किए गए निर्यात में वर्ष 2018 के बाद नकारात्मक रुझान देखा गया है और भारत द्वारा पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के कारण अन्य देशों को निर्यात नहीं किए गए; अतः ऐसा कोई संकेत नहीं है कि पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में इंडोनेशिया अपने निर्यातों का रुख भारत की ओर करेगा।
- xi. यू एस – कोरोजन रेजीस्टेंट स्टील मामले में अपीलीय निकाय को पत्र भेजा गया था, जिसने अनुच्छेद 11.3 पर विचार किया था और एक अपवाद के साथ एक अनिवार्य नियम का निर्धारण किया था और इस प्रकार पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने पर सीमा लगाई गई है। शुल्क समाप्त किए जाने के परिणामस्वरूप भारतीय घरेलू उद्योग को क्षति जारी नहीं रहेगी अथवा इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी।

- xii. पिछले 2 वर्षों के दौरान आयातों और खपत के बीच अंतर में वृद्धि हुई है और यह इस बात का द्योतक है कि घरेलू उत्पाद ने भारत के घरेलू बाजार को तृप्त कर दिया है और घरेलू उत्पादकों ने भारतीय बाजार का प्रमुख हिस्सा अधिग्रहित कर लिया है। इससे क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना न्यूनतम हो जाती है।
- xiii. यह मान लेना भ्रामक है कि इंडोनेशिया के बाजार में गिरावट आ रही है और इंडोनेशिया के बाजार में गिरावट की प्रतिपूर्ति के लिए इंडोनेशिया के उत्पादकों ने भारत को अपना लक्ष्य बाजार बना लिया था। कागज उत्पाद के लिए इंडोनेशिया का बाजार अपेक्षाकृत स्थिर है और फलफूल रहा है और इंडोनेशिया के घरेलू बाजार की स्थितियों का क्षति अथवा क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना से कोई संबंध नहीं है, जैसा कि आवेदक ने माना है।

झ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन

94. पाटन और क्षति जारी रहने और इसकी पुनरावृत्ति की संभावना के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- i. आरआईएसआई ग्लोबल पेपर आऊटलुक 2019 के अनुसार इंडोनेशिया में सम्बद्ध वस्तुओं के उत्पादकों के पास अत्यधिक क्षमता है, जो घरेलू मांग से काफी अधिक है। वर्ष 2017 पोयरिज रिपोर्ट के अनुसार एपीपी ग्रुप की क्षमता 2.4 मिलियन टन/वर्ष अनुमानित थी और एपीआरआईएल ग्रुप की क्षमता 1.2 मिलियन टन थी। इस क्षमता को 0.4 मिलियन टन की कुल भारतीय मांग और 0.5 मिलियन टन के कुल भारतीय उत्पादन के संदर्भ में देखा जाना चाहिए।
- ii. जब उत्पादन के नवीनतम आंकड़ों और अनुमानित क्षमता पर विचार किया जाता है, तब इंडोनेशिया में 0.6 मिलियन टन की अप्रयुक्त क्षमता होगी और यह अप्रयुक्त क्षमता कुल भारतीय मांग और भारतीय उत्पादन से बहुत अधिक है।
- iii. एफएओ के आंकड़ों के अनुसार घरेलू बाजार में गिरावट के बावजूद इंडोनेशिया में उत्पादन में वृद्धि हुई है। आरआईएसआई रिपोर्ट के अनुसार भारत एकमात्र प्रमुख बाजार है, जिसने मांग में वृद्धि दर्ज की है, जिसके परिणामस्वरूप स्वाभाविक रूप से भारतीय उत्पादन में वृद्धि हुई। अतः यदि शुल्क समाप्त कर दिये जाते हैं, तो इंडोनेशिया में बढ़ते हुए उत्पादन भारत की ओर भेजे जाने की संभावना है।
- iv. इंडोनेशिया अत्यधिक निर्यातोन्मुखी देश है और इंडोनेशिया के 90% से अधिक उत्पादन का निर्यात किया जा रहा है। चूंकि वर्ष 2018 और 2019 में घरेलू मांग में गिरावट आई थी, अतः इसी अवधि में निर्यातों में वृद्धि हुई थी। इसके अलावा, जांच अवधि के दौरान अधिकांश उत्पादकों के क्षमता उपयोग में गिरावट आई है, जिसके परिणामस्वरूप मालसूचियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- v. सम्बद्ध वस्तुओं की मांग में वैश्विक स्तर पर गिरावट आई है और भारत के विपरीत, जहां वृद्धि सकारात्मक है, इंडोनेशिया जैसे बाजारों में नकारात्मक वृद्धि देखी गई है। इसके अलावा, एशियाई बाजार में अत्यधिक आपूर्ति की स्थिति बनी हुई है और तीन देशों द्वारा इंडोनेशिया के लिए सम्बद्ध वस्तुओं पर शुल्क लगाए गए थे, जो इस बात का द्योतक है कि यदि शुल्क समाप्त कर दिये जाने की स्थिति में सम्बद्ध वस्तुएँ भारत की ओर भेजे जाने की प्रबल संभावना है।
- vi. इंडोनेशिया के उत्पादकों को विकृत मूल्यों पर कच्चे माल की उपलब्धता के परिणामस्वरूप लागत में लाभ मिलता है और इंडोनेशिया विश्व में सम्बद्ध वस्तुओं का शीर्षस्थ उत्पादक देश है।

- vii. इंडोनेशिया से सम्बद्ध वस्तुओं पर आस्ट्रेलिया, यूएसए तथा पाकिस्तान द्वारा शुल्क लगाया गया था और आस्ट्रेलिया आयोग ने ए4 पेपर पर नई पाटनरोधी जांच की शुरुआत की है।
- viii. सम्बद्ध देशों से मैपलिथो पेपर कीमतों को देखते हुए संभावित पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन सकारात्मक है और अत्यधिक है।
- ix. इंडोनेशिया से पांच शीर्षस्थ देशों को निर्यात कीमतों में अत्यधिक अंतर है। यह अधिक से अधिक 880 अम. डॉलर/टन और कम से कम 522 अम. डॉलर/मी.टन है।
- x. इंडोनेशिया से आस्ट्रेलिया, यूएसए तथा पाकिस्तान को पतित और क्षतिकारी कीमतों पर निर्यात किए गए हैं। इस प्रकार, इन देशों की कीमत दर्शाती है कि शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन और क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना है।
- xi. मांग में गिरावट से घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, परंतु घरेलू उद्योग का दावा है कि पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने से पाटन जारी रहने और घरेलू उद्योग को, जो मांग में कमी के कारण नाजुक स्थिति में है, क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना है।
- xii. भारत में सम्बद्ध वस्तुओं के आयात की संभावित कीमतों को देखते हुए शुल्क हटाए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग संबंधित उत्पाद की कीमतों में कमी करने के लिए विवश हो जाएगा। इसके परिणामस्वरूप लाभ, नकद प्रवाह और निवेश से आय में और गिरावट आएगी।
- xiii. यदि घरेलू उद्योग सामान्य कीमत स्तर बनाए रखता है, तो यह बिक्री की मात्रा को गवां बैठेगा, क्योंकि उपभोक्ता आयातों की ओर अधिकाधिक प्रवृत्त होंगे और यदि घरेलू उद्योग बिक्री की मात्रा गवां देता है, तो मालसूची में वृद्धि, उत्पादन, क्षमता उपयोग और उत्पादकता में कमी के परिणामस्वरूप और अधिक क्षति होगी।
- xiv. पाटनरोधी शुल्क हटाए जाने से उत्पादक कंपनियों के अलावा 500,000 किसान ही प्रभावित होंगे जो कृषि वानिकी में संलग्न हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय समुदाय के रोजगार के अवसर भी प्रभावित होंगे, उनकी आय में कमी आएगी और ग्रामीण-शहरी प्रवास मजबूरन बढ़ जाएगा।

झ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

- 95. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह एक निर्णायक समीक्षा जांच है और प्राधिकारी मौजूदा पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन जारी रहने और परिणामतः होने वाली क्षति की संभावना की जांच कर रहे हैं।
- 96. प्राधिकारी के ध्यान में लाए गए समस्त कारकों की जांच की गई है, ताकि यह निर्धारण किया जा सके कि क्या शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन और क्षति जारी रहने और इसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। पाटन और क्षति जारी रहने और इसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना के आकलन के लिए प्राधिकारी ने जांच की प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई विभिन्न प्रकार की सूचना पर विचार किया है।
- 97. संभावना के ऐसे विश्लेषण के लिए कोई विशिष्ट विधियां उपलब्ध नहीं हैं। तथापि उक्त नियमावली के अनुबंध-2 के खंड (vii) में अन्य बातों के साथ-साथ उन कारकों का प्रावधान है, जिन पर विचार किया जाना अपेक्षित है, अर्थात:-

- i. भारत में पाटित आयातों की अत्यधिक वृद्धि दर, जो अत्यधिक वर्धित आयातों की संभावना का द्योतक है;

- ii. निर्यातक की क्षमता में अत्यधिक मुक्त रूप से अतिरिक्त वृद्धि अथवा आसन्न वृद्धि, जो अतिरिक्त निर्यातों को आमेलित करने के लिए अन्य निर्यात बाज़ारों की उपलब्धता पर विचार करते हुए भारतीय बाज़ारों में अत्यधिक पाटित निर्यातों का द्योतक है;
- iii. क्या आयातों का प्रवेश उन कीमतों पर हो रहा है, जिनका घरेलू कीमतों पर मंदी अथवा दबाव का प्रभाव होगा तथा और अधिक आयातों के लिए मांग में वृद्धि होने की संभावना होगी; और
- iv. जांचाधीन वस्तु की मालसूचियाँ।
98. इसके अलावा, प्राधिकारी ने पाटन जारी रहने अथवा इसकी पुनरावृत्ति की संभावना तथा इसके परिणामतः घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति से संबंधित अन्य प्रासंगिक कारकों की भी जांच की है।
- i. **जारी और मौजूदा पाटन**
99. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद का पाटन संबद्ध देशों से जारी रहा है। उत्तर देने वाले निर्यातकों के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन सकारात्मक और बहुत अधिक है। वास्तव में, वर्तमान जांच में निर्धारित पाटन मार्जिन मूल जांचों के समय निर्धारित पाटन मार्जिन से अधिक है। इस प्रकार, निर्यातक शुल्कों के लागू रहने के बावजूद पाटन का सहारा ले रहे हैं और यह शुल्कों के समाप्त होने की स्थिति में संभावित पाटन का संसूचक है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि दो उत्तर देने वाले उत्पादकों का मिश्रित उत्पादन और निर्यात काफी हद तक अधिक है। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि ये उत्तर देने वाले उत्पादक इस उत्पाद के लिए इण्डोनेशिया की समग्र क्षमताओं को दर्शाते हैं। इनमें से किसी उत्तर देने वाले उत्पादक ने इस संबंध में कोई औचित्य अथवा साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है कि क्यों पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने की स्थिति बहुत अधिक मात्राओं में पाटन फिर से शुरू नहीं होगा। इसके अलावा, रिकार्ड पर साक्ष्य यह सिद्ध करता है कि पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने की स्थिति में पाटित आयातों की मात्रा बहुत अधिक मात्राओं में शुरू होगी। घरेलू उद्योग का यह तर्क कि उत्पादकों की निर्यात कीमत व्यापारियों की निर्यात कीमत से बहुत अधिक हद तक कम है और जिसके कारण अंततः इस उत्पाद का निर्यात भारत को किया जा रहा है भी अविवादित रहा है।
- ii. **संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों की मात्रा**
100. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से आयातों में पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने के बाद बहुत अधिक हद तक गिरावट आई है। वह कीमत जिस पर उत्पादकों ने इस सामग्री की बिक्री संबंधित व्यापारियों को की है, वह कीमत जिस पर संबद्ध वस्तुओं का निर्यात अनेक देशों को किया गया है और अप्रयुक्त क्षमताओं की सीमा सामूहिक रूप से यह दर्शाती है कि आयातों की मात्रा में संभवतः शुल्क के समाप्त होने की स्थिति में बहुत अधिक हद तक वृद्धि होगी।
- iii. **इण्डोनेशिया में अतिरिक्त क्षमता**
101. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने पोयरी रिपोर्ट, आर आई एस आई रिपोर्ट और खाद्य एवं कृषि संगठन (एफ ए ओ) से लिये गये आंकड़े की सूचना उपलब्ध कराई है। इन रिपोर्टों में दी गई सूचना के आधार पर, घरेलू उद्योग ने यह सूचित किया कि विचाराधीन उत्पाद के लिए इण्डोनेशिया में अप्रयुक्त क्षमता जांच की अवधि के दौरान लगभग 6 लाख टन है, जो कुल भारतीय मांग से अधिक है।
- iv. **इण्डोनेशिया में सहयोगी उत्पादकों के पास अतिरिक्त क्षमता**
102. इण्डोनेशिया संबद्ध वस्तुओं के सबसे बड़े उत्पादकों/ निर्यातकों में से एक है। इण्डोनेशिया के सहयोग करने वाले उत्पादकों द्वारा धारित अतिरिक्त क्षमता के संबंध में सकल सूचना नीचे दी गई है :

विवरण (एपीआरआईएल ग्रुप)	इकाई	योग
कुल संस्थापित क्षमता	टन/वर्ष	***
कुल उत्पादन	टन/वर्ष	***

क्षमता उपयोग का प्रतिशत	%	***
क्षमता उपयोग का प्रतिशत की रेंज	%	95-105
विवरण (एपीपी ग्रुप)	इकाई	योग
कुल संस्थापित क्षमता	टन/वर्ष	***
उत्पादन की मात्रा	टन/वर्ष	***
क्षमता उपयोग का प्रतिशत	%	***
क्षमता उपयोग का प्रतिशत की रेंज	%	60-70
विवरण	इकाई	योग
इण्डोनेशिया में मांग*	मी. ट./ वर्ष	***
क्षमता (एप्रिल + ए पी पी)	मी. ट./ वर्ष	***
अतिरिक्त क्षमता	मी. ट./ वर्ष	***
अतिरिक्त क्षमता	रेंज	(20,00,000-30,00,000)

*स्रोत : ए पी पी ग्रुप द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रश्नावली का उत्तर

103. यह देखा जाता है कि

- इन उत्पादकों द्वारा स्थापित क्षमताएं घरेलू मांग से बहुत अधिक हैं। अतिरिक्त क्षमता इण्डोनेशिया में प्रचलित मांग का 9 गुणा है।
- जबकि एप्रिल ग्रुप की क्षमता का पूर्ण रूप से उपयोग किया गया है, ए पी पी ग्रुप जिसके पास अधिक क्षमताएं हैं, के पास बहुत अधिक अप्रयुक्त क्षमताएं हैं। केवल ए पी पी ग्रुप के पास अतिरिक्त क्षमता इस उत्पाद के लिए सकल भारतीय मांग से अधिक है।

उत्पादकों का उच्च निर्यात उन्मुखीकरण

104. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इण्डोनेशिया में संबद्ध वस्तुओं के लिए इस क्षमता का एक बड़ा हिस्सा निर्यात बाजारों के लिए है। इण्डोनेशिया के भाग लेने वाले उत्पादकों द्वारा घरेलू बिक्री और निर्यात बिक्री के संबंध में सकल सूचना नीचे दी गई है।

बिक्री की मात्रा – पीयूसी (एपीपी ग्रुप)	मी. टन	योग	बिक्री का हिस्सा प्रतिशत में	रेंज
(क) घरेलू बिक्री – पीयूसी	मी. टन	***	***	5-15%
(ख) निर्यात बिक्री – भारत - पीयूसी	मी. टन	***	***	0-10%
(ग) निर्यात बिक्री – अन्य देश - पीयूसी	मी. टन	***	***	85-95%
(घ) कुल बिक्री	मी. टन	***	100%	100%

बिक्री की मात्रा – पीयूसी (एपीआरआईएल ग्रुप)	मी. टन	योग	बिक्री का हिस्सा प्रतिशत में	रेंज
(क) घरेलू बिक्री – पीयूसी	मी. टन	***	***	10-20%
(ख) निर्यात बिक्री – भारत - पीयूसी	मी. टन	***	***	0-10%

(ग) निर्यात बिक्री – अन्य देश - पीयूसी	मी. टन	***	***	85-95%
(घ) कुल बिक्री	मी. टन	***	100%	100%

105. यह देखा गया है कि इण्डोनेशिया में उत्पादकों द्वारा अन्य देशों को निर्यात 85-95 प्रतिशत के दायरे में है। इस प्रकार उत्पादक बहुत अधिक निर्यात उन्मुख हैं। इसके अलावा, ये उत्पादक अनेक तीसरे देशों को कम कीमत पर बिक्री कर रहे हैं।

i. इण्डोनेशिया पर अन्य देशों द्वारा लगाये गये व्यापार उपचारात्मक शुल्क

106. रिकार्ड पर उपलब्ध सूचना के अनुसार, यह नोट किया जाता है कि व्यापार उपचारात्मक शुल्क संयुक्त राज्य अमरीका (यू एस ए), आस्ट्रेलिया और पाकिस्तान द्वारा इण्डोनेशिया से निर्यात किये गये विचाराधीन उत्पाद पर लगाया गया है। यह दर्शाता है कि संबद्ध देश में उत्पादक अन्य देशों में वस्तुओं का पाटन करते रहे हैं और ऐसे देशों के घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाते रहे हैं। यह भी दर्शाता है कि ये बाजार (यू एस, आस्ट्रेलिया और पाकिस्तान) इण्डोनेशिया में उत्पादकों के लिए प्रतिबंधित रहते हैं और इस प्रकार शुल्कों के समाप्त होने की स्थिति में भारतीय बाजार को उनकी अतिरिक्त क्षमताओं के विपथन की और अधिक संभावना बन जाती है।

ii. इण्डोनेशिया के भाग लेने वाले उत्पादकों/ निर्यातकों के पास माल सूची

107. इण्डोनेशिया के भाग लेने वाले उत्पादकों द्वारा धारित माल सूची के संबंध में, समग्र सूचना नीचे दी गई है।

मालसूचियाँ	इकाई	योग	रेंज
एपीआरआईएल ग्रुप	मी. टन	***	10,000-20000
एपीपी ग्रुप	मी. टन	***	90,000-100000

108. केवल माल सूची का स्तर कुल भारतीय मांग का 22 प्रतिशत है।

भारतीय बाजार की कीमत आकृष्टता

109. इंडोनेशिया के सहभागी उत्पादकों द्वारा भारत को और तीसरे देशों को की गई निर्यात बिक्री के बारे में उपलब्ध कराई गई मिलीजुली सूचना निम्नानुसार है:-

जांच अवधि हेतु	इकाई	सीमाशुल्क के आंकड़े	एपीपी	एपीआरआईएल
तीसरे देशों की मात्रा	मी. टन	14,76,878	***	***
तीसरे देशों की दर				
उत्पादक की कीमत	डॉलर/ मी. टन	691	***	***
निर्यातक की कीमत	डॉलर/ मी. टन		***	***
तीसरे देशों को निर्यातों की मात्रा				
घरेलू उद्योग बिक्री कीमत	मी. टन	***	***	***
घरेलू उद्योग क्षति रहित कीमत	मी. टन	***	***	***
भारत को विदेशी उत्पादकों की निर्यात कीमत	मी. टन		***	***

जांच अवधि के दौरान भारतीय मांग	मी. टन	***	***	***
तीसरे देशों को निर्यातों की मात्रा (भारतीयमांग के % के रूप में)				
घरेलू उद्योग बिक्री कीमत	% रेंज	230-240%	80-90%	100-110%
क्षति रहित कीमत - घरेलू उद्योग	% रेंज	60-70%	10-20%	100-110%
भारत को निर्यातक की निर्यात कीमत	% रेंज		100-110%	100-110%

110. उपर्युक्त तालिका से यह देखा गया है कि :

- क. ए पी पी ग्रुप के उत्पादकों के अन्य देशों को निर्यात कीमत एप्रिल ग्रुप के उत्पादकों के निर्यात कीमत की तुलना में उच्चतर कीमत है। हालांकि, इन उत्पादकों और निर्यातकों द्वारा सूचित की गई कीमतों में बहुत अधिक अंतर है। इसके अलावा, जबकि एप्रिल ग्रुप में अपनी उत्पादन क्षमताओं का पूर्ण रूप से उपयोग किया है, ए पी पी ग्रुप भारतीय मांग से अधिक अप्रयुक्त उत्पादन क्षमताएं रखते हैं।
- ख. इण्डोनेशिया में उत्पादकों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, भारत में प्रचलित बिक्री कीमत के स्तर से कम कीमत पर किये गये निर्यातों की निश्चित मात्रा *** एम टी है और यह भारतीय मांग का लगभग *** प्रतिशत होता है।
- ग. इण्डोनेशिया में उत्पादकों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, भारत में प्रचलित क्षति रहित कीमत के स्तर से कम कीमत पर किये गये निर्यातों की निश्चित मात्रा *** एम टी है और जो यह भारतीय मांग का लगभग *** प्रतिशत होता है।
- घ. इण्डोनेशिया में उत्पादकों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, भारत को जिस कीमत पर निर्यात किया गया है उसके स्तर से कम कीमत पर किये गये निर्यातों की निश्चित मात्रा *** एम टी है और यह भारतीय मांग का लगभग *** प्रतिशत होता है।
- ङ. इण्डोनेशिया के उत्पादकों/ निर्यातकों द्वारा उत्तर भी विभिन्न देशों को निर्यात कीमतों के बीच बहुत अधिक अंतर हो दर्शाता है।
 - i. ए पी पी ग्रुप के पास अप्रयुक्त क्षमता सकल भारतीय मांग से अधिक है और इस कारण से यह अपने आप में देश में उत्पाद की समग्र मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।
 - ii. जबकि एप्रिल ग्रुप ने अपनी क्षमता का पूर्ण रूप से उपयोग किया है, यह देखा जाता है कि जांच की अवधि के दौरान भारत को इसकी निर्यात कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत, उत्पादन की लागत और एन आई पी से बहुत अधिक हद तक कम थी। इसके अलावा इस कंपनी द्वारा अन्य देशों को निर्यातों की कम कीमत पर मात्रा पर विचार करते हुए, कंपनी पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने की स्थिति में भारतीय मांग का बहुत बड़ा हिस्सा अपने तीसरे देश के निर्यातों को भारतीय बाजार की ओर विपथित कर लेने में सक्षम है।
 - iii. इस प्रकार यह देखा जाता है कि भारतीय बाजार संबद्ध विदेशी उत्पादकों के लिए बहुत अधिक कीमत आकर्षक है और शुल्कों के समाप्त होने के फलस्वरूप तीसरे देशों के बहुत अधिक मात्रा में निर्यातों के भारतीय बाजार की ओर विपथित होने की संभावना है।

पाटन और क्षति की संभावना के संबंध में निष्कर्ष

111. रिकार्ड पर सूचना पर विचार करते हुए और रिकार्ड पर साक्ष्य की उचित जांच के बाद, प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि -

- i. जब आयातों की मात्रा में वर्तमान अवधि में गिरावट भी आई है, तब पाटन संबद्ध देशों से जारी रहा है और पाटन का मार्जिन भी बहुत अधिक है। वास्तव में पाटन मार्जिन में वृद्धि हुई है।
- ii. उत्तर देने वाले उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत किया गया उत्तर यह दर्शाता है कि ए पी पी ग्रुप के पास बहुत अधिक अप्रयुक्त क्षमताएं उपलब्ध हैं और वे क्षमताएं समग्र भारतीय मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं।
- iii. तीसरे देशों को बहुत अधिक मात्रा में निर्यात भाग लेने वाले उत्पादकों/ निर्यातकों द्वारा भारत को निर्यात कीमतों, भारत की घरेलू बिक्री कीमत और घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत के स्तर से कम कीमतों पर किये गये हैं।
- iv. तीसरे देश को निर्यातों की बहुत अधिक मात्रा भारत को निर्यात कीमत, भारतीय घरेलू बिक्री कीमत और भारतीय क्षति रहित कीमत के स्तर से कम कीमतों पर किये गये हैं। इस प्रकार बहुत अधिक निर्यात भारत को क्षति कारक कीमत पर विपथित किये जा सकते हैं।
- v. दोनों उत्पादक बहुत अधिक निर्यात उन्मुख हैं। इण्डोनेशिया में घरेलू मांग मुश्किल से 10 प्रतिशत संस्थापित क्षमताओं को पूरा कर सकती है। विदेशी उत्पादकों ने बहुत अधिक माल सूची बनाये रखी है।
- vi. इस प्रकार से विभिन्न मापदंड सामूहिक रूप से और संचयी रूप से यह सिद्ध करते हैं कि संबद्ध आयातों के कारण संभवतः मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने की स्थिति में भारतीय बाजार में पाटित और क्षतिकारक कीमतों पर बहुत अधिक हद तक बढ़ जाने वाली है, जिसके फलस्वरूप घरेलू उद्योग को पाटन के जारी रहने और क्षति के फिर से होने की संभावना है।

ट. प्रकटन पश्चात टिप्पणियां**अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध**

112. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने सामान्य मूल्य, क्षति और कारणात्मक संबंध तथा पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना का निर्धारण करने के संबंध में अपने अनुरोधों को दोहराया है। इसके अलावा, निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं :

- क. पहुंच कीमतें घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत से अधिक है उसको देखते हुए, प्राधिकारी को भाग लेने वाले उत्पादकों/ निर्यातकों की निर्यात कीमत और पहुंच मूल्य पर विचार करना चाहिए और अलग अलग पाटन मार्जिन तथा क्षति मार्जिन उपलब्ध कराना चाहिए।
- ख. प्राधिकारी को अनुच्छेद 6.13 के संदर्भ में सूचना देने में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुभव की गई समस्याओं पर उचित विचार करना चाहिए। हालांकि, वर्तमान जांच में प्राधिकारी ने इस तथ्य का कोई उचित संज्ञान नहीं लिया है कि उत्पादक इस जांच में भाग लेने के लिए असंबंधित निर्यातकों को बाध्य नहीं कर सकते हैं। प्राधिकारी ने इस प्रकार के आधार के उत्तर को अस्वीकार करने के लिए पाटनरोधी नियमावली अथवा पाटनरोधी करार के अंतर्गत कानूनी आधार अथवा तर्क भी नहीं दिया है। डब्ल्यू टी ओ की अपीलीय निकाय ने यह माना है कि प्राधिकारी को कुछ सूचना देने में उत्तर देने वाले निर्यातक द्वारा सामना की गई कठिनाई पर उचित विचार करना है। अपीलीय निकाय ने इस बात पर भी जोर दिया कि सहयोग दोनों तरफ की प्रक्रिया है और यह उल्लेख किया है कि जांच करने वाले प्राधिकारी को पूर्ण मापदंडों पर जोर देने अथवा निर्यातकों पर अनुचित भार डालने के लिए कोई हक प्राप्त नहीं है।

- ग. निर्यातक ने अपने आंकड़ों पर फिर से विचार किये जाने का अनुरोध किया क्योंकि उन्होंने इस जांच में भाग लेने के लिए असंबंधित निर्यातकों को अनुरोध कर अपना उचित विचार दिया है। इस कारण अब उनके असहयोग के लिए डी जी टी आर को उत्तर देने वाले निर्यातकों को दण्डित करना चाहिए।
- घ. चूंकि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है, अतः प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे संबद्ध वस्तुओं की संभावित कीमतों तथा पाटन और क्षति की संभावना के बारे में भी निर्धारण पर पहुंचे। इस कारण से, प्राधिकारी को भारतीय बाजार से वसूली गई अपनी प्रत्यक्ष कीमतों पर विचार करना चाहिए।
- ङ. क्षमता और क्षमता का उपयोग पर विचार करते समय, प्राधिकारी ने जांच की अवधि के दौरान निर्यातकों के लिए कोविड के प्रभाव पर विचार नहीं किया है। इसके फलस्वरूप, जहां तक इसका अत्यधिक अथवा अतिरिक्त क्षमता से संबंध था, भ्रामक संभावना विश्लेषण हुआ है।
- च. यदि केवल जे के पेपर लिमि. को भी घरेलू उद्योग के एक घटक के रूप में माना जाता है तब प्राधिकारी को इस तथ्य के बाजवूद वेस्ट कॉस्ट पेपर मिल्स लिमि. और तमिलनाडू न्यूप्रिंट एंड पेपर लिमि. द्वारा दी गई सूचना का सत्यापन करना चाहिए और इसके बाद समग्र रूप से घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना तथा वास्तविक क्षति का वस्तुनिष्ठ आकलन करने के लिए उस पर विचार करना चाहिए।
- छ. प्राधिकारी की टिप्पणियां इस तथ्य को दर्शाती हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयात के कारण घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है और क्षति की संभावना नहीं है।
- ज. जांच की अवधि में उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग में गिरावट कोविड-19 महामारी के कारण और न कि आयातों के कारण जांच की अवधि में भारत में मांग में गिरावट के कारण हुई है। इसे अंतिम जांच परिणामों में मात्रा संबंधी इन मानदंडों में गिरावट के लिए कारण के रूप में स्पष्ट रूप से नोट किया जाना चाहिए।
- झ. यदि प्राधिकारी अंतिम जांच परिणाम में इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की जानी है, प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे कमतर शुल्क नियमावली के अनुसार शुल्क की सिफारिश करते समय प्रकटन विवरण में निर्धारित क्षति मार्जिन और पाटन मार्जिन में से कमतर पर विचार करें।
- ञ. यदि पाटनरोधी शुल्क को इण्डोनेशिया और सिंगापुर से निर्मित संबद्ध वस्तुओं के निर्यातों पर जारी भी रखा जाता है तब प्राधिकारी को यह निर्धारण करना चाहिए कि एप्रिल ग्रुप द्वारा निर्यातों पर किसी पाटनरोधी शुल्क को जारी रखे जाने की आवश्यकता नहीं है।
- ट. एप्रिल ग्रुप से संबद्ध वस्तुओं के आयात के कारण घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति की कोई संभावना नहीं है क्योंकि प्राधिकारी ने यह नोट किया है कि :
- (i) पाटनरोधी शुल्क को लगाये जाने के बाद संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों में बहुत अधिक गिरावट हुई है।
 - (ii) प्रतिवादियों के पास अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध नहीं है।
 - (iii) प्रतिवादियों के पास केवल 10,000 – 20,000 एम. टी. के दायरे में माल सूची उपलब्ध है। यह भारतीय मांग की तुलना में उत्तम है।
 - (iv) प्रतिवादियों द्वारा अधिकांश निर्यात तीसरे देशों को किये गये हैं। प्रतिवादियों द्वारा भारत को निर्यात बिक्री अन्य देशों को निर्यात बिक्री की तुलना में बहुत कम है। ऐसा कोई कारक नहीं है जो इन निर्यातों को तीसरे देशों से भारत की ओर विपथित करना दर्शाता हो। प्रतिवादियों के पास कोई अतिरिक्त क्षमता अथवा माल सूची उपलब्ध नहीं है जिसका उपयोग भारत द्वारा पाटनरोधी शुल्क हटा लिये जाने की स्थिति में निर्यात को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है।

- ठ. 0.6 मिलियन टन की अतिरिक्त क्षमता का दावा सही नहीं है। संबद्ध जांच में भाग लेने वाले उत्पादकों/निर्यातकों अर्थात् एप्रिल ग्रुप और ए पी पी ग्रुप की वास्तविक क्षमता पर इण्डोनेशिया में अतिरिक्त क्षमता के होने का आकलन करने के लिए विचार किया जाना अपेक्षित है।
- ड. तीसरे देशों को निर्यात कीमत जांच की अवधि से पहले सभी तीन वर्षों के दौरान भारत को निर्यात कीमत से अधिक रही है। जांच की अवधि में भारत को निर्यात कीमत 2020 में प्रचलित विशेष परिस्थितियों के कारण अपेक्षाकृत अधिक रही है। यह दर्शाते हुए कोई परिवर्ती नहीं देखी गई है कि भारतीय बाजार की कीमत आकर्षक है।
- ढ. भारतीय मांग से कम कीमतों पर तीसरे देशों को निर्यातों की मात्रा की तुलना कर कीमत प्रतिस्पर्धात्मकता की जांच करने के लिए संबद्ध देशों से अथवा घरेलू उद्योग से या तो भाग लेने वाले उत्पादक/निर्यातक से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।
- ण. यह विश्लेषण प्राधिकारी द्वारा पूर्व में निर्णायक समीक्षा जांच में से किसी में नहीं किया गया है। इस प्रकार की जांच का सुझाव भारत में किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण द्वारा भी पाटन और क्षति की संभावना का निर्धारण करने के लिए निर्णायक समीक्षा जांच में एक संगत प्रतितथ्यात्मक आकलन के रूप में भी नहीं दिया गया है।
- त. तीसरे देशों से भारत को निर्यातों के विपथन की संभावना के संबंध में आगे बिना किसी संदर्भ के भारतीय मांग के साथ तीसरे देशों को निर्यात बिक्री की सरल तुलना के आधार पर भारतीय बाजार की कीमत आकर्षकता का निर्धारण करने के लिए यह संगत नहीं है।
- थ. प्राधिकारी को भारत में जे के पेपर लिमि. और अन्य घरेलू उत्पादकों की जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों की अवश्य जांच करनी चाहिए। जांच की अवधि के बाद की अवधि में इन पेपर उत्पादकों की समग्र लाभप्रदता में काफी हद तक सुधार हुआ है।
- द. यदि प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि पाटनरोधी की सिफारिश इण्डोनेशिया गणतंत्र और सिंगापुर गणतंत्र से संभी निर्यातों पर आगे की अवधि के लिए की जानी चाहिए, प्रतिवादी प्राधिकारी से यह अनुरोध करते हैं कि वे इस तथ्य पर विचार करें कि मूल पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश 5 पूर्ण वर्षों की अवधि के बजाय 3 वर्षों की अवधि के लिए की गई थी और इस कारण से पाटनरोधी शुल्क को निर्णायक समीक्षा के अनुसरण में 3 वर्षों से अधिक तक जारी नहीं रखा जाना चाहिए।
- ध. यदि प्राधिकारी पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की सिफारिश करते हैं, तब प्रतिवादी प्राधिकारी से यह भी अनुरोध करता है कि वे मूल जांच में दिये गये फैसले के अनुसार संदर्भ कीमत आधारित शुल्क के सिफारिश करें लेकिन मौजूदा प्रति मीट्रिक टन 855.01 यू एस डॉलर से संदर्भ कीमत के स्तर को घटाने के बाद संबद्ध जांच में निर्धारित एन आई पी के स्तर तक लाया जाये।

घरेलू उद्योग द्वारा किये गये अनुरोध

113. घरेलू उद्योग ने क्षति के फिर से होने की संभावना और जनहित के संबंध में अपने पूर्व के अनुरोधों को दोहराया है और इसके साथ ही प्रकटन विवरण में अपनी टिप्पणियों में निम्नानुसार अनुरोध किया है।
- क. डी जी सी आई एंड एस में सूचित किये गये इण्डोनेशिया से आयात कीमत भारतीय सीमा शुल्क और इण्डोनेशिया के सीमा शुल्क में सूचित की गई आयात कीमत में बहुत अधिक अंतर पर विचार करते हुए अविश्वसनीय है। रोल्स में पोर्ट न किया गया पेपर पूर्व में पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने के साथ शीट में पोर्ट न किये गये पेपर की तुलना में कमतर कीमत अर्थात् 3472 रु. पीएमटी पर आयात किया गया था, इस उत्पाद को अब शीट में पोर्ट न किये गये पेपर से सस्ती कीमत अर्थात् 9698 रु. पर आयात किया जा रहा है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि आयात कीमत विश्वसनीय नहीं है। सी आई एफ और एफ ओ बी कीमत के बीच अंतर लगभग 250 यू एस डॉलर/ मी. ट. है। यह अंतर राशि बहुत अधिक है और इसे व्यापारी के मार्जिन के लिए उत्तरदायी नहीं है। प्राधिकारी को आंकड़ों में बहुत अधिक विसंगति पर

- विचार करते हुए उत्पादकों द्वारा सूचित की गई कीमतों के आधार पर निर्यात कीमत का निर्धारण करना चाहिए।
- ख. पूर्व जांच में प्राधिकारी की इस टिप्पणी पर विचार करते हुए कि आयातों की मात्रा को सिंगापुर में उत्पन्न होने के रूप में सूचित किया जा रहा है यद्यपि सिंगापुर में कोई निर्माण नहीं हुआ है। प्राधिकारी से यह अनुरोध है कि वे कृपया भाग लेने वाले उत्पादकों की प्रश्नावली के उत्तरों और भारतीय सीमा शुल्क के आंकड़ों में सिंगापुर में उत्पन्न होने के रूप में सूचित किये गये आयातों का पूर्णरूप से मिलान करें।
- ग. वर्तमान शुल्क को बिना संशोधन के विस्तार किये जाने की आवश्यकता है क्योंकि घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति की संभावना पर आधारित है।
- घ. प्राधिकारी (क) इण्डोनेशिया और विश्वभर में कम होती हुई मांग; (ख) इण्डोनेशिया से संभावित पाटन और क्षति मार्जिन; (ग) इण्डोनेशिया में निर्यातकों के पास लागत लाभ के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किये गये अनुरोधों पर विचार करने में असफल रहे।
- ङ. निर्धारित क्षति रहित कीमत इतनी कम है कि इसके फलस्वरूप अपर्याप्त क्षति मार्जिन हुआ है। इसके अलावा, प्राधिकारी ने किसी प्रभावी टिप्पणियां करने के लिए इस प्रकार से घरेलू उद्योग को अनुमति नहीं देते हुए पर्याप्त प्रकटन के बिना अनेक कारकों के कारण क्षति रहित कीमत को कम किया है।
- च. उच्चतम उपयोग पर विचार एन आई पी के निर्धारण के लिए इष्टतम के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। यदि घरेलू उद्योग इस तथ्य को मानते हुए कि वास्तविक क्षमता उपयोग मानदंड के रूप में कार्यक्षम उद्योगों को दण्डित कर रहा है और उन्हें बाद के कमतर उपयोग के लिए अकार्यक्षम के रूप में मानते हुए 100 प्रतिशत से आगे उत्पादन करने में सफल रहा है।
- छ. प्राधिकारी से यह अनुरोध किया जाता है कि वे अगोपनीय रूपांतर में विभिन्न तथ्यों जैसे (क) प्राधिकारी द्वारा भेजे गये संप्रेषणों की प्रति और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किये गये उत्तरों की प्रति; (ख) हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोधों; (ग) प्रतिउत्तर अनुरोधों की प्रति; (घ) तीसरे देशों को निर्यातों का प्रकटन; (ङ) एन आई पी का पूर्ण प्रकटन को प्रकट करें।
- ज. शुल्क के नहीं होने से यूकेलिप्टस, सुबाबुल, केसूवारिना, एकेसिया, पोपलर आदि के पौधों को उगाने में लगे हुए काफी संख्या में किसान भी प्रभावित होंगे। घरेलू उद्योग संबद्ध वस्तुओं की समग्र भारतीय मांग को पूरा करने में पूर्ण रूप से सक्षम हैं। घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तुओं के बहुत बड़ी संख्या में उत्पादक हैं और भारतीय उद्योग के पास क्षमताओं का काफी हद तक उपयोग नहीं किया गया है। वर्तमान में, इण्डोनेशिया से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर शून्य दर पर शुल्क लगता है। इस कारण से ऐसी स्थिति में जहां शून्य शुल्क है, उपभोक्ता पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव घरेलू उद्योग को समान अवसर उपलब्ध कराते समय बहुत कम होगा। किसी भी अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने शुल्क के किसी प्रतिकूल प्रभाव का दावा नहीं किया है अथवा उसकी पुष्टि नहीं की है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

114. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग को अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये कुछ अनुरोध पुनरावृतिक प्रकृति के हैं। इन अनुरोधों की जांच पहले ही अंतिम जांच परिणामों उपयुक्त स्थानों पर कर ली गई है। इसके अलावा, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के अतिरिक्त अनुरोधों की जांच निम्नानुसार की है।
- i. इस तर्क के संबंध में ए पी पी ग्रुप के उत्तर को अस्वीकार करना सही नहीं है, यह नोट किया जाता है कि भाग न लेने वाले असंबंधित व्यापारियों के माध्यम से भारत को निर्यातों की मात्रा बहुत अधिक है और इस कारण से प्राधिकारी ने इसे उपयुक्त पाया कि वे प्राधिकारी द्वारा अनुसरण की

- जा रही सतत् कार्यपद्धति के अनुसार ए पी पी ग्रुप द्वारा प्रस्तुत किये गये उत्तर को स्वीकार नहीं करें और इसके बजाय उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्यात कीमत का निर्धारण करें।
- ii. इस तर्क के संबंध में कि कोविड की अवधि के लिए समायोजन निर्यातकों के वास्ते नहीं किया गया है, यह नोट किया जाता है कि स्वयं निर्यातकों द्वारा कोविड 19 के प्रभाव की मात्रा बताने के संबंध में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं कराये गये हैं।
 - iii. इस तर्क के संबंध में कि एप्रिल ग्रुप के संबंध में कोई संभावना नहीं है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि एप्रिल ग्रुप के पास उपलब्ध क्षमताओं का पूर्ण रूप से उपयोग कर लिया गया है, एप्रिल ग्रुप के उत्पादकों और उनके व्यापारियों द्वारा उचित की गई निर्यात कीमतों में बहुत अधिक अंतर है जो पाटित और क्षतिकारक कीमत पर निर्यात करने के लिए उत्पादक को उपलब्ध अतिरिक्त क्षमता को दर्शाता है। बहुत अधिक मात्राओं में तीसरे देशों को उत्पादक की निर्यात कीमत कम कीमत पर और घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और एन आई पी के स्तर के कम है। इस प्रकार, एप्रिल ग्रुप का उच्च निर्यात उन्मुखीकरण और तीसरे देश को निर्यात कीमत क्षति कारक कीमतों पर भारत को अन्य देशों से संबद्ध वस्तुओं के निर्यातों के विपथन की संभावना और पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में परिणाम के तौर पर घरेलू उद्योग को क्षति के फिर से होने की संभावना को दर्शाता है।
 - iv. इस तर्क के संबंध में की जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों की जांच की जानी चाहिए क्योंकि घरेलू उद्योग ने अपने कार्य निष्पादन में सुधार लाये हैं, यह नोट किया जाता है कि चूंकि पाटन के जारी रहने और क्षति के फिर से होने की संभावना को सिद्ध करने के लिए रिकार्ड पर पर्याप्त साक्ष्य है, यह आवश्यक नहीं माना गया था कि जांच की अवधि के बाद की अवधि के आंकड़ों की जांच की जाये।
 - v. इस तर्क के संबंध में कि निर्धारित एन आई पी कम है, यह नोट किया जाता है कि एन आई पी का निर्धारण इस नियमावली के अनुबंध III के अनुसार किया गया है और यह डी जी टी आर की विगत कार्यपद्धति के अनुरूप है।
 - vi. विरोधी हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध के संबंध में कि शुल्कों का विस्तार केवल तीन वर्षों के लिए किया जाना चाहिए, जैसा कि मूल जांच में साथ किया गया था, प्राधिकारी नोट करते हैं कि तीन वर्षों के लिए शुल्कों को सीमित करने के वास्ते कोई औचित्य नहीं दिया गया है केवल यह तथ्य कि इन शुल्कों को पूर्व में तीन वर्षों के लिए सिफारिश की गई थी का अपने आप में यह आशय नहीं है कि वर्तमान विस्तार भी केवल तीन वर्षों के लिए होना चाहिए। किसी भी स्थिति में हितबद्ध पक्षकार शुल्कों की समीक्षा की मांग करने के लिए स्वतंत्र हैं, यदि वे यह मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्क को लगातार लगाये रखने का कोई औचित्य नहीं है।
 - vii. लेन देन वार आयात आंकड़ों को प्रस्तुत करने के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि ए पी पी ग्रुप ने उक्त सूचना उपलब्ध कराई है इसे निर्यातक की प्रश्नावली के उत्तर में आरंभिक रूप से प्रस्तुत नहीं किया गया था लेकिन बाद में डेस्क सत्यापन के दौरान उपलब्ध कराया गया है।

ठ. भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे

115. प्राधिकारी ने इस तथ्य पर विचार किया कि क्या प्रस्तावित पाटनरोधी शुल्क लगाने से जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके लिए प्राधिकारी ने इस तथ्य की जांच की कि क्या विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर प्रस्तावित शुल्क को लगाना व्यापक जनहित के विरुद्ध होगा। यह निर्धारण रिकार्ड पर सूचना तथा विभिन्न पक्षकारों जिसमें घरेलू उद्योग, इस उत्पाद के आयातक और उपभोक्ता शामिल है, के हितों पर विचार करने पर आधारित है।
116. प्राधिकारी ने आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचार आमंत्रित करते हुए राजपत्र अधिसूचना जारी की। प्राधिकारी ने वर्तमान जांचों के संबंध में संगत सूचना उपलब्ध

कराने के लिए उपभोक्ताओं के वास्ते प्रश्नावली जिसमें उनके प्रचालनों पर पाटनरोधी शुल्क का संभावित प्रभाव शामिल है, भी निर्धारित किया। ये शुल्क 4 दिसंबर, 2018 से लागू हुए हैं।

117. रिकार्ड पर उपलब्ध सूचना से यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि के दौरान उपर्युक्त संदर्भ कीमत से अधिक पर आयात हुए हैं और पाटनरोधी शुल्क का कोई भार प्रयोक्ताओं पर नहीं पड़ा है। संबद्ध वस्तुओं का एक डाउनस्ट्रीम उद्योग है और उसका उपयोग विस्तृत स्तर पर आम जनता द्वारा किया जाता है। प्राधिकारी ने अंतिम उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क के वर्तमान स्तर के प्रभाव का आकलन किया है। यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क के वर्तमान स्तर पर अंतिम उपभोक्ता पर प्रभाव इस उत्पाद की औसत बिक्री कीमत का लगभग 0.64 प्रतिशत है।
118. संबद्ध वस्तुओं की आपूर्ति का अन्य वैकल्पिक स्रोत है। थाईलैण्ड, यू एस ए, आस्ट्रेलिया, वियतनाम और मलेशिया जैसे देश संबद्ध वस्तुओं के अन्य निर्माता हैं जिससे आयातों को मांग-आपूर्ति में अंतर की स्थिति में किया जा सकता है।
119. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को पाटनरोधी शुल्कों को जारी रखकर कम नहीं किया जायेगा। इसके विपरीत, पाटनरोधी शुल्कों को जारी रखने से पाटन की कार्यपद्धतियों द्वारा प्राप्त अनुचित लाभ को समाप्त किया जायेगा और घरेलू उद्योग की गिरावट को रोका जायेगा और संबद्ध वस्तुओं के उपभोक्ताओं को अपेक्षाकृत व्यापक विकल्प की उपलब्धता बनाये रखने में मदद मिलेगी।
120. पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य आमतौर पर पाटन की अनुचित व्यापार कार्यपद्धतियों द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है जिससे कि भारतीय बाजार में खुली और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थिति फिर से स्थापित हो सके जो देश के सामान्य हित में है। घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना से यह नोट किया जाता है कि शुल्कों को लगाये जाने से संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों को लाभ हुआ है।

ड. निष्कर्ष

121. दिए गए तर्कों, उपलब्ध कराई गई सूचना, किये गये अनुरोधों और इन जांच परिणामों में यथा रिकार्ड किये गये प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों पर विचार करते हुए और यहां ऊपर पाटन के निर्धारण और हुई घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति के आधार पर प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि:

- क. आवेदक घरेलू उत्पादक इस नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग है और घरेलू उत्पादकों की ओर से आवेदक द्वारा दायर किया गया आवेदन इस नियमावली के नियम 5(3) के संदर्भ में आधार के मानदंड को पूरा करता है। चूंकि यह आवेदन पाटन और क्षति की संभावना पर आधारित है, वेस्ट कॉस्ट पेपर मिल्स लिमि. और तमिलनाडू न्यूजप्रिंट और पेपर्स लिमि. को घरेलू उद्योग के कार्यक्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है।
- ख. विचाराधीन उत्पाद का भारत को सामान्य मूल्य से कम कीमतों पर निर्यात किया जाना जारी है और इसके फलस्वरूप लगातार पाटन हुआ है। आयातों की मात्रा में पाटनरोधी शुल्क के कारण गिरावट आई है। हालांकि, आयात की मात्रा में पाटित और क्षतिकारक कीमत जिन पर इन वस्तुओं का निर्यात इण्डोनेशिया से तीसरे देश को किया गया है, उच्च निर्यात उन्मुखीकरण, इण्डोनेशिया में बहुत अधिक मात्रा में अतिरिक्त क्षमताओं पर विचार करते हुए बहुत अधिक हद तक वृद्धि होने की संभावना है। यह स्पष्ट है कि उत्पाद का पाटन संभवतः जारी रहने वाला है और पाटनरोधी शुल्कों के समाप्त होने की स्थिति में आयातों की मात्रा संभवतः बहुत अधिक हद तक बढ़ने वाली है।

- ग. आयातों की मात्रा में पूर्ण रूप में और भारत में उत्पादन और खपत की तुलना में बहुत अधिक हद तक गिरावट आई है। आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती नहीं हो रही थी और घरेलू उद्योग को मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के कारण अपनी कीमतों पर न्यूनकारी अथवा ह्रासकारी प्रभाव के कारण हानि नहीं हुई। इसके अलावा, घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में क्षति के वर्तमान अवधि के दौरान गिरावट नहीं आई है और घरेलू उद्योग को लागू पाटनरोधी शुल्क के कारण संबद्ध आयातों के कारण वास्तविक क्षति नहीं हुई है।
- घ. पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने की स्थिति में, बहुत अधिक मात्राओं में पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति होने की स्पष्ट संभावना है। इण्डोनेशिया संबद्ध वस्तुओं का सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। इण्डोनेशिया में बहुत अधिक मात्रा में उपयोग न की गई क्षमताएं हैं जो समग्र भारतीय मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। तीसरे देशों को बहुत अधिक मात्रा में निर्यात इन उत्पादकों द्वारा बिक्री कीमत, घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत और तीसरे देश की कीमतों के स्तर से कम कीमतों पर किया गया है। यह भी देखा जाता है कि विभिन्न देशों ने इण्डोनेशिया से संबद्ध वस्तुओं पर व्यापार उपचारात्मक शुल्क लगाये हैं।
- ङ. इस प्रकार (क) पर्याप्त अतिरिक्त क्षमता (ख) इण्डोनेशिया के उत्पादकों का उच्च निर्यात उन्मुखीकरण (ग) तीसरे देशों को क्षति कारक निर्यातों की बहुत अधिक मात्रा (घ) भारतीय बाजार की कीमत आकर्षकता और (ङ) इण्डोनेशिया से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर डब्ल्यू टी ओ के अन्य सदस्य देशों द्वारा लगाया गया व्यापार उपचारात्मक उपायों पर विचार करते हुए पाटन के जारी रहने और घरेलू उद्योग को क्षति के फिर से होने की संभावना है।

ढ. सिफारिशें

122. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस निर्णायक समीक्षा की शुरुआत की गई थी और इसे सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित किया गया था तथा घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों/ प्रयोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध तथा पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना के पहलुओं पर सूचना उपलब्ध कराने के लिए समुचित अवसर दिया गया था। इस नियमावली के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के संदर्भ में पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध तथा पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना की निर्णायक समीक्षा शुरू करने और उसे सम्पन्न करने के बाद प्राधिकारी का यह विचार है कि पाटनरोधी को लगातार लगाये रखना संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं पर अपेक्षित है।
123. इन परिस्थितियों, निर्दिष्ट प्राधिकारियों संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की मौजूदा मात्रा को जारी रखने की सिफारिश करने के लिए इसे उपयुक्त मानते हैं। इस प्रकार प्राधिकारी नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम 7 में दर्शायी गई राशि और संबद्ध वस्तुओं की पहुंच मूल्य के बीच अंतर, बशर्ते पहुंच मूल्य कॉलम 7 में दर्शाये गये मूल्य से कम हो, के रूप में केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तिथि से दो (2) वर्षों की अन्य अवधि के लिए दिनांक 4 दिसंबर, 2018 की अधिसूचना सं. 56/2018 – सीमा शुल्क के माध्यम से लगाये गये मौजूदा निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की सिफारिश करने के लिए इसे आवश्यक मानते हैं।

शुल्क तालिका

क्र. सं.	शीर्षक/ उप-शीर्षक	वस्तुओं का विवरण	उत्पत्ति वाले देश	निर्यात करने वाले देश	उत्पादक	राशि (यू एस डॉ/ मी. ट.)
1	2	3	4	5	6	7
1	4802*	अनुमत्य सीमाओं के साथ निम्नलिखित आकारों के आयातकार शीट में पोर्ट न किया हुआ पेपर (क) 210एमएम x 297 एमएम जिसे ए4 आकार के रूप में भी जाना जाता है; (ख) 297एमएम x 420एमएम जिसे ए3 आकार के रूप में भी जाना जाता है; (ग) 215एमएम x 345एमएम	इण्डोनेशिया	इण्डोनेशिया सहित कोई भी देश	क) पीटी रियाउ अण्डालन केरटास ख) पीटी अनुग्रह केरटास उटामा ग) पीटी एशिया प्रेसिफिक रेयॉन	855.01
2	- वहीं-	- वहीं-	इण्डोनेशिया	इण्डोनेशिया सहित कोई भी देश	क्र.सं. 1 पर दी गई कंपनी को छोड़कर कोई भी संयोजन	855.01
3	- वहीं-	- वहीं-	इण्डोनेशिया को छोड़कर अन्य देश	इण्डोनेशिया/ सिंगापुर	कोई भी	855.01

* सीमा शुल्क वर्गीकरण संसूचक मात्र है और शुल्क का निर्धारण पी यू सी के वर्णन के अनुसार किया जायेगा।

124. इस अधिसूचना के प्रयोजन से आयातों का पहुंच मूल्य आकलन किए जाने योग्य मूल्य होगा जिसका निर्धारण सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) के अंतर्गत सीमा शुल्क द्वारा किया जायेगा और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 3, 88, 9 और 9क के अंतर्गत शुल्कों को छोड़कर सभी सीमा शुल्क शामिल हैं।

ण. आगे की प्रक्रिया

125. केंद्र सरकार द्वारा इसकी स्वीकृति के बाद इन जांच परिणामों के विरुद्ध अपील 1995 में यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमा शुल्क टैरिफ नियमावली 1975 के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद और सेवा कर अपीलीय न्यायाधीकरण के समक्ष की जाएगी।

अनंत स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)

(Directorate General Of Trade Remedies)

New Delhi, the 26th November, 2021

NOTIFICATION

FINAL FINDINGS

Case No. (SSR - 08/2021)

Subject: Sunset Review anti-dumping investigation concerning imports of “Uncoated Copier Paper” originating in or exported from Indonesia and Singapore.

F. No. 7/8/2021-DGTR.—A. BACKGROUND OF THE CASE

1. An anti-dumping investigation concerning imports of Uncoated copier paper (hereinafter also referred to as the subject goods or product under consideration or ‘PUC’) originating in or exported from Thailand, Singapore and Indonesia, was initiated by the Designated Authority (hereinafter referred to as ‘the Authority’) vide Notification No. 6/32/2017-DGAD dated 2nd November 2017. The Authority notified the final findings on 30th October 2018 recommending definitive anti-dumping duty on the imports of the subject goods from the subject countries. The definitive anti-dumping duty on the subject goods imported from the subject countries was imposed vide Notification No. 56/2018-Customs dated 4th December 2018 for a period of three years.
2. In terms of Section 9A (5) of the Act, anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition and the Authority is required to review whether the expiry of anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.
3. In accordance with the above, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry, as to whether the expiry of anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.
4. And whereas, in terms of above provisions, M/s JK Paper Limited (hereinafter referred to as the “Applicant”) filed an application before the Designated Authority in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 and the Anti-Dumping Rules requesting initiation of sunset review of anti-dumping duty (ADD) imposed on imports of “Uncoated copier paper” (hereinafter referred to as “subject goods” or “product under consideration” or “PUC”), originating in or exported from Thailand, Indonesia and Singapore.
5. The Applicant sought continuation of the anti-dumping duty against imports of "Uncoated copier paper" from Indonesia, Singapore and Thailand. The request was based on the ground that the expiry of the anti-dumping duty was likely to result in continuation/recurrence of dumping of the subject goods and consequent injury to the domestic industry.
6. On the basis of *prima facie* evidence of likelihood of dumping and injury, the Authority initiated Sunset Review (SSR) investigation vide Notification No. 7/8/2021-DGTR dated 19th May 2021 to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from Indonesia and Singapore (hereinafter referred to as “subject countries”) and to examine whether the expiry of the said ADD is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry. Sunset review investigation was not initiated on imports from Thailand.
7. Pending conclusion of the present review, the anti-dumping duty were extended up to and inclusive of 28th February 2022 vide Notification No. 48/2021-Customs (ADD) dated 27th August 2021.
8. The scope of the present review covers all aspects of the Final Findings Notification No. No. 6/32/2017-DGAD dated 30th October 2018.

B. PROCEDURE

9. The procedure described below has been followed in the present review:

- i. The Authority vide Notification No. 7/8/2021-DGTR dated 19th May 2021 issued a public notice in the Gazette of India Extraordinary, initiating Sunset Review Investigation concerning anti-dumping duty imposed on imports of the subject goods from the subject countries.
- ii. In accordance with rule 6(2) of the AD Rules, the Authority forwarded a copy of the initiation notification dated 19th May 2021, to the Embassies of the subject countries in India, the known producers and exporters from the subject countries, known importers/user associations and other interested parties, as per the addresses made available by the Applicant. The interested parties were advised to provide relevant information in the prescribed form and manner and to make their submissions known in writing within the prescribed time limit.
- iii. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the Embassies of the subject countries in India in accordance with Rule 6(3) of the Rules.
- iv. The Embassies of the subject countries in India were also requested to advise the exporters/producers from their countries to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers/exporters was also sent to the Embassies along with the names and addresses of the known producers/exporters from the subject countries.
- v. The Authority, upon request made by the interested parties, granted extension of time up to 10th July 2021 for filing their Questionnaire Responses.
- vi. The Authority sent questionnaires to the following known producers/exporters in the subject countries in accordance with Rule 6(4) of the Rules:

PT. Pindo-Deli Pulp and Paper Mills (“PD”)	PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. (“TK”)
PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. (“IK”)	PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry (“Lontar”)
PT. Purinusa Ekapersada (“Purinusa”)	PT Riau Andalan Pulp And Paper (APRIL)
Indah Kiat Pulp & Paper PORCELAIN TILES	Chuan Ann Paper Products
AHF Industries	Andoman Trading and Shipping Company Pte Ltd
Cellmark Asia Pte Ltd	Asia Pulp and Paper Co Ltd
Alliance Paper and Board Products Pte Ltd	APPA (Singapore) Pte Ltd

- vii. Following exporters/producers have responded and filed Exporter Questionnaire Responses before the Authority:

PT. Indah Kiat Pulp and Paper Tbk. (“IK”)	P.T. Pindo-Deli Pulp and Paper Mills (“PD”)
PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. (“TW”)	PT Riau Andalan Kertas (“RAK”)
PT Anugerah Kertas Utama (“AKU”)	PT Asia Pacific Rayon (“APR”)
APRIL International Enterprise Pte. Ltd (“AIE”)	PT Sarana Jaya Andalan, Indonesia (PT SJA)

- viii. Submissions have been made by the Government of Indonesia and the same have been duly considered in the present final findings.

- ix. Questionnaires were also sent to the following known importers and users of the the subject goods in India seeking necessary information in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules:

Allied Speciality Papers (India) Pvt. Ltd.	Bhagwati Enterprises
Excel Enterprise	K. C. Exim (P) Ltd.
Narsingh Dass & Co. (P) Ltd.	Nutech Print Services - India
Paras Papers	Plus Marketing
Shah Devji Shivji and Co.	Sheth Brothers
Shree Balaji Udyog	Shree Chamunda Enterprise
Standard Paper And Board India Pvt. Ltd.	Synchem
Tenny Jose and Associates Ltd.	Unique Sales Corporation
White Arrow Group of Companies	

- x. In response to the initiation notification, one related importer i.e., AIE Fiber Resource and Trading (India) Private Limited (“AFRT”) has filed questionnaire response.
- xi. The period of investigation (POI) for the purpose of the present review is 1st January 2020 to 31st December 2020 (12 months). The injury investigation period will cover 2017-18, 2018-19, 2019-20 and the POI.
- xii. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to provide the details of imports of subject goods for the injury investigation period and the same was received by the Authority. The Authority has used the DGCI&S import data for computation of the volume and value of imports and injury analysis.
- xiii. In accordance with Rule 6(6) of the Anti-Dumping Rules, the Authority provided opportunity to the interested parties to present their views orally in the hearing held on 11th August 2021. All the parties were requested to submit their written submissions and the rejoinder to the written submissions latest by 13th August 2021 and 16th August 2021, respectively.
- xiv. The non-confidential version of the evidence presented by the various interested parties was circulated amongst them on the instructions of the Designated Authority in terms of Trade Notice No. 01/2020 dated 10th April 2020. Submissions made by all the interested parties have been taken into account to the extent found necessary by the Authority.
- xv. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- xvi. Further information was sought from the Applicant and other interested parties to the extent deemed necessary.
- xvii. Desk Verification of the information submitted by the domestic industry and other interested parties was conducted to the extent considered necessary for the purpose of the present review.
- xviii. M/s West Coast Paper Mills Ltd. and M/s Tamil Nadu Newsprint and Papers Ltd. (TNPL) filed information relating to their performance (both injury and costing information), after initiation of the investigation.
- xix. The Non-Injurious Price (hereinafter referred to as ‘NIP’) has been worked out based on the optimum cost of production and cost to make and sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP).

- xx. The submissions made by the interested parties to the extent considered relevant by the Authority have been addressed in these final findings.
- xxi. Wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigations, or has significantly impeded the investigation, the Authority has recorded its observation on the basis of the facts available.
- xxii. The Authority has considered all the arguments raised and information provided by all the interested parties, to the extent supported with evidence and considered relevant to the present review, in the present final findings.
- xxiii. In accordance with Rule 16 of the Rules, the essential facts of the investigation were disclosed to the known interested parties vide Disclosure Statement dated 18th November, 2021 and comments received thereon, considered relevant by the Authority, have been addressed in these final findings. The Authority notes that most of the post disclosure submissions made by the interested parties are mere reiteration of their earlier submissions. However, the post disclosure submissions to the extent considered relevant are being examined in these Final Findings.
- xxiv. *** in these final findings represents information furnished by an interested party on confidential basis, and so considered by the Authority under the Rules.
- xxv. Exchange rate considered for the POI for conversion of USD to Indian Rupees is 1USD = Rs. 74.99.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

C.1. Submissions made by other Interested Parties

- 10. None of the exporters, importers, consumers, and other interested parties have filed any comment or submissions with regard to scope of the product under consideration and the like article.

C.2. Submissions made by the Domestic Industry

- 11. The domestic industry has made the following submissions with regard to the scope of the product under consideration and like article:
 - i. The instant investigation being a sunset review investigation for reviewing the need for continued imposition of the anti-dumping duty in force, the product under consideration remains the same as has been defined in the previous investigation.
 - ii. The product involved in the previous investigations and the present review investigation is uncoated paper in rectangular sheet of following sizes, with permissible limits (a) 210mm x 297 mm also known as A4 size; (b) 297mm x 420mm also known as A3 size; (c) 215mm x 345mm also known as FS or legal size.
 - iii. Subject goods fall within Chapter 48 of the Customs Tariff Act, 1975 under customs sub-headings 4802 of the Customs Tariff Act, 1975. The classification is however indicative only and in no way binding on the scope of the present review.
 - iv. There is no known difference in subject goods produced by the domestic industry and subject goods imported into India. They are comparable in terms of the technical specifications, quality, functions, or end-uses. The two are technically and commercially substitutable. The customers are using the two interchangeably and hence should be treated as like article in accordance with the Rules.

C.3. Examination by the Authority

12. The present investigation is a sunset review and the scope of the product under consideration remains the same as defined in the original investigation. The product under consideration determined in the original anti-dumping investigation vide Final Findings No. 6/32/2017-DGAD dated 30.10.2018 is reproduced herein below:

“6. The Authority has noted submissions made by various interested parties with regard to scope of the product under consideration and like article offered by the DI. With respect to the product under consideration, the Authority notes:

a) The product under consideration for the purpose of present investigation is “uncoated paper in rectangular sheet of following sizes, with permissible limits (a) 210mm x 297 mm also known as A4 size; (b) 297mm x 420mm also known as A3 size; (c) 215mm x 345mm also known as FS or legal size.” The product under consideration practically implies cut to size “uncoated copier paper”.

b) The product under consideration is generally (but not exclusively) used as a photocopy or copy paper and therefore is popularly known as “copy paper”, “copier paper”, “photocopy paper”, “multipurpose paper”, “uncoated copier paper”, “A4 Size Paper”, “A3 Size Paper” or “FS Size Paper”. It is in the form of finished sheets; weighing in different gsm. It can be a white paper or a punched paper and in different smoothness of the surface.

c) Regarding the PUC, the Authority examined the scope of possible circumvention of any anti-dumping duty, if imposed, by import of copier paper in rolls, reels and large sized sheet and cutting it to size in India. The DI as well as the exporters informed that this was not feasible as copier paper was traded in cut to size and packed sheets. The cost differential between copier paper sold in cut and sized packs and paper imported in rolls was very small, making any cutting and packing operation commercially unviable. Thus, specifically excluded from the scope of the product under consideration are uncoated paper of a kind used for writing, printing, photocopying/copying, other graphic purposes etc. in rolls, reels and large sized sheet (i.e., other than sizes specified above) forms.

d) Product under consideration is classified under customs heading 4802. The customs classification is indicative only and in no way, it is binding upon the product scope.”

13. The Authority therefore determined that the PUC in the present investigation shall be the same as in the original investigation. The product under consideration is classified under Customs Tariff sub-heading 4802 of the Customs Tariff Act. This classification is, however, indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation.
14. The Authority notes from the information on record that the product under consideration produced by the domestic industry is like article to the goods imported from the subject countries. The product under consideration produced by the Indian industry and imported from the subject countries are comparable in terms of technical specifications, functions or end-uses, product specifications, pricing, distribution & marketing, and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably.

D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY & STANDING**D.1. Submissions made by other Interested Parties**

15. Following submissions have been made by other interested parties:

- a. The domestic industry was defined in the original investigation as comprising of all three producers namely JK Paper Ltd., West Coast Paper Mills Ltd. and Tamil Nadu Newsprint & Papers Ltd. The same cannot be altered in the sunset review investigation.

- b. Alteration in the constituents of domestic industry will create risk of distortion by way of demonstrating a non-existent injury to the domestic industry. The Authority is required to ensure that such an alteration has not been done to impact the evaluation of injury parameters.
- c. Information provided in the non-confidential version of the application of the domestic industry regarding standing of the domestic industry is insufficient and inconclusive because a broad range of production share is provided.
- d. The applicant domestic industry may have taken a low production quantity of other domestic producers to meet the threshold of major proportion requirement.
- e. Absence of information from West Coast Paper Mills Limited & Tamil Nadu Newsprint and Papers Limited is prejudicial to the interest of the interested parties.

D.2. Submissions made by the Domestic Industry

16. The domestic industry has made the following submissions with regard to the scope of domestic industry and standing:
- i. JK Paper Limited filed the application and post filing of the application, West Coast Paper Mills Ltd. and Tamil Nadu Newsprint and Papers Ltd. (TNPL) supported the application. All requisite information in the prescribed formats along with consolidated Format H for all the three companies have been provided.
 - ii. If the costing information of the other two domestic producers, West Coast Paper Mills Ltd. and Tamil Nadu Newsprint and Papers Ltd., were to be included, then it would increase overall NIP.
 - iii. There is no basis to claim that the scope of domestic industry cannot change in review investigations. There are similar instances in several past cases wherein the scope of the domestic industry changed in review investigations. In the investigation relating to SBR, the original domestic industry ceased operations by the time of review investigation.
 - iv. The argument that the alteration to the composition of the domestic industry would lead to demonstration of non-existent injury to the domestic industry surmises no reference to the facts of the case. The principles of judicial economy require that the Designated Authority considers whether the issue is even relevant to the facts of the present case, rather than looking into a non-existent future possible situation.
 - v. Standing is not a requirement in sunset review investigation. The applicant cannot possibly be aware of the exact figures and once aware of the exact figures of TNPL and West Coast considering their support, the standing was revised accordingly. The applicant has filed complete information for TNPL and West Coast. Further, Format H aggregate was filed and shared, including revised confidentiality claim.

D.3 Examination by the Authority

17. Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules defines domestic industry as under:

"(b) 'domestic industry' means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers".

18. The application has been filed by JK Paper Ltd. Further, the application has been supported by West Coast Paper Mills Ltd. and Tamil Nadu Newsprint and Papers Ltd. Post initiation of the present review, the supporter

companies, i.e., West Coast Paper Mills Ltd. and Tamil Nadu Newsprint and Papers Ltd., have submitted the injury and costing information.

19. The production of the applicant i.e. JK Paper Ltd. constitutes ***% of the total domestic production in India. JK Paper Ltd. thus constitutes domestic industry within the meaning of the Rules. Therefore, the Authority has not taken into account the injury information submitted by West Coast Paper Mills Ltd. and Tamil Nadu Newsprint and Papers Ltd in the injury examination. However, since these companies have provided relevant information, the same has been nevertheless separately examined in order to ascertain whether their performance shows materially different position as compared to the applicant domestic industry.
20. The Authority further notes that JK Paper Ltd. has not imported the subject goods during the period of investigation and is not related to any producer or exporter of the subject goods from the subject countries or any importer of the subject goods in India.
21. In view of the above, the Authority holds that JK Paper Ltd. constitutes domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the Rules and satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3).

E. CONFIDENTIALITY

E.1. Submissions made by other Interested Parties

22. Other interested parties have made the following submissions:
 - a. Non-compliance of the domestic industry with Trade Notice has prevented the respondents from assessing, and thereafter, commenting on the situation of the domestic industry as a whole.
 - b. The said non-compliance does not become irrelevant in the present case just because the domestic industry has not claimed any injury. It may be appreciated that the word 'continued' in Section 9A(5) and Rule 23(1B) covers a temporal relationship between past and future. Thus, no likelihood analysis can be carried out unless the complete and accurate information for injury is provided.
 - c. The applicant has not provided trend of the data/information as per Annexure I of the Trade Notice 10/2018 and has left the parameters blank or claimed them as business sensitive information with no good cause for departure from the requirements of the Trade Notice.
 - d. The petitioner has claimed complete confidentiality over Formats A, B, C, D, E, I, J, K, and L. Apart from the actual figures, the petitioner has an obligation to disclose the non-confidential version of the formats containing relevant heads of costs, expenses, time period etc., that was considered by the domestic industry.
 - e. The petitioner has failed to provide non-injurious price range in the Petition as per the prescribed +/-10% range in the trade notice and absence of reasonable information in this regard prejudices interested parties as it provides no reasonable estimate of the actual non-injurious price that the domestic industry claims to have calculated.
 - f. The range of 30-60% provided in the original petition by the applicant as non-confidential summary of their share in total Indian production and the range of 20-40% subsequently provided in the revised additional submission cannot be considered as an appropriate summary of confidential information permitting reasonable understanding of the substance of information contained therein.

E.2. Submissions made by the Domestic Industry

23. Submission by domestic industry with regard to confidentiality are as follows.

- i. Disclosure of actual information would readily enable one of the domestic industries to judge performance of other two producers. Even domestic competitors would get access to sensitive business information. Despite the trade notice guidelines, the Authority has allowed confidentiality on price parameters in its final findings where there are three or more producers within the scope of domestic industry.
- ii. There is no prejudice to any interested party and the analysis and ability to comment does not get jeopardized on the ground of non-disclosure of certain volume related information.
- iii. Information claimed confidential by the applicant in any case is similar to the information claimed confidential by other parties as well.

E.3 Examination by the Authority

24. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of the Rules provides as follows:

" Confidential information : (1) Notwithstanding anything contained in sub-Rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule (2) of rule 12, and sub-rule (4) of rule 15, and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of the investigation shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorisation of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the party's providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information. "

25. Submissions made by the domestic industry and other opposing interested parties with regard to confidentiality, to the extent considered relevant, were examined by the Authority and addressed accordingly. The Authority notes that the information provided by the interested parties on confidential basis was duly examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority also notes that all interested parties have claimed their business-related sensitive information as confidential.

26. A list of all interested parties was uploaded on DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties.

F. MISCELLANEOUS ISSUES**F.1. Submissions made by other Interested Parties**

27. Views of other interested parties with regard to other issues are as follows:

- i. Hearing held on 11.08.2021 cannot be termed as an effective opportunity of hearing in terms of principles of natural justice, Rule 6 (6) of Anti-dumping Rules and Article 6 of the Anti-dumping agreement because:
 - a. certain information was shared after business hours on 10th August 2021.
 - b. information was still not as per the trade notice. Exemption have been sought on certain critical information such as costs, selling price, profits, cash flow, ROI, interest, depreciation, etc.
 - c. once the case was initiated excluding Thailand, the domestic industry was under obligation to provide updated injury related information excluding Thailand.
 - d. even otherwise, the email of the domestic industry was not marked to all the interested parties.
- ii. The approach adopted to remove Thailand from the subject countries at the stage of initiation has led to a final decision by the Authority even before hearing any party or having any information required for making such determination. The exclusion of a particular country might cause serious prejudice to the exporters from other countries who are competing in the very same market.
- iii. The exclusion of a country or a product at the initiation stage introduces material risks of manipulation and discrimination.
- iv. Anti-dumping duty for limited period of 3 years was deemed appropriate by the Authority instead of the normal duration of 5 years because protection for a limited time period was deemed appropriate to mitigate the injury caused to the domestic industry.
- v. The consolidated information for JK Paper Limited, Tamil Nadu Newsprint Paper Limited and West Coast Paper Mills Limited was not shared with the Respondents before the oral hearing. Selective dissemination of information by the Applicant with certain interested parties is against the principles of natural justice. Information was provided to certain interested parties only after the oral hearing.

F.2. Submissions made by the Domestic Industry

28. Submissions made by the domestic industry with regard to other issues are as follows:

- i. The domestic producers shared the consolidated information on 2nd August 2021 to enable the interested parties to comment on the same even before the Authority takes a call on the composition and scope of the domestic industry. Format H was shared a day prior to hearing after disclosing the volume parameters and giving due justification for claiming the price parameters confidential.
- ii. The applicant had shared all information with all the interested parties on 2nd August 2021 including consolidated information of all the 3 companies via email which included two email IDs of the legal representatives of APRIL Group. Interested parties had sufficient time and opportunity to make comments on the consolidated information of the domestic producers.
- iii. The applicant revised the non-confidential version of the consolidated information and shared such revised information on 10th August 2021 after issues of excessive confidentiality were raised by other interested parties. The applicant did not selectively disseminate information, but due to an error missed sharing the revised submission with APRIL Group. This was rectified and shared immediately, after the hearing.
- iv. DGTR does have the right to decide on the subject countries to be covered in the sunset review investigation. There is no mala-fide in the exclusion of Thailand from the subject countries.
- v. It is illogical to say that since the subject countries have undergone change, the duties also need to undergo change. The import volume has declined, and the export price is unreliable, hence, the duties

should be continued as was in existence. The existing duties in force are in the form of benchmark prices which was the NIP determined in the original investigation.

- vi. The period for which duty has been imposed has no bearing on any sunset review investigation and industry cannot be denied the right to seek sunset review and thereby continuation of duties under the Act and Rules. Reference made to the O-acid case to state that the practice is not to conduct sunset review in those cases where original period of levy of duty was less than 5 years is incorrect.

F.3. Examination by the Authority

29. The miscellaneous submissions have been examined as under:

- i. As regards the submission on exclusion of Thailand from subject countries at the stage of initiation, it is noted that the same was excluded because the dumping margin in respect of exports from Thailand was found to be below de-minimis level. It is further noted that the Authority, prior to initiation of an investigation, is required to undertake a prima facie scrutiny of the application and has therefore the right not to initiate the investigation against a country not found appropriate to be investigated against.
- ii. As regards the submission that original duties were levied only for a period of 3 years and therefore sunset review should not have been initiated, it is noted that sunset review investigation is not contingent upon the period for which the duty was originally levied.
- iii. With respect to submission regarding sharing of consolidated information by domestic industry, it is noted that the consolidated information was made available by the domestic industry to all the interested parties and appropriate opportunity was available with all interested parties to file comments.

G. NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DETERMINATION OF DUMPING MARGIN

G.1. Submissions made by other interested Parties

30. The submission made by other interested parties with regard to normal value, export price and dumping margin, are as follows:

- i. The approach to refer only to one single price of a paper product, namely ChameX A4 Copy Paper, to determine normal value for Indonesia is unacceptable. Firstly, the scope of the product subject to this investigation covers a wide variety of copier paper. Secondly, the prices of paper for the same size may also vary for each brand as several factors like quality, margin of profit, product cost etc. influence the pricing of the product.
- ii. Government of Indonesia questions the applicant's method to depend on Maplitho data for calculating the dumping margin in subject countries, including Indonesia.
- iii. Claim concerning the existence of a particular market situation in Indonesia is erroneous. The applicant has simply copied the finding of the Australian authority on the anti-dumping investigation on A4 copier paper without providing any information or facts regarding the relevant laws and regulations applicable during the investigation period. Also, the period of investigation of the current case and the past case referred by the applicant is different.
- iv. Existence of "particular market situation" cannot be examined for the first time in a sunset review investigation in terms of Rule 23(1B).
- v. The Authority has consistently, in the past, decided to examine the issue of availability of raw material at less than adequate remuneration through an anti-subsidy investigation only.

- vi. The findings of ADC do not hold any relevance as far as the present investigation is concerned as the duties against Pindo Deli and IK were revoked through Review 547 by ADC. The findings in the said review regarding PMS is of no consequence for them. For APRIL, the ADC noted that it's domestic sales are suitable for use in determining normal value and, thus, the same were taken into consideration.
- vii. The WTO Appellate Body in EC-Fasteners has envisaged two conditions where "Particular Market Situation" can be said to exist (i) a complete or substantially complete monopoly of its trade and (ii) where all domestic prices are fixed by the State.
- viii. The domestic industry did not even address the question that even if it were assumed that government policies lower the cost of raw materials in Indonesia, the costs of all the goods, irrespective of the fact that whether the same were for domestic or export market would have got affected.
- ix. Determination of dumping margin and injury margin should be based on the information provided by the Respondents in the EQR, and not based on assertions/assumptions made by the Applicant.
- x. Export price of subject goods reported in the Exporter Questionnaire Responses of participating producers/exporters should be relied upon by the Authority. Customs data of Indonesia cannot be relied on for dumping, injury and likelihood analysis as Indonesia customs data will not reflect prices of exports made via Singapore. Claims that import data of Maplitho paper should be relied on for likely margins is erroneous, as it is not PUC and a different product, and no legal basis has been provided for such reliance.
- xi. There is no particular market situation prevailing in the Republic of Indonesia warranting rejection of actual domestic selling price for determination of dumping margin. No PMS was argued in the original investigation. WTO Panel in Australia – Anti-Dumping Measures on Paper noted that the phrase "*particular market situation*" is relevant only if it affects price comparison between normal value and export price. Australian Commission in the review noted that despite PMS a proper comparison is permitted between APRIL's domestic sales and its export sales. Pulp is also raw material for viscose staple fibre, on which SSR has been done by the Authority recently but there was no claim of PMS in the viscose staple fibre SSR case.
- xii. Indonesian exporters have maintained their financial records based on GAAP, and the determination of dumping margin for Indonesian exporters shall be based on the data and information provided by them through the questionnaire response as mandated by the WTO ADA.
- xiii. The reference of the petitioner to an ADC investigation conducted in 2016 was misleading. Although ADD imposition was applied against Indonesia, this imposition does not represent the final and factual condition of the case.
- xiv. The Government of Indonesia refers to the Appellate body EU – Biodiesel case and states that the Applicants' request to adjust the cost and prices in Indonesia with the international price should be disregarded as it is based on a mere assumption that the particular market situation exists in Indonesia and is not supported by any adequate basis.
- xv. The domestic prices of Indonesian producers are suitable to be used in determining normal value since the actual domestic price and export price of Indonesia producers irrefutably permit proper comparison according to Article 2.2 of ADA, and applicant should not have misled the Authority by using Australian investigation as reference.

G.2. Submissions made by the Domestic Industry

31. Submissions of the domestic industry with regard to normal value, export price and dumping margin, are as follows:

- i. The present import price from Indonesia as per DGCIS data is not reliable and there exists significant difference in the import price of uncoated copier paper and Maplitho paper after imposition of anti-dumping duty. Export price as per Indonesian customs data shows significant difference as compared to prices reported in Indian customs. No justification has been given by any party for this significant difference. Hence, the applicant submits that export price should be determined based on FOB export price reported in Indonesian customs. For likelihood purposes, the import price of uncoated paper in rolls should be considered.
- ii. Particular Market situation prevails in Indonesia due to various measures taken by the Government of Indonesia leading to artificially low price of raw materials which affects the price comparability between normal value and export price. Further, PMS gives unfair cost advantage to the exporters to sell the subject goods at artificially low prices in home market and provides significant leverage in the international/export market to compete with all other suppliers of those markets.
- iii. PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (TBK) has claimed most contents in its EQR confidential which includes information available in the public domain hence, the applicant is prejudiced to comment on the information.
- iv. PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (IK) has claimed most of their content as confidential in their EQR and hence the applicant is unable to comment on the same.
- v. Most information in the EQR of PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills was claimed confidential, hence, the applicant is unable to comment on the same.
- vi. The Australian Commission held that PMS did not permit proper price comparison between normal value and export price for APP Group and that PMS did not impact the price comparison for the APRIL group in another finding. Hence, the price and cost comparability is a fact-based examination for each investigation based on the information relevant for that period. The exporter must establish that PMS does not adversely impact the price comparison.
- vii. The applicant has considered prices published by sellers on various websites to determine Normal Value for Indonesia as no other evidence was available. These prices were considered at retail level and due adjustments were made to come to the actual price prevailing in the subject countries. The same normal value has been considered for Singapore.
- viii. The dumping margin continues to be positive despite imposition of anti-dumping duty.
- ix. Injury is not on account of imports. The import price reported in DGCIS data is unreliable as it is materially different from the import prices reported in Indonesia and Indian Customs data and Government of Indonesia should show how the importers in India reported higher price when their own data shows much lower price.
- x. According to the EQRs filed, it is evident that the domestic sales declined in the POI, contrary to the Indonesian government's submission that demand is stable and growing. Though imports declined in the POI, the decline in demand globally and in Indonesia would likely add to the surplus capacity of Indonesian producers making India an attractive market in the event of cessation of duty.
- xi. It is for the foreign producers to establish that the prices of paper for the same size vary with factors such as quality, margin of profit, product cost etc. and not Government of Indonesia (GOI). The meaning of quality was not established by GOI nor its impact quantified. Difference in quality, margin of profit, or cost cannot lead to dumping as all these factors equally apply to the normal value and export price.

- xii. Indonesian government is to prove with positive evidence that the facts concluded recently by the USITC, Australian Commission (found to be correct in the WTO Panel report) establishing particular market situation due to various actions and/or policies of the Government no longer exists. In the absence of a contrary proof, it is to be concluded based on evidence available that such a situation continues to exist.
- xiii. There is no basis in the argument that since particular market situation was not claimed in the original investigation PMS cannot be alleged and examined in the sunset review investigation when dumping margin is being determined under Article 2.
- xiv. It is not denied that PMS might lead to countervailable subsidies, but the same does not bar the examination of PMS as subsidy in the form of LTAR. The Australian Authority did not consider export ban on logs as countervailable subsidy, however, considered the same as a relevant parameter for PMS. The duties were not extended against Pindo Deli group in the review investigation as the dumping margin was negligible. The PMS situation affecting price comparability has to be verified based on the facts of the present case.
- xv. The reference to EC Fasteners case is incorrect as the case does not refer to Particular Market situation at all.
- xvi. The domestic industry submits that the lowering of costs by various government policies has impacted only the domestic price and not the export price.
- xvii. The information submitted by the exporters must be critically reviewed in the background of whether the exporters are impacted by Particular Market Situation and such particular market situation affects price comparability and if found to be correct and true to the extent required, the same can be considered for margins.
- xviii. The Authority may kindly verify the prices and expenses charged by the trader in Singapore.
- xix. Price and cost comparability is a fact-based examination for each investigation, based on the information relevant for that period. Therefore, the exporters must establish that the PMS does not adversely impact the price comparison. The Indian Authority cannot simply accept Australian Commission's determination for APRIL group and will have to investigate individually as well.

G.3. Examination by the Authority

32. Under Section 9A (1) (c) normal value in relation to an article means:

- (i) *the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*
- (ii) *when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either-*
 - (a) *comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*

(b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6):

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transshipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

33. At the time of initiation, the Authority determined the normal value taking into account the evidence placed before the Authority by the domestic industry and which was considered sufficient to initiate the investigation, However, after initiation of the present sunset review, the producers/exporters from the subject countries have filed questionnaire responses and normal value has been determined based on the information received from the producers/exporters from the subject countries.
34. The applicant has alleged existence of particular market situation in Indonesia and has submitted that the costs are required to be adjusted for international price of major input. The applicant has submitted that Government of Indonesia, vide various policies and actions, has influenced and artificially lowered the prices of input material (wood pulp).
35. The Authority notes that the domestic industry has not provided sufficient factual evidence that alleged existence of particular market situation has distorted selling price of uncoated copier paper in the domestic market in Indonesia. The domestic industry has claimed particular market situation due to lower price of raw material arising out of government intervention. However, the domestic industry has not provided any evidence or explanation to demonstrate that the alleged lower prices of raw material wood pulp due to government intervention in Indonesia has led to distorted and lower price of the product in the domestic market. Even if it is considered that the prices of raw material wood pulp are artificially lowered due to government intervention in Indonesia, there is no evidence to show that this has led to lower prices only in the domestic market and not the export price.
36. Thus, the Authority notes that there is no sufficient evidence on record to reject actual cost of raw material of producers/exporters from Indonesia.
37. The Authority sent questionnaires to the known producers/exporters from the subject countries, advising them to provide information in the form and manner prescribed by the Authority. The following producers/exporters from the subject countries have filed exporter's questionnaire response:
 - a. PT. Indah Kiat Pulp and Paper Tbk. ("IK")
 - b. P.T. Pindo-Deli Pulp and Paper Mills ("PD")
 - c. PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. ("TK")
 - d. PT Riau Andalan Kertas ("RAK")
 - e. PT Anugerah Kertas Utama ("AKU")
 - f. PT Asia Pacific Rayon ("APR")
 - g. APRIL International Enterprise Pte. Ltd ("AIE")
 - h. PT Sarana Jaya Andalan, Indonesia ("PT SJA")

Indonesia

Normal Value for PT Riau Andalan Kertas, PT Anugerah Kertas Utama and PT Asia Pacific Rayon, Indonesia, ("Producers") ("APRIL Group")

38. PT Riau Andalan Kertas ("RAK"), PT Anugerah Kertas Utama ("AKU") and PT Asia Pacific Rayon ("APR") are engaged in production of the product under consideration in Indonesia. The three producer companies have provided all the relevant information in requisite formats. The Authority notes that all companies have made

sales of the product under consideration in the domestic market during the POI. However, the product under consideration manufactured by only RAK has been exported to India during the POI.

39. The Authority examined the domestic sales made by all the producers and noted that the sales in the domestic market are representative when compared to exports of the product under consideration to India. The Authority has, therefore, decided to determine the normal value based on domestic sales of RAK, AKU and APR.
40. To determine the normal value, the Authority conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to cost of production of product under consideration. The cost of production of subject goods submitted by the producers was duly verified and the same has been adopted for conducting ordinary course of trade test. The Authority has also examined the details of purchases of raw material (wood pulp) from related parties and satisfied itself regarding the arm's length pricing between the related parties. If profit making transactions are more than 80% then the Authority has considered all the transactions in the domestic market for the determination of the normal value and in case, profitable transactions are less than 80%, only profitable domestic sales are taken into consideration for the determination of normal value. In this case, based on the ordinary course of trade test, all domestic sales have been taken for determination of normal value, since the profitable sales were more than 80%. RAK, AKU and APR have claimed adjustments for inland transportation, handling and other expenses, ocean freight (one island to another), insurance, credit cost, Rebate/Discount and packing cost and the same have been allowed by the Authority. Accordingly, normal value at ex-factory level for the participating producers has been determined and the weighted average normal value has been determined for APRIL Group as mentioned in dumping margin table below.

Export price for PT Riau Andalan Kertas, PT Anugrah Kertas Utama and PT Asia Pacific Rayon, Indonesia, ("Producers") and their related exporter April International Enterprise Pte Ltd, Singapore, unrelated trader in Indonesia, PT Sarana Jaya Andalan ("PT SJA") and related importer AIE Fiber Resource and Trading (India) Private Limited ("AFRT India")

41. The Authority notes that the subject goods produced by PT Riau Andalan Kertas ("RAK") have been exported to India during POI through two traders namely PT Sarana Jaya Andalan ("PT SJA") & April International Enterprise Pte Ltd ("AIE"). AIE is related to RAK. All exports to India by AIE have been made to related importer AIE Fiber Resource and Trading (India) Private Limited ("AFRT India") who has resold the product under consideration to unrelated customers in India on High Sea Sales basis. PT SJA is not related to RAK and has exported the product under consideration directly to unrelated customers in India. All these companies have provided the relevant information in prescribed formats.
42. It was also noted that in some cases, product under consideration is exported to Singapore on barges and then it is unloaded & loaded in Singapore for exports to India and other countries.
43. The Authority has worked out the ex-factory export price after making adjustments on account of inland freight, port handling charges in Indonesia, credit cost, packing cost, rebate, ocean freight, barging cost, handling expenses in Singapore. The Authority has also made adjustments on account of loss incurred by AIE. The Authority has also examined the profitability of AFRT India and notes that AFRT India has made profits on resale of subject goods to unrelated customers in India. The export price has been determined for APRIL Group as mentioned in dumping margin table below.

M/s PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, Indonesia, PT Pindo Delhi Pulp and Paper Mills, Indonesia and PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk, Indonesia ("Producers") ("APP Group")

Normal value

44. From the response filed by producers in APP Group, i.e., M/s PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, PT Pindo Delhi Pulp and Paper Mills and PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk, Indonesia, Authority notes that all companies have made sales of product under consideration in domestic market during the POI. However, due to the

reasons mentioned in the export price determination related paragraph below, the Authority holds not to accept the responses filed by APP Group and not to determine an individual dumping margin for APP group.

Export Price

45. From the response filed by producers/exporters in APP Group i.e. M/s PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (IK) PT Pindo Delhi Pulp and Paper Mills (PD) and PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (TK), Indonesia, the Authority notes that only IK has exported the product under consideration manufactured by it to India during the POI. IK has made exports to India directly as well as through unrelated traders during the POI. The Authority notes that the quantum of exports to India through unrelated traders is more than 30% of total exports by IK to India during the POI. These unrelated traders have not participated in the present sunset review investigation and have not filed the exporter questionnaire response with the Authority. Considering the fact that the exports through unrelated non-cooperative traders is more than 30% of total exports by IK to India, the Authority holds not to accept the response filed by APP Group keeping in mind its consistent practice and instead determine the export price on the basis of facts available.

All other non-cooperating producers/exporters in Indonesia

46. The Authority notes that no other producer/exporter from Indonesia has responded to the Authority in the present investigation. In view of non-cooperation, the Authority has determined normal value for all non-cooperating producers as per facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules.
47. With regard to export price, in view of non-cooperation of the producers/exporters, the Authority determined export price for all non-cooperating producers as per facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. The normal value and export price for all other non-cooperating producers and exporters of Indonesia is mentioned in the dumping margin table below.

Singapore

48. From the information available on record, the Authority notes that there is no producer of the product under consideration in Singapore. The product under consideration manufactured in Indonesia is sometimes unloaded in Singapore and then exported to India from Singapore. The exporters in Singapore have responded in this investigation. Separate/individual dumping margin has already been determined for these exporters from Singapore along with their concerned producers from Indonesia.

Therefore, there is no requirement for determination of any separate dumping margin for these exporters from Singapore.

Dumping Margin

49. Considering the normal value and export price determined, as explained above, it is noted that the dumping margin is more than the de-minimis limit prescribed under the Rules.

Dumping Margin Table

Producers	Normal Value USD per MT	Export Price USD per MT	Dumping Margin USD per MT	Dumping Margin%	Dumping Margin Range
- PT Riau Andalan Kertas - PT Anugrah Kertas Utama - PT Asia Pacific Rayon	***	***	***	***	35-45%

H. ASSESSMENT OF INJURY AND CAUSAL LINK

H.1. Submissions made by other Interested Parties

50. Submissions made by other interested parties with respect to injury and causal link, are as follows:

- i. The economic indicators of the applicant contradict the presumption of the applicant that the injury still exists. The indicators show that there is no injury to the applicant and other domestic producers. There is no likelihood for injury as gap between imports and sales of domestic producers is too large.
- ii. Price undercutting only occurred in two periods i.e., 2017-18 and 2019-20. Alleged occurrence of undercutting in 2019-20 can be associated with domestic competition and cannot be attributed to imports.
- iii. Domestic Industry improved its performance despite the fact that bulk of the POI was hugely affected by the Covid-19 pandemic. There is no linkage between the imports and the performance of the domestic industry in any of the preceding years and the POI.
- iv. The total imports from the subject countries declined from 86,990 MT in the base year to 21,019 MT in the period of investigation.
- v. The information pertaining to capacity as submitted by the petitioner is unreliable. Annual reports of 2018-19 and 2019-20 show that domestic industry underwent a capacity expansion in 2018 when it acquired Sirpur Paper Mills, and the capacity increased from 4,55,000 in 2018-19 to 5,91,000 in 2019-20.

H.2. Submissions made by the Domestic Industry

51. Submissions made by the domestic industry with regard to injury and causal link, are as follows:

- i. The dumping margin continues to be positive despite imposition of anti-dumping duty.
- ii. Demand for subject goods increased throughout the injury period but declined in the POI due to the worldwide slowdown due to COVID pandemic.
- iii. Import volume from the subject countries declined in the POI post imposition of duties and imports in relative terms followed the same trend.
- iv. Price undercutting is negative in the POI because of unreliable import price. Considering the export price as per Indonesian customs, price undercutting is heavily positive and imports are likely to undercut the prices of the domestic industry in the event of cessation of duties.
- v. The prices of subject goods and Maplitho paper are representative of each other when comparison is made at the same measurement unit (MT) as the only minor difference is with the GSM. References made to maplitho are only to (a) assess the credibility of actual import price of subject goods and (b) assess the likelihood of prices of the subject goods, and to display that maplitho's import price are the prices at which subject goods would be sold, if duty ceases to exist.
- vi. Imports would significantly undercut the prices of the domestic industry, which would depress and suppress the prices and also cause price underselling.
- vii. Capacity of the domestic industry has remained stagnant over the years, while capacity utilization, production, and domestic sales first increased and then declined in the POI due to decline in demand.
- viii. Market share of the domestic industry and Indian industry increased, whereas that of the subject imports declined. Inventories declined after imposition of duties but increased in the POI due to decline in demand.
- ix. Profitability, cash profits, and ROI improved till 2019-20 and declined in the POI, but the profit per unit, cash profits per unit did not decline in POI as compared to the preceding 2 years. Hence, decline in gross profits, cash profits, and ROI was due to Covid and not due to imports.
- x. Employment remained relatively stable over the injury period, while productivity and wages increased up to 2019-20 and declined in the POI.
- xi. The decline in imports post imposition of duty and positive dumping margin in such imports implies likelihood of dumping in the event of withdrawal of duty and justifies extension of anti-dumping duty.

- xii. Sirpur is largely manufacturing maplitho which is not PUC. The company commenced production of PUC only in March 2020. Information pertaining to the Sirpur Mill was not included in the application as it would have meant including all the additional expenses incurred by them as well for commencement of production

H.3. Examination by the Authority

52. Rule 11 of the Rules read with Annexure-II provides that an injury determination shall involve an examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles. In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or to prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, inventory, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Rules.
53. The submissions made by the domestic industry and other interested parties during the course of the investigation with regard to injury and causal link and considered relevant by the Authority are examined and addressed in the present final findings.
54. In consideration of the various submissions made by the interested parties in this regard, the Authority has examined the current injury, if any, to the domestic industry before proceeding to examine the likelihood aspects of dumping and injury.
55. The Authority has taken note of various submissions made by the domestic industry and other interested parties on injury and causal link, and has analyzed the same considering the facts available on record and applicable laws. The injury analysis made by the Authority ipso facto addresses submissions made by the domestic industry and the other interested parties.
56. As regards the argument that capacity submitted by the petitioner is unreliable as the applicant underwent a capacity expansion in 2018 when it acquired Sirpur Paper Mills, the Authority notes that the Sirpur plant was acquired in 2018 and the production started in March 2020. The Sirpur plant largely produced Maplitho paper. The domestic industry has not considered such capacity and nor has it considered any information pertaining to Sirpur plant (including expenses) in the injury information and thus does not affect the injury analysis.
57. Authority notes that the domestic industry was in production and was selling the material even during country wide lockdown. The domestic industry submitted that it stopped production and sales only for a period of 14 days and recommenced both production and sales even during the lock down period. The data filed by the domestic industry shows production and sale in April, May and June, 2020. Nevertheless, the Authority has additionally examined information excluding Covid period (April-June 2020).

Volume Effect of Dumped Imports on the Domestic Industry

a) Assessment of Demand/apparent consumption

58. Demand or apparent consumption of the product in India has been determined as the sum of domestic sales of the Indian producers and imports from all sources.

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	POI	POI (Excl. covid period)	POI (Excl. covid period) Annualised
Imports from subject countries	MT	86,990	72,316	64,127	21,019	15,949	21,266
	Indexed	100	83	74	24	18	24
Imports from other countries	MT	5,433	4,284	3,453	1,865	1,142	1,522
	Indexed	100	79	64	34	21	28
Domestic Sales of DI	MT	***	***	***	***	***	***
	Indexed	100	107	104	77	64	85
Domestic Sales of other domestic producers	MT	***	***	***	***	***	***
	Indexed	100	117	111	84	70	93
Demand	MT	***	***	***	***	***	***
	Indexed	100	109	104	74	61	82
Imports from	%	***	***	***	***	***	***

subject countries in relation to Consumption (including captive)							
	Range	10-20	0-10	0-10	0-10	0-10	0-10
Imports from subject countries in relation to total Domestic production	%	***	***	***	***	***	***
	Range	10-20	0-10	0-10	0-10	0-10	0-10

59. It is noted that the demand for the product under consideration increased till 2018-19 and declined thereafter in 2019-20 and further in the POI.

b) Import Volumes from subject countries

60. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. For the purpose of injury analysis, the Authority has relied on the transaction wise import data procured from DGCI&S. The import volumes of the subject goods from subject country and share of the dumped import during the injury investigation period are as follows:

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	POI	POI (Excl. covid period)	POI (Excl. covid period) Annualised
Imports from subject countries	MT	86,990	72,316	64,127	21,019	15,949	21,266
	Indexed	100	83	74	24	18	24
Imports from other countries	MT	5,433	4,284	3,453	1,865	1,142	1,522
	Indexed	100	79	64	34	21	28
Domestic Sales of DI	MT	***	***	***	***	***	***
	Indexed	100	107	104	77	64	85
Domestic Sales of other domestic producers	MT	***	***	***	***	***	***
	Indexed	100	117	111	84	70	93
Demand	MT	***	***	***	***	***	***
	Indexed	100	109	104	74	61	82
Imports from subject countries in relation to Consumption	%	***	***	***	***	***	***
	Range	10-20	0-10	0-10	0-10	0-10	0-10
Imports from subject countries in relation to total Domestic production	%	***	***	***	***	***	***
	Range	10-20	0-10	0-10	0-10	0-10	0-10

61. It is seen that imports from subject countries, in absolute terms, has seen a declining trend since 2018-19. Imports in relation to production and consumption also followed the same trend. Subject imports in both absolute terms and relative terms have declined since imposition of duties.

Price Effect of the Dumped Imports on the Domestic Industry

62. The impact on the prices of the domestic industry on account of the dumped imports from subject country has been examined with reference to the price undercutting, price suppression and price depression, if any. For the purpose of this analysis, the cost of production and net sales realization (NSR) of the domestic industry have been compared with the landed price of imports of the subject goods from the subject country.

a) Price Undercutting

63. Price undercutting information is given in the table below.

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	POI	POI (Excl. covid period)	POI (Excl. covid period) Annualized
Landed Value	INR/MT	49,550	63,676	62,572	63,961	63,283	63,283
	Indexed	100	129	126	129	128	128
Domestic Selling Prices	INR/MT	***	***	***	***	***	***
	Indexed	100	111	114	109	110	110
Price Undercutting	INR/MT	***	***	***	***	***	***
	%	***	***	***	***	***	***
	% Range	5-15	(5)-5	0-10	(5)-(15)	5-15	5-15

64. It is seen that landed price of imports is above selling price of the domestic industry and are thus imports are not undercutting the prices of the domestic industry. It has been claimed by the domestic industry that the anti-dumping duty imposed on the basis of reference price has prevented the imports from entering the domestic market at low prices.

b) Price Suppression and Depression

65. In order to assess as to whether imports from subject countries were suppressing/ depressing the prices of the domestic industry and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred to a significant degree, the Authority has compared the cost of production and net selling price of the domestic industry over the injury period, and shown in the table below:

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	POI
Cost of sales	Rs/MT	***	***	***	***
Selling price	Rs/MT	***	***	***	***
Cost of sales	Index	100	97	95	99
Selling price	Index	100	111	114	109

66. It is seen that after imposition of ADD, whereas the cost of sales has remained in similar region, the selling price has increased over the injury period.

Economic Parameters of the Domestic Industry

67. Annexure II to the Anti-Dumping Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of dumped imports on domestic producers of such products. With regard to the consequent impact of dumped imports on domestic producers of such products, the Anti-dumping Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the Domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity, factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping, actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. The Authority has examined the injury parameters objectively considering various facts and submissions made before the Authority.

a) Production, Capacity, Capacity Utilization and Sales

68. Capacity, production, sales, and capacity utilization of the domestic industry over the injury period is given in the following table:

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	POI	POI (Excl. covid period)	POI (Excl. covid period) Annualized
Installed Capacity	MT	***	***	***	***	***	***
	Indexed	100	100	100	100	75	100
Production-Plant	MT	***	***	***	***	***	***
	Indexed	100	103	108	87	69	91
Production-PUC	MT	***	***	***	***	***	***
	Indexed	100	103	112	88	69	92
Capacity Utilization	%	***	***	***	***	***	***
	Indexed	100	103	108	87	91	91
Domestic Sales	MT	***	***	***	***	***	***
	Indexed	100	107	104	77	64	85

69. It is noted that:

- Capacity of the domestic industry has remained constant over the injury investigation period.
- Production, sales and capacity utilisation increased till 2019-20, but declined in the POI.

b) Market Share in Demand

70. Market share of the domestic industry in demand for the product under consideration is given in the table below:

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	POI	POI (Excl. covid period)	POI (Excl. covid period) Annualised
Imports from subject countries	%	***	***	***	***	***	***
	Indexed	100	76	71	33	30	30
Imports from other countries	%	***	***	***	***	***	***
	Indexed	100	72	61	47	34	34
Domestic Sales of DI	%	***	***	***	***	***	***
	Indexed	100	98	100	104	105	105
Sales of other domestic producers	%	***	***	***	***	***	***
	Indexed	100	107	107	114	109	112

71. It is seen that the market share of the Indian domestic producers as a whole has increased after the imposition of anti-dumping duty, whereas market share of imports from subject country has declined. Market share of Indian domestic producers as a whole is more than 95% during the POI.

c) Inventories

72. Inventory position with the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	POI	POI (Excl. covid period)	POI (Excl. covid period) Annualised
Inventory	MT	***	***	***	***	***	***
	Indexed	100	48	127	224	224	224
Inventory as No. of days of Production	No	***	***	***	***	***	***
	Indexed	100	46	113	256	243	243
Inventory as No. of days of Sales	No	***	***	***	***	***	***
	Indexed	100	47	128	261	234	234

73. Average inventory level with the domestic industry has increased in the POI due to fall in demand as a result of Covid-19 Pandemic.

d) Profitability, Return on Investment and Cash Flow

74. The profit/loss per unit, return on investment and cash profit during the injury period is indicated in the table below:

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	POI	POI (Excl. covid period)	POI (Excl. covid period) Ann
Cost of Sales - Domestic	INR/MT	***	***	***	***	***	***
	Indexed	100	97	95	99	99	99
Selling Price- Domestic	INR/MT	***	***	***	***	***	***
	Indexed	100	111	114	109	110	110
Profit	INR/MT.	***	***	***	***	***	***
	Indexed	100	175	207	160	161	161
Profit	Rs. in Lacs	***	***	***	***	***	***
	Indexed	100	187	216	123	103	137
PBIT- Domestic Sales	INR/MT	***	***	***	***	***	***
	Indexed	100	150	174	139	137	137
Cash Profit	INR/MT	***	***	***	***	***	***
	Indexed	100	148	181	203	201	201
PBIT - Domestic	Rs. in Lacs	***	***	***	***	***	***
	Indexed	100	160	182	107	88	117
Cash Profit	Rs. in Lacs	***	***	***	***	***	***
	Indexed	100	158	189	156	129	171
Return on capital employed	%	***	***	***	***	***	***
	Range	10-20	20-30	20-30	15-25	15-25	15-25

75. It is seen that after imposition of anti-dumping duty, the profitability of the domestic industry has improved till 2019-20 and declined thereafter in the POI. However, the ROI in the POI was still higher than base year.

e) Employment, Productivity and Wages

76. The analysis of the number of employees employed by the domestic industry, its productivity and wages paid show as follows:

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	POI	POI (Excl. covid period)
No of Employees	No	***	***	***	***	***
	Indexed	100	101	102	101	101
Wages	Rs. in Crores	***	***	***	***	***
	Indexed	100	121	134	98	77
	INR/MT	***	***	***	***	***
	Indexed	100	118	119	112	112
Productivity per Day	MT/Day	***	***	***	***	***
	Indexed	100	103	112	88	92

77. There are no significant changes in employment and wages during the injury investigation period.

f) Growth

78. It is seen that the growth of the domestic industry has been positive and it has been able to register an improvement in performance with imposition of duties. The decline in economic parameters of the domestic industry seen in the POI is result of the Covid-19 pandemic and is not attributable to imports.

Particulars	Unit	2018-19	2019-20	POI	POI (Excl. covid period) Annualised
Production- Plant	Y/Y	0-10%	0-10%	(15-25)%	(10-20)%
Production- PUC	Y/Y	0-10%	0-10%	(15-25)%	(10-20)%
Capacity Utilisation	Y/Y	0-10%	0-10%	(15-25)%	(10-20)%
Domestic Sales	Y/Y	0-10%	(0-10)%	(20-30)%	(10-20)%
Profit/Loss per unit	Y/Y	70-80%	10-20%	(15-25)%	(20-30)%
Cash Profit	Y/Y	50-60%	10-20%	(10-20)%	(10-20)%
Return on Capital Employed	Y/Y	50-60%	0-10%	(20-30)%	(10-20)%
Inventories	Y/Y	(50-50)%	160-170%	70-80%	70-80%

g) Ability to Raise Capital Investments

79. There is no impact on the ability of the domestic industry to raise capital investments.

h) Magnitude of Dumping Margin

80. The dumping margin is positive and significant.

i) Magnitude of Injury Margin

81. The Authority has determined the NIP for the domestic industry on the basis of principles laid down in the Anti-Dumping Rules read with Annexure III, as amended. The NIP of the product under consideration has been determined by adopting the information/data relating to the cost of production provided by the domestic industry and duly certified by the practicing accountant for the period of investigation. The NIP has been compared with the landed price from the subject countries for calculating injury margin. For all the non-cooperative producers/exporters from the subject countries, the Authority has determined the landed price based on facts available. It has been claimed that the anti-dumping duty imposed on the basis of reference price has prevented the imports from entering the domestic market at low prices.

Injury Margin Table

S. No.	Producer/Exporter from Indonesia	NIP USD/MT	Landed value USD/MT	Injury Margin USD/MT	Injury Margin %	Range%
1.	- PT Riau Andalan Kertas - PT Anugrah Kertas Utama - PT Asia Pacific Rayon	***	***	***	***	Negative

j) Performance of other domestic producers

82. As noted earlier, M/s West Coast Paper Mills Ltd. and M/s Tamil Nadu Newsprint and Papers Ltd. (TNPL) filed information relating to their performance (both injury and costing information) after initiation of investigation. However, since the applicant has sought extension of ADD on the ground of likelihood of recurrence of injury from subject imports, in the event of cessation of ADD, these producers have not been considered as part of domestic industry. It is however noted that these producers have provided certified injury information as shown below:

Particulars	UOM	2017-18	2018-19	2019-20	POI
Production PUC	MT	***	***	***	***
	Index	100	122	124	102
Capacity Utilization	%	***	***	***	***
	Index	100	114	115	85
Domestic Sales Volume	MT	***	***	***	***
	Index	100	123	122	85
Average Stock	MT	***	***	***	***
	Index	100	129	280	1,537
Cost of sales	Rs./MT	***	***	***	***
	Index	100	109	107	119
Selling price	Rs./MT	***	***	***	***
	Index	100	110	115	111
Profit/(Loss)	Rs./MT	***	***	***	***
	Index	100	124	173	45
Profit/(Loss)	Rs.Lacs	***	***	***	***
	Index	100	153	210	38
Cash Profit	Rs.Lacs	***	***	***	***
	Index	100	149	187	86
Return on Capital Employed	%	***	***	***	***
	Index	100	130	198	72

83. It is thus seen that the certified information furnished by West Coast Paper Mills Ltd. and Tamil Nadu Newsprint and Papers Ltd. (TNPL) show a trend similar to that of the applicant domestic industry, JK Paper Ltd. Further, the NIP claimed by these companies is higher than JK Paper Ltd.

Conclusion on current injury

84. It is concluded that the volume of imports has significantly declined during the POI in absolute terms, and in relation to production & consumption. However, the volume of imports still remained substantial and were at a price very close to the reference price/benchmark price fixed for collection of anti-dumping duty in the original investigation. Imports at the prices reported to Indian customs during the POI are not undercutting the domestic industry prices. The domestic industry did not suffer depressing or suppressing effect due to imports on its prices because of the benchmark form of the existing anti-dumping duty. Performance of domestic industry has not deteriorated due to imports over the current injury period. The domestic industry has accordingly not suffered material injury due to subject imports owing to the anti-dumping duty in force.

I. CAUSAL LINK AND OTHER FACTORS

85. The Authority has examined whether other factors listed under the Rules caused injury to the domestic industry.

Volume and value of imports not sold at dumping prices

86. Imports from other countries are not significant in volume and hence cannot be considered as the cause of the injury to the domestic industry.

Contraction in demand or changes in the pattern of consumption

87. Demand for the product under consideration has registered decline during the POI primarily due to ongoing Covid-19 pandemic.

Change in pattern of consumption

88. The pattern of consumption for the product under consideration has undergone a change. Countrywide Covid-19 pandemic has led to increased use of electronic media instead of paper. The consumption of the product under consideration has seen a declining trend with digitisation.

Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers

89. There is no known trade restrictive practice which could have contributed to the injury claimed by the domestic industry.

Developments in Technology

90. Technology for production of the product under consideration has not undergone any change nor is any change likely in the foreseeable future. Developments in technology is, therefore, not a factor of injury.

Export Performance of the domestic industry

91. Injury examination has been conducted for the domestic operations of the applicant.

J. LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF DUMPING AND INJURY

92. The Authority notes that this is a sunset review investigation. The domestic industry has claimed that it is not suffering any continued injury and that it is likely to suffer injury in the event of cessation of anti-dumping

duty. Accordingly, the Authority has examined the likely scenario of continuation of dumping and recurrence of injury on account of dumped imports, if anti-dumping duty is to be allowed to expire.

J.1. Submissions made by other interested parties

93. Submissions made by the other interested parties on likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury are as follows:

- i. Total capacity of subject goods in the exporting country is not the correct criterion to determine the likelihood of dumping and injury to the domestic injury. Total capacity of the responding producers in excess of total sales is to be examined for determining surplus capacity.
- ii. Mere existence of surplus capacity is not sufficient to establish likelihood of continuation or recurrence of dumping and material injury to the Domestic Industry as was stated by the Hon'ble Tribunal in *Indian Spinners Association v. Designated Authority*. The Petitioner must prove that there is a likelihood of diversion of these surplus capacities to India.
- iii. There is no unutilized capacity for the subject goods and the Respondents are already operating at optimum capacity utilization level and therefore there is no scope for utilizing unused capacity to increase exports of subject goods to India. The Respondents also submit that there is no plan for capacity expansion of subject goods in Indonesia by the producers RAK, AKU and APR.
- iv. The data regarding sales of the Respondents show that there is no scope for diversion of subject goods from domestic market sales or other country sales to India. Export sales to India by Respondents RAK, AKU and APR are insignificant when compared to domestic sales and export sales to other countries during the POI. Respondents are not dependent on India for the sale of subject goods manufactured by them.
- v. The circumstances prevalent for the Respondents with regard to surplus capacity and exports to India necessitate a separate assessment of likelihood of injury for the Respondents.
- vi. In the absence of any present injury, there can be no likelihood of continuation of injury to the domestic injury due to imports of subject goods from Indonesia.
- vii. The decline in performance of the Applicant during the POI would have happened even in the absence of any imports. Such information regarding relevant economic parameters is not reflective of the normal situation and cannot form the basis for determination of actual injury and/or likelihood of continuation of injury.
- viii. Analysis of post-POI data will show that the entire claim of injury and likelihood of injury to the domestic industry is based on an abnormal situation that has prevailed in the six months of the POI.
- ix. It is misleading to conclude that India is Indonesia's only market for paper products. India ranks 8th in the list of top export market destination on Indonesia's paper products and the share of exports to India in 2020 was just 2.6%, much smaller than the exports of Indonesia to other countries during the POI.
- x. Indonesia's exports to most of its main export destination countries showed negative trend after 2018 and there was no diversion of exports to other countries due to imposition of anti-dumping duty by India, hence, there is no indication that Indonesia would divert its exports to India in the event of cessation of anti-dumping duty.
- xi. Reference was made to the Appellate Body in the US – Corrosion-Resistant Steel Sunset Review which considered Article 11.3 and laid down a mandatory rule with an exception and thus imposes a temporal limitation on the imposition of anti-dumping duties. The expiry of duties would not lead to the continuation or recurrence of injury to the Indian domestic industry.
- xii. The gap between imports and consumption increased over the last 2 years and this indicates that the domestic product has heavily saturated India's domestic market and that the domestic producers have taken over a major share of the Indian market. This minimizes the likelihood of recurrence of injury.
- xiii. The presumption that the Indonesian market is declining and therefore the Indonesian producers shifted their target market to India to compensate the declining market in Indonesia is misleading. The Indonesian market for paper product is relatively stable and growing and the Indonesian domestic market conditions does not correlate with injury and likelihood of recurrence of injury as presumed by the applicant.

J.2. Submissions made by the domestic industry

94. Submissions made by the domestic industry on likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury are as follows:

- i. According the RISI Global Paper Outlook 2019, the producers of the subject goods in Indonesia have high capacities far exceeding the domestic demand. As per Poyry's Report of 2017, the capacity of APP group was estimated at 2.4 Million tons/annum and the capacity of APRIL group as 1.2 Million tons. This capacity is to be seen against the total Indian demand of 0.4 million and total Indian production of 0.5 million tons.
- ii. When the latest production figures and estimated capacity is considered, there will be an unutilized capacity of 0.6 million tons in Indonesia and this unutilized capacity is much higher than the total Indian demand and Indian production.
- iii. According to FAO data, the production in Indonesia has increased despite declining demand in the domestic market. According to RISI report, India is the only key market that registered increasing demand, which naturally led to increasing Indian production. Hence, the increasing Indonesian production is likely to be diverted to India, should duties cease to exist.
- iv. Indonesia is highly export oriented and more than 90% of Indonesian production is being exported. Since, there was a decline in domestic demand in 2018 and 2019, the exports increased during the same period. Further, utilization in the POI has declined for most of the producers which resulted in significant increase in inventories.
- v. There is a decline in demand globally for the subject goods and markets like Indonesia are seeing negative growth in contrast to India which has positive growth. Moreover, Asian market is in a state of over-supply and duty were imposed on Indonesia for the subject goods by three countries indicating a strong likelihood of diversion of subject goods to India, should duty cease to exist.
- vi. Indonesian producers enjoy cost advantage as a result of availability of raw materials at distorted prices and Indonesia is one of the top producers of subject goods in the world.
- vii. Duties were imposed by Australia, USA and Pakistan on the subject goods from Indonesia and Australian Commission has initiated a fresh dumping investigation on A4 Copy paper.
- viii. The likely dumping margin and injury margin considering price of Maplitho paper from subject countries is positive and substantial.
- ix. The export price from Indonesia to top five countries vary significantly. It is as high as 880 USD/MT to as low as 522 USD/MT.
- x. Exports from Indonesia to Australia, Pakistan and USA have been made at dumped and injurious prices. Thus, the price to these countries also shows that the dumping and injury is likely to recur in the event of cessation of duties.
- xi. Decline in demand has caused adverse impact on the performance of the domestic industry but the claim of the domestic industry is that cessation of anti-dumping duty is likely to lead to continuation of dumping and recurrence of injury to the domestic industry which is in a fragile state in view of decline in demand.
- xii. The domestic industry would be forced to reduce the prices of the product concerned significantly in the event of cessation of duty having regard to the likely prices of import of subject goods into India. This would further lead to decline in profits, cash flow and return on investment.
- xiii. Domestic industry is likely to lose its sales volume if it maintains its normal price levels as the consumers would increasingly switch over to the imports and if the domestic industry prefers to lose sales volume, it will result in bigger injury with an increase in inventories, decline in production, utilization and productivity.
- xiv. Removal or anti-dumping duty besides impacting the producing companies, would also impact the 500,000 farmers who are engaged in farm forestry. This would further affect the employment opportunities of the local community in the rural areas, reducing their income and aggravating the rural-urban distress migration.

J.3. Examination by the Authority

95. The Authority observes that this is a sunset review investigation and the Authority is conducting a likelihood examination of dumping and consequent injury in the event of cessation of existing anti-dumping duty.

96. All factors brought to the notice of the Authority have been examined to determine as to whether there is a likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury in the event of cessation of the duty. The Authority has considered various information, as made available by the interested parties during the course of investigation, in order to evaluate the likelihood of continuation or recurrence of dumping or injury.
97. There are no specific methodologies available to conduct such a likelihood analysis. However, Clause (vii) of Annexure II of the Rules provides, inter alia for factors which are required to be taken into consideration viz.:
- i. A significant rate of increase of dumped imports into India indicating the likelihood of substantially increased importation;
 - ii. Sufficient freely disposable, or an imminent, substantial increase in, capacity of the exporter indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to Indian markets, taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports;
 - iii. Whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices, and would likely increase demand for further imports; and
 - iv. Inventories of the article being investigated.
98. Further, the Authority has also examined other relevant factors having a bearing on the likelihood of continuation or recurrence of dumping and consequent injury to the domestic industry.

i. Continued & existing dumping

99. The Authority notes that dumping of product under consideration has continued from subject countries. The dumping margin determined for responding exporters is positive and substantial. In fact, the dumping margin determined in the present investigation is higher than the dumping margin determined at the time of original investigations. Thus, the exporters are resorting to dumping despite measures in place and is indicative of likely dumping in the event of cessation of duties. The Authority notes that combined production and exports of the two responding producers is significantly high. The domestic industry submitted that these responding producers represent the entirety of Indonesian capacities for the product. None of these responding producers have provided any justification or evidence why dumping in significant volumes would not resume in the event of cessation of ADD. Further, the evidence on record establishes that the volume of dumped imports would resume in significant volumes in the event of cessation of ADD. The contention of the domestic industry that the export price of the producers is significantly lower than the export price of the traders eventually exporting the product to India has also remained uncontroverted.

ii. Volume of imports of subject goods from subject countries

100. The Authority notes that imports from the subject countries have declined significantly after the imposition of anti-dumping duty. The price at which the producers have sold the material to respective traders, the price at which subject goods have been exported to a number of countries and the extent of unutilised capacities collectively demonstrate that the volume of imports is likely to increase significantly in the event of cessation of duty.

iii. Surplus capacity in Indonesia

101. The Authority notes that the domestic industry has provided information from Poyry's Report, RISI Report and data extracted from Food and Agricultural Organisation (FAO). Based on the information provided in these Reports, the domestic industry reported that the unutilised capacity in Indonesia for product under consideration is approximately 6 lakh tonnes during the POI, which exceeds the gross Indian demand.

iv. Surplus capacity with cooperating producers in Indonesia

102. Indonesia is one of the largest producers/exporters of the subject goods. The aggregate information with regard to surplus capacity held by participating producers from Indonesia is as under:

Particulars (APRIL Group)	Unit	Total
Total Installed Capacity	Ton/Year	***
Total Production	Ton/Year	***
Capacity Utilisation Percentage	%	***
Capacity Utilisation Percentage Range	%	95-105

Particulars (APP Group)	Unit	Total
Total Installed Capacity	Ton/Year	***
Production Quantity	Ton/Year	***
Capacity Utilisation Percentage	%	***
Capacity Utilisation Percentage Range	%	60-70

Particulars	Unit	Total
Demand in Indonesia*	MT/year	***
Capacity (APRIL + APP)	MT/year	***
Surplus capacity	MT/year	***
Surplus capacity	Range	(20,00,000-30,00,000)

*Source: Questionnaire response filed by APP Group

103. It is seen that:

- i. the capacities established by the producers is significantly more than the domestic demand. The surplus capacity is 9 times of the demand prevailing in Indonesia.
- ii. While APRIL group's capacity is fully utilised, the APP group, which has higher capacities, has significant unutilised capacities. The surplus capacity with APP Group alone is higher than the gross Indian demand for the product.

v. High export orientation of producers

104. The Authority notes that a significant portion of the capacity for the subject goods in Indonesia is meant for export markets. The aggregate information with regard to domestic sales and export sales by participating producers from Indonesia is given below.

Sales Quantity - PUC (APP Group)	MT	Total	Share of Sales in Percentage	Range
(a) Domestic Sales – PUC	MT	***	***	5-15%
(b) Export Sales - India – PUC	MT	***	***	0-10%
(c) Export Sales - Other Countries - PUC	MT	***	***	85-95%
(d) Total Sales	MT	***	100%	100%

Sales Quantity - PUC (APRIL Group)	MT	Total	Share of Sales in Percentage	Range
(a) Domestic Sales – PUC	MT	***	***	10-20%
(b) Export Sales - India – PUC	MT	***	***	0-10%
(c) Export Sales - Other Countries - PUC	MT	***	***	85-95%
(d) Total Sales	MT	***	100%	100%

105. It is seen that the exports to other countries by the producers in Indonesia is in the range of 85-95%. Thus, the producers are highly export oriented. Further, these producers are selling to a number of third countries at a low price.

i. Trade remedial measures imposed by other countries on Indonesia

106. As per information available on record, it is noted that trade remedial measures have been imposed by the United States of America (USA), Australia and Pakistan on the product under consideration exported from Indonesia. This shows that the producers in the subject country have been dumping goods in other countries and causing injury to the domestic industry of such countries. It also indicates that these markets (US, Australia and Pakistan) remain restricted for producers in Indonesia, thus, making the possibility of diversion of their surplus capacities to Indian market even greater in the event of cessation of duties.

ii. Inventories with participating producers/exporters from Indonesia

107. The aggregate information with regard to inventories held by participating producers from Indonesia is given below.

Inventories	Unit	Total	Range
APRIL Group	MT	***	10,000-20000
APP Group	MT	***	90,000-100000

108. The inventory level is significant. The inventory level alone is 22% of the total Indian demand.

iii. Price attractiveness of Indian market

109. The aggregate information furnished with regard to export sales to India and third countries by participating producers from Indonesia is given below.

FOR POI	Unit	Customs data	APP	April
Third Country volume	MT	14,76,878	***	***
Third country rate				
Producer's price	\$/MT	691	***	***
Exporter's price	\$/MT		***	***
Volume of exports to third countries below				
DI selling Price	MT	***	***	***
NIP for the DI	MT	***	***	***
Foreign producer's export price to India	MT		***	***
Indian Demand for POI	MT	***	***	***
Volume of exports to third countries below (as % of Indian demand)				
DI selling Price	%Range	230-240%	80-90%	100-110%
NIP - DI	%Range	60-70%	10-20%	100-110%
Exporter export price to India	%Range		100-110%	100-110%

110. It is seen from the table above that:

- a. Export price from producers of APP group to other countries are at higher price as compared to the export price of the producers of APRIL group. However, there are significant differences in the prices reported by the producers and exporters. Further, whereas APRIL group has fully utilised its production capacities, APP Group holds unutilised production capacities beyond the Indian demand.
- b. The combined volume of exports made at price below the level of selling price prevailing in India, as per information provided by the producers in Indonesia, is *** MT and amounts to almost ***% of Indian demand
- c. The combined volume of exports made at price below the level of non-injurious price prevailing in India, as per information provided by the producers in Indonesia, is *** MT which amounts to almost ***% of Indian demand.
- d. The combined volume of exports made at price below the level of price at which exports have been made to India, as per information provided by the producers in Indonesia, is *** MT and amounts to almost *** % of Indian demand.
- e. Response by Indonesian producers/ exporters also shows significant variation between export prices to various countries.
 - i. The unutilised capacity with the APP group is more than the gross Indian demand and therefore are in itself sufficient to cater to the entire demand for the product in the country.
 - ii. While April group is fully utilised as far as its capacity is concerned, it is seen that its export price to India during the investigation period was materially below the selling price, cost of production and NIP of the domestic industry.
 - iii. Further, considering the low-priced volume of exports by the company to other countries, the company is capable of taking away significant portion of Indian demand by diverting their third country exports to Indian market in the event of cessation of anti-dumping duty.

It is thus seen that the Indian market is high price attractive to the subject foreign producers and cessation of duties is likely to lead to diversion of significant third countries exports to Indian market.

Conclusion on Likelihood of Dumping and Injury

111. Considering the information on record, and after due examination of the evidence on record, the Authority concludes that:

- i. Even when volume of imports has declined in the current period, the dumping has continued from the subject countries and the margin of dumping is also quite significant. In fact, the dumping margin has increased.
- ii. The responses filed by the responding producers show that there are significant unutilised capacities available with APP group, sufficient enough to cater to the entire Indian demand.
- iii. Significant exports to third countries have been made by participating producers/ exporters at prices below the level of export prices to India, Indian domestic selling price and non-injurious price of the domestic industry.
- iv. Significant quantum of third country exports have been made at prices below the level of export price to India, Indian domestic selling price and Indian non-injurious price. Thus, significant exports can be diverted to India at injurious price.
- v. Both the producers are highly export oriented. The domestic demand in Indonesia can hardly meet 10% of installed capacities. The foreign producers have maintained significant inventories.
- vi. Various parameters collectively and cumulatively thus establish that the subject imports are likely to increase significantly at dumped and injurious prices in Indian market in the event of cessation of

the existing ADD, leading to likelihood of continuation of dumping and recurrence of injury to the domestic industry.

K. POST-DISCLOSURE COMMENTS

Submissions of other interested parties

112. Other interested parties have reiterated their submissions with regard to determination of normal value, injury and causal link and likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury. Additionally, the following submissions have been made:

- a. The landed prices are higher than the non-injurious price of the Domestic Industry. In view thereof, the Authority should consider the export price and landed value of participating producers/ exporters and provide individual dumping margin and injury margin.
- b. Authority should give due consideration to the difficulties experienced by interested parties in supplying the information in terms of Article 6.13. However, in the instant investigation, the Authority has not given any due cognizance of the fact that producer cannot compel unrelated exporters to participate in the investigation. The Authority has also not provided the legal basis or logic under the Anti-Dumping Rules or Anti-Dumping Agreement to reject the response on such basis. The Appellate Body of WTO has held that the Authority has to give due consideration to the difficulty faced by the responding exporter in supplying some information. The Appellate Body also emphasized that cooperation is a two-way process, stated that the investigating authority are not entitled to insist upon absolute standards or impose unreasonable burden upon the exporters.
- c. The exporter requested re-consideration of their data as they have done their due diligence by requesting unrelated exporters to participate in the investigation. Therefore, now for their non-corporation, DGTR should penalize responding exporters.
- d. Since the current investigation is a sunset review investigation, the Authority is required to reach to a determination about likely prices of the subject goods and also about the likelihood of dumping and injury. Therefore, the Authority should consider their direct prices recovered from Indian market.
- e. While considering capacity and capacity utilization, the Authority has not discounted covid impact for exporters during POI. This has resulted in misleading likelihood analysis as far as it related to excess or surplus capacity.
- f. Even if only JK Paper Ltd. is treated as a constituent of the domestic industry, the Authority should nevertheless verify the information submitted by West Coast Paper Mills Ltd. and Tamil Nadu Newsprint and Papers Ltd and thereafter consider the same for objective assessment of material injury and likelihood of continuation or recurrence of injury to the domestic industry as a whole.
- g. The observations of the Authority indicate absence of injury and likelihood of injury to the domestic industry due to import of subject goods from the subject countries.
- h. The decline in production, sales and capacity utilisation in POI is because of a decline in demand in India in the POI due to Covid-19 pandemic and not due to the imports. This should be clearly noted as reason for the decline in these volume parameters in the final findings.
- i. If the Authority concludes in the final findings that anti-dumping duty is to be recommended, the Authority is required to consider the lower of injury margin and dumping margin determined in the disclosure statement while recommending the duty in accordance with lesser duty rule.
- j. Even if anti-dumping duty is continued on exports of subject goods made from Indonesia and Singapore pursuant, the Authority should determine that no anti-dumping duty is required to be continued on exports made by APRIL Group.
- k. There is no likelihood of dumping and injury to domestic industry due to import of subject goods from APRIL group because the Authority has noted that:
 - (i) There has been a significant decline in the imports of subject goods from subject countries after the imposition of anti-dumping duty.
 - (ii) There is no surplus capacity available with the Respondents.
 - (iii) Respondents only have inventories in the range of 10,000-20,000 MT available with them. This is insignificant as compared with the Indian demand.
 - (iv) Majority of exports by Respondents are to third countries. Export sales to India by Respondents are insignificant when compared with export sales to other countries. There are no factors indicating

diversion of these exports from third countries to India. There is no surplus capacity or inventory available with the Respondents that can be put to use to increase exports to India if the anti-dumping duty is withdrawn by India.

- l. The claim of surplus capacity of 0.6 million tonnes is incorrect. Actual capacity of participating producers/exporters in the subject investigation namely, APRIL group and APP group is required to be considered for assessing existence of surplus capacity in Indonesia.
- m. Export price to third countries has remained higher than export price to India during all three years prior to the POI. Export price to India in the POI is higher due to special circumstances prevailing in 2020. There is no trend showing that Indian market is price attractive.
- n. There has been no request either from participating producers/exporters from subject countries or from the domestic industry to examine price attractiveness by comparing volume of exports to third countries at low prices with Indian demand.
- o. This analysis has not been undertaken by the Authority in any of the earlier sunset review investigations. Such examination has also not been suggested by any court or tribunal in India as a relevant counter-factual assessment in sunset review investigation for determining the likelihood of dumping and injury.
- p. It is not relevant to determine price attractiveness of Indian market based on a simple comparison of export sales to third countries with Indian demand without further context regarding likelihood of diversion of exports from third countries to India.
- q. The Authority must examine the post-POI data of JK Paper Ltd. and other domestic producers in India. There is substantial improvement in overall profitability of these paper producers in the post-POI period.
- r. If the Authority concludes that anti-dumping duty should be recommended for further period on all exports from Republic of Indonesia and Republic of Singapore, Respondent requests the Authority to consider that original anti-dumping duty was recommended for a period of 3 years instead of full 5 years period and therefore antidumping duty should not be continued for more than 3 years pursuant to the sunset review.
- s. If the Authority recommends continuation of anti-dumping duty, Respondent also requests the Authority to recommend reference price-based duty as done in the original investigation but after reducing the level of reference price from the present USD 855.01 per MT to the level of NIP determined in the subject investigation.

Submissions made by the domestic industry

113. The domestic industry has reiterated its earlier submissions with regard to likelihood of recurrence of injury and public interest, and in addition has submitted as follows in its comments to the Disclosure Statement.

- a. The import price from Indonesia reported in DGCI&S is unreliable considering significant difference in the import price reported to the Indian customs and Indonesian customs. Uncoated paper in rolls was earlier being imported at a price Rs. 3,472 pmt lower than Uncoated paper in sheet, with imposition of antidumping duty, the product is now being imported at a price Rs. 9698 cheaper than Uncoated paper in sheet. This clearly shows unreliability of the import price. The difference between CIF and FOB price is to the tune of 250 USD/MT. This difference amount is very high and unattributed to the traders' margins. The Authority considering huge discrepancy in data should determine export price based on prices reported by the producers.
- b. Considering the Authority's observation in the previous investigation that significant volume of imports is being reported as originating in Singapore even though there is no manufacturing in Singapore, the Authority is requested to kindly fully reconcile the imports reported as originating in Singapore in the questionnaire responses of participating producers and Indian customs data.
- c. The present duty needs to be extended without modification since the dumping and injury to the domestic industry is based on the likelihood of dumping and injury to the domestic industry.
- d. The Authority failed to consider submissions by domestic industry concerning (a) declining demand in Indonesia and globally; (b) likely dumping and injury margin from Indonesia; (c) cost advantages with exporters in Indonesia.
- e. The non-injurious price determined is too low resulting into insufficient injury margin. Further, the Authority has reduced the non-injurious price on account of number of factors without sufficient disclosure thus not allowing the domestic industry to make any effective comments.
- f. Highest utilization should not be considered as optimum for determination of NIP. If the domestic industry has been able to produce beyond 100%, making that actual capacity utilisation as the norm is penalising efficient industries and dubbing them inefficient for subsequent lower utilisation.

- g. The Authority is requested to disclose various facts in non-confidential version, such as (a) copy of communications sent by the Authority and copy of replies filed by the interested parties; (b) submissions by interested parties; (c) copy of rejoinder submissions; (d) disclosure of exports to third countries; (e) full disclosure of NIP.
- h. The absence of duty will also impact the large number of farmers engaged in growing plantations of Eucalyptus, Subabul, Casuarina, Acacia, Poplar, etc. The domestic industry is fully competent to cater to the entire Indian demand of the subject goods. There are large number of producers of subject goods in the domestic market and capacities with the Indian industry is largely unutilized. Currently, imports of the subject goods from Indonesia attract NIL rate of duty. Therefore, in a situation where NIL duty exists, the impact of ADD on the consumer will be minimal while providing a level playing field to the domestic industry. None of other interested parties have claimed or substantiated any adverse impact of duty.

Examination by the Authority

114. The Authority notes that some of the submissions by the domestic industry and other interested parties are repetitive in nature. These submissions have already been examined at appropriate places in the Final Findings. Further, the Authority has examined the additional submissions of the interested parties as under:

- i. As regards the argument that rejection of response of APP group is not correct, it is noted that the quantum of exports to India through non-participating unrelated traders is substantial and therefore Authority found it appropriate not to accept the response filed by APP Group as per the consistent practice followed by the Authority and instead determined the export price on the basis of facts available.
- ii. As regards the argument that covid period adjustment has not been done for the exporters, it is noted that there is no data provided with regard to quantification of impact of Covid19 by the exporters themselves.
- iii. As regards the argument that there is no likelihood with respect to APRIL group, the Authority notes that even though the capacities with the APRIL group have been fully utilized, there is significant gap between the export prices reported by the producers of APRIL group and their traders, thus demonstrating the leverage available to the producer to export at dumped and injurious price. The producer's export price to third countries for significant volumes are at low price and below the level of selling price and NIP of the domestic industry. Thus, high export orientation and third country export prices of APRIL group indicate likelihood of diversion of exports of subject goods from other countries to India at injurious prices and consequent recurrence of injury to the domestic industry in the event of cessation of ADD.
- iv. As regards the argument that post POI data should be examined as the domestic industry has improved its performance, it is noted that since there is enough evidence on record to establish the likelihood of continuation of dumping and recurrence of injury, it was not deemed necessary to examine post-POI data.
- v. As regards the argument that NIP determined is low, it is noted that NIP has been determined as per Annexure III of the Rules and is consistent with the past practice of the DGTR.
- vi. As regards the submission of opposing interested parties that the duties should be extended only for three years as was done in the original investigation, the Authority notes that no justification has been given for limiting duties to three years. The mere fact that the duties were earlier recommended for three years in itself does not imply that the present extension should also be for three years only. In any case, the interested parties are free to seek review of duties, if they consider that there is no justification for continued imposition of ADD.
- vii. As regards furnishing of transaction wise import data, it is clarified that APP Group has provided the said information was not furnished initially in the exporter's questionnaire response but has subsequently been provided during desk verification.

L. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST AND OTHER ISSUES

115. Authority considered whether imposition of proposed ADD shall have adverse public interest. For the same, the Authority examined whether the imposition of the proposed duty on imports of the product under investigation would be against the larger public interest. This determination is based on consideration of information on record and interests of various parties, including domestic industry, importers and consumers of the product.
116. The authority issued gazette notification inviting views from all interested parties, including importers, consumers and other interested parties. Authority also prescribed a questionnaire for the consumers to provide relevant information with regard to present investigations, including possible effect of ADD on their operations. The duties have been in force since 4th December, 2018.
117. From the information on record, it is noted that imports have occurred above the reference price during the period of investigation and no burden of antidumping duty has been faced by the users. The subject goods do not have a downstream industry and is largely used by public at large. The Authority has assessed the impact of current level of ADD on the end consumers. It is noted that the impact on the end consumer at the current level of anti-dumping duty is approximately 0.64% of average selling price of the product.
118. There are other alternate sources of supply of subject goods. Countries such as Thailand, USA, Australia, Vietnam and Malaysia are other manufacturers of subject goods, wherefrom imports can be sourced in case of demand-supply gap.
119. The Authority notes that fair competition in the Indian market will not be reduced by the continuation of the anti-dumping measures. On the contrary, continuation of anti-dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices and prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods.
120. The purpose of anti- dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. From the information submitted by the domestic industry, it is noted that the imposition of duties has benefitted the producers of the subject goods.

M. CONCLUSION

121. Having regard to the contentions raised, information provided, submissions made and facts available before the Authority as recorded in these findings and on the basis of the determination of dumping and consequent injury to the domestic industry made hereinabove, the Authority concludes that:
- a. The applicant domestic producer constitutes domestic industry under Rule 2(b) of the Rules and the application filed by the applicant on behalf of domestic producers satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules. Since the application is based on likelihood of dumping and injury, West Coast Paper Mills Ltd. and Tamil Nadu Newsprint and Papers Ltd have not been included in the scope of domestic industry.
 - b. The product under consideration continues to be exported to India at prices below normal value resulting in continued dumping. The volume of imports has declined because of antidumping duty. However, the volume of import is likely to increase significantly, considering the dumped and injurious price at which goods have been exported from Indonesia to third countries, high export orientation, significant surplus capacities in Indonesia. It is evident that the dumping of the product is likely to continue and the volume of imports is likely to increase significantly in the event of cessation of anti-dumping duties.

- c. The volume of imports has significantly declined in absolute terms, and in relation to production & consumption in India. Imports were not undercutting the domestic industry prices & the domestic industry did not suffer depressing or suppressing effect on its prices due to the existing antidumping duty. Further, performance of domestic industry has not deteriorated over the current injury period, and the domestic industry has not suffered material injury due to subject imports owing to the anti-dumping duty in force.
- d. In event of expiry of anti-dumping duty, there is clear possibility of dumping in significant volumes and consequent injury to the domestic industry. Indonesia is one of the largest producers of the subject goods. There are significant unutilized capacities in Indonesia, sufficient to cater to entire Indian demand. Significant exports to third countries have been made by the producers at prices below the level of selling price, non-injurious price of the domestic industry and third country prices. It is also seen that various countries have imposed trade remedial measures on subject goods from Indonesia.
- e. There is thus likelihood of continuation of dumping and recurrence of injury to the domestic industry considering (a) sufficient surplus capacity (b) high export orientation of Indonesian producers (c) the significant quantum of injurious exports to third countries (d) price attractiveness of Indian market and (e) trade remedial measures imposed by other WTO member countries on imports of subject goods from Indonesia.

N. RECOMMENDATIONS

122. The Authority notes that the sunset review was initiated and notified to all the interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers/ users and the other interested parties to provide information on the aspects of dumping, injury and causal link and the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury. Having initiated and conducted the sunset review into dumping, injury and causal link and the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury in terms of the provisions laid down under the rules, the Authority is of the view that continued imposition of anti-dumping duty is required on the subject goods from the subject countries.

123. Under these circumstances, the Designated Authority considers it appropriate to recommend continuation of existing quantum of anti-dumping duty on the imports of subject goods from subject countries. The Authority, thus, considers it necessary to recommend continuation of existing definitive anti-dumping duty imposed vide Notification no. 56/2018-Customs dated 4th December 2018 for further period of two (2) years from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, as the difference between the landed value of the subject goods and the amount indicated in Col. 7 of the duty table appended below, provided the landed value is less than the value indicated in Col 7.

DUTY TABLE

SN	Heading/ Sub-heading	Description of Goods	Country of Origin	Country of Export	Producer	Amount (US\$/MT)
1	2	3	4	5	6	7
1	4802*	Uncoated paper in rectangular sheet of following sizes, with permissible limits (a) 210mm x 297 mm also known as A4 size;	Indonesia	Any country including Indonesia.	a) PT Riau Andalan Kertas b) PT Anugrah Kertas Utama c) PT Asia Pacific Rayon	855.01

		(b) 297mm x 420mm also known as A3 size; (c) 215mm x 345mm				
2	- do -	- do -	Indonesia	Any country including Indonesia.	Any combination other than S. No.1	855.01
3	- do -	- do -	Any country other than Indonesia	Indonesia/Singapore	Any	855.01

** Custom classification is only indicative and the determination of the duty shall be made as per the description of PUC.*

124. Landed value of imports for the purpose of this Notification shall be the assessable value as determined by the Customs under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and includes all duties of customs except duties under sections 3, 88,9 and 9A of the customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time.

O. FURTHER PROCEDURE

125. An appeal against these findings after its acceptance by the Central Government shall lie before the Customs' Excise and Service tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and Customs Tariff Rules, 1995.

ANANT SWARUP, Designated Authority